खण्ड-173, अंक-1
सोमवार, 24 वैशाख, शक संवत् 1878
(14 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १४ मई, १९५६

130936

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२०२)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवलसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री

धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी ,श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १४ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

अल्मोड़े में अमीनों की ट्रेनिंग

*१—**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं के जिले में भूमि का जो बन्दोबस्त हो रहा है उसके लिये कुल कितने अमीनों की आवश्यकता आंकी गई है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—लगभग १,००० अमीनों की आवश्यकता इस समय तक आंकी गई है, किन्तु आवश्यकतानुसार इस संख्या के बढ़ने की भी सम्भावना है ।

*२—**श्री गोवर्धन तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमीनी ट्रेनिंग केन्द्र, अल्मोड़ा में कुल कितने व्यक्तियों को अमीनी ट्रेनिंग देने का इरादा सरकार का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लगभग ४०० व्यक्तियों को ।

*३—**श्री गोवर्धन तिवारी** (अनुपस्थित)—उपर्युक्त केन्द्र में पहली जनवरी, १९५६ तक कितने व्यक्ति अमीनी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, और उनमें से कितनों को आज तक अमीनी के पद पर नियुक्त किया जा चुका है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १–३ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त केन्द्र में १ जनवरी, १९५६ तक कुल १९२ व्यक्तियों ने अमीनी ट्रेनिंग प्राप्त की, जिनमें से अब तक ५६ व्यक्ति अमीनी के पद पर नियुक्त किये जा चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि बाकी १३६ व्यक्तियों को कब तक कार्य पर लगाया जा सकेगा ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—काम पर तो सभी को लगाया जायगा। हमें तो आदमियों की जरूरत है इसलिये ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन अब तक जिन लोगों ने शिक्षा हासिल की अगर उन्हें काम पर नहीं लगाया गया तो उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी बाकी है। थ्योरिटिकल ट्रेनिंग तो उनकी हो गयी। लेकिन जब रेकार्ड सर्वे आपरेशन वगैरह में ट्रेनिंग हो जायगी तब बाकायदा एप्वाइंटमेंट होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अवधि कितने दिनों की रखी गयी है ?

श्री चरणसिंह—इतनी तफसील तो मुझको नहीं मालूम है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बटवारा विभाग के समाप्त हो जाने पर बहुत से अमीन आज प्रान्त में बेकार भी हैं ? यदि हां, तो फिर नयी ट्रेनिंग कराने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट की जानकारी बिलकुल इसके विपरीत है। आज ट्रेन्ड आदमियों की और अमीन वगैरह की बहुत बड़ी कमी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने अल्मोड़े में अमीनों के ट्रेनिंग केन्द्र के अलावा कोई और भी ट्रेनिंग केन्द्र खोला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अल्मोड़े के अलावा तीन और ट्रेनिंग केन्द्र सरकार खोलने जा रही है, एक नैनीताल में, एक गढ़वाल में और एक टेहरी-गढ़वाल में।

लैन्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट के अधीन भूमि वितरण

*४—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Land Utilisation Act के मातहत सरकार को कितनी भूमि उत्तर प्रदेश में बांटी गई है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—सूचना एकत्रित की जा रही है उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जावेगा।

खाना पकाने के लिये गोबर से गैस तैयार करना

*५—**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद के तत्वों को नष्ट किये बिना गोबर से खाना पकाने की गैस तैयार करने के लिये जो प्रयोगात्मक परीक्षण किये गये वे सफल रहे ? यदि हां, तो उसमें अब क्या प्रगति हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (इंजीनियरिंग) विभाग ने इस विषय में कुछ प्रयोगात्मक कार्य किया था किन्तु इसकी कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत गोबर गैस प्लान्ट मंगवाकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रयोग करने का विचार है।

कृषि विभाग में स्थायी व अस्थायी पद

*६—श्री खयालीराम (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में क्लरिकल व फील्ड क्षेत्र में कितने पद स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह—कृषि विभाग में क्लेरिकल व फील्ड क्षेत्र के स्थायी व अस्थायी पदों की संख्या निम्नलिखित है :—

	स्थायी	अस्थायी
क्लेरीकल	४१०	३७२
फील्ड स्टाफ	८२२	१०७२

*७—श्री खयालीराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि कितने-कितने काल से कार्य करने वाले कर्मचारी अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो सूचना एकत्रित कर के दी जा सकती है।

ग्राम चकदही, जिला बस्ती के भूमिहीनों का आवेदन-पत्र

*८—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री के मुखलिसपुर, जिला बस्ती के दौरे के अवसर पर ग्राम चकदही, जिला बस्ती के भूमिहीनों ने कोई आवेदन-पत्र भूमि प्राप्त करने के लिये दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—माननीय सदस्य के प्रश्न से यह प्रकट नहीं होता कि उनका किस विशेष आवेदन-पत्र से तात्पर्य है। ग्राम चकदही, जिला बस्ती के श्री रामदास तथा अन्य ग्रामीणों का एक आवेदन-पत्र पेटीशन्स डिपार्टमेंट ने लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के पास भेजा था जिसको कि लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर खीरी, जो कि खीरी कालोनाईजेशन स्कीम के अध्यक्ष हैं, के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन भूमिहीनों ने आवेदन-पत्र दिया है उनको खीरी में जमीन मिलेगी या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया उनके आवेदन-पत्र जिलाधीश खीरी के पास भेज दिये गये हैं। वह उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि उन सबको मिलेगी। जो उनमें मिलने के लायक होंगे उनको मिलेगी।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक उसके ऊपर निर्णय हो सकेगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ठीक तारीख मुकर्रर करना मुश्किल है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो भूमि भूमिहीनों को दी जाती है वह किस आधार पर दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—पढ़े और अनपढ़े दोनों को दी जाती है।

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*९---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में चौपायों का अस्पताल खोलने की जो स्वीकृति सरकार ने दी थी उसे वह कब तक खोलेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---ऐसी कोई स्वीकृति सरकार ने अभी तक नहीं दी है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो अस्पताल खुलने हैं उनमें मड़ियाहूं तहसील का भी ध्यान रखा जावेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९५५-५६ के लिये नये अस्पताल खोलने के लिए कोई सूची बनी थी उसमें मड़ियाहूं भी, उस सूची में, सम्मिलित था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---ऐसा तो कुछ था नहीं कि जरूर खुल जायगा। लेकिन १९५६-५७ में एक अस्पताल खुलने वाला है उसमें मड़ियाहूं का ध्यान रखा जायगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मवेशियों का जो अस्पताल खुलता है वह संख्या के आधार पर खुलता है या दूरी के आधार पर ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इस वक्त तो यह है, हमारी कोशिश यह है कि कम से कम हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक अस्पताल हो जाय। तो यही आधार है। न संख्या है और न दूरी है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो हेडक्वार्टर पर अस्पताल खोले जायंगे उसकी इमारत सरकार द्वारा बनायी जायगी या जनता द्वारा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---हमें बड़ी खुशी होगी अगर जनता इमारत बनाकर दे दे।

देवरिया जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अमरीकी अनाज का वितरण

*१०---**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्डो-अमेरिका एग्रीमेन्ट के मुताबिक अमेरिका से भारत सरकार को मुफ्त बांटने के लिये आई हुई चीजें कौन-कौन सी कितनी तादाद में उत्तर प्रदेश को मिली हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अमेरिका से भारत को बाढ़क्षेत्र में मुफ्त बांटने के लिये आई हुई वस्तुओं में से उत्तर प्रदेश को २,००० टन गेहूं तथा २,००० टन चावल मिला है।

*११---**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या यह सही है कि ये चीजें खास कर बाढ़ एरिया के पीड़ित लोगों को मुफ्त बांटने के लिये आयी थीं ? यदि हां, तो वे देवरिया जिला के बाढ़ एरिया में कितनी बांटी गयी और किसके द्वारा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, उपर्युक्त चीजों में से देवरिया जिले के लिये २३० टन गेहूं तथा २३० टन चावल निर्धारित किया गया था। इसमें से २८-४-५६ तक २१७ १/४ टन गेहूं तथा १५४ टन चावल बाढ़ क्षेत्र में बांटा जा चुका है। वितरण तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा किया जा रहा है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि अमेरिका से भारत को बाढ़ एरिया में मुफ्त बांटने के लिये कौन कौन सी चीजें कितने तादाद में आयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जवाब दिया जा चुका है, गल्ले के अलावा और कोई चीज नहीं आयी और गल्ले का हिसाब बतला दिया गया।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चावल और गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन-कौन सी चीजें आयी हैं?

श्री अध्यक्ष---कितनी दफा आप पूछेंगे? इसका उत्तर माननीय मंत्री ने दे दिया है।

गाजीपुर जिले में बन्दरों से फसल को क्षति

*१२---**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जिला गाजीपुर में बन्दरों द्वारा फसल की क्षति दिनों दिन बढ़ती जा रही है? यदि हां तो सरकार इस समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्री हुकुमसिंह---जी हां। यह पता चला है कि जिला गाजीपुर में बन्दरों द्वारा फसल की क्षति कुछ बढ़ गयी है। जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये जा चुके हैं कि बन्दूक के लाइसेन्स उदारतापूर्वक दें। इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि जनता स्वयं कदम बढ़ाये और सरकार से जो कुछ मदद की आवश्यता हो उसे जिला अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करें।

कसया विकास क्षेत्र में मेढ़ों पर व्यय

*१३---**श्री रामेश्वर लाल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कसया क्षेत्र में जो मेढ़े दिये गये हैं उन पर कितना व्यय १९५४ से १९५६ तक हुआ है और किस-किस मद पर कितना-कितना?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२ पर)

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री कृपा कर बतावेंगे कि जो २० मेढ़े कसया विकास क्षेत्र में दिये गये हैं वे २० मेढ़े एकत्रित केन्द्र के स्थान पर रखे गये हैं या २० मेढ़िहारों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिये गये हैं?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि उनके जवाब में दिये मेढ़िहारों का वेतन जो ४८० रु० है, मेढ़ों के खाने पर खर्चा जो ४५० रु० है, और मेढ़ों के निवास स्थान पर व्यय जो १,८३६ रु० १९५४-५५ में और उसी तरह १९५५-५६ में हुआ है, यह तीनों मदें फर्जी हैं और सरकार के धन का अपव्यय किया गया है?

श्री हुकुमसिंह---बिलकुल ठीक है। जांच की जरूरत नहीं है।

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में मुर्गियों में संक्रामक रोग

*१४---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के अनेक क्षेत्रों में मुर्गियों की एक खास बीमारी से हजारों मुर्गियां मर गई हैं?

श्री हुकुमसिंह---फूलपुर तहसील के कुछ क्षेत्रों की मुर्गियों में रानीखेत नामक संक्रामक बीमारी का प्रकोप फरवरी, १९५६ में हुआ था और जहां तक सरकार को सूचना मिली है इस रोग से कुल १९८ मुर्गियों की मृत्यु हुई थी।

*१५---**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि इस संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं और उसके क्या परिणाम हुये हैं?

नोट---तारांकित प्रश्न १४-१६ श्री बाबूनन्दन ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह---मुर्गियों को रानीखेत संक्रामक रोग से बचाने के लिये कुक्कुट पालकों को बीमारी से ग्रसित मुर्गियों को अच्छी मुर्गियों से अलग करने, तथा मरी हुई मुर्गियों की लाश को जलाने या चूने में गाड़ने की सलाह दी गई। रोग से बचाने वाले टीके भी आस-पास के क्षेत्रों की मुर्गियों को लगाये गये, जिससे बीमारी फैल न सके। परिणाम यह हुआ कि बीमारी रुक गयी और फैलने नहीं पायी।

श्री बाबूनन्दन---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुर्गियों के अतिरिक्त मुर्गों की कितनी संख्या थी जो उसमें मरे थे ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

पशुपालन विभाग के स्टाकमैनों का मुस्तकिल किया जाना

*१६---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि पशुपालन विभाग के स्टाकमैन कब से मुस्तकिल हुये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---१३ स्टाक मैन सन् १९३८ से मुस्तकिल हैं, और ५४३, १ अप्रैल सन् १९५४ ई० से मुस्तकिल किये गये। और बाकी ९४ जगहों पर स्टाकमैनों के मुस्तकिल करने का प्रश्न संचालक पशु पालन के विचाराधीन है।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी योजनान्तर्गत खातों से संबंधित प्रार्थना-पत्र

*१७---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि चकबन्दी योजना तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में अब तक कितने प्रार्थना-पत्र खाता बांटने और कितने खाता एक में मिलाने के प्रस्तुत हुये और उनमें कितने स्वीकार हुए और कितने अस्वीकार ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कुल १,४४२ प्रार्थना-पत्र खाता बांटने के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुये, जिनमें से क्रमशः १०९८ तथा ७० प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा अस्वीकृत हुये हैं, और २८४ विचाराधीन हैं।

खाता मिलने के कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या ६९ है, जिनमें से क्रमशः ४४ तथा ८ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा अस्वीकृत हुये हैं और १७ विचाराधीन हैं। यह सूचना ३१, मार्च १९५६ तक के लिये है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खेत बांटने के जो ७० आवेदन पत्र अस्वीकार हुये हैं उसके क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कोई कानूनी नुक्स होगा, जभी तामील नहीं हुई होगी, या लोग चाहते नहीं होंगे, जो कुछ भी दिक्कतें हों।

गोंडा जिले में आम के बाग काटे जाने की शिकायत

*१८---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने एकड़ में बाग लगे हैं ? प्रत्येक तहसील में बाग का रकबा क्या है ?

नोट---तारांकित प्रश्न १७ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला गोंडा में ४३,४२५ एकड़ में बाग लगे हैं। प्रत्येक तहसील में बागों का रक़बा यह है :—

	एकड़
गोंडा	१६,१५०
तरबगंज	१४,४९४
उतरौला	६,८३९
बलरामपुर	५,९४२

*१९—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या यह सत्य है कि आम के बाग ज्यादा संख्या में काटे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सत्य नहीं है कि आम के बाग ज्यादा संख्या में काटे जा रहे हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न १९ के संबंध में जो जवाब दिया गया है कि बाग काटे नहीं जा रहे तो इस सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र मैंने लिखा और गांव सभा के सभापति ने लिखा, फिर भी बाग काटे जा रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जवाब यह दिया गया है कि अधिक संख्या में नहीं काटे गये हैं, यह नहीं कहा कि काटे नहीं जा रहे हैं। कुछ शिकायतें हैं, यदि यह चीज नोटिस में आती है तो पुलिस की कार्यवाही की जाती है और गांव सभायें भी कार्यवाही कर सकती हैं।

श्री गंगाप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बाग काटने के परमिट किसके द्वारा दिये जाते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ छोटे हैं उनको तो गांव सभा के प्रधान को अधिकार है, बाकी जो बाग बड़े होते हैं उनके लिये तहसीलदार या हाकिम परगना को अधिकार है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह बतलाया गया है कि बाग अधिक संख्या में नहीं काटे जा रहे हैं तो इस की जांच किसके द्वारा कराई गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके जवाब में लिखा हुआ है और जो जवाब कलेक्टर साहब के यहां से आया था वह उन्होंने जांच कर के लिखकर भेजा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितनी संख्या तक ग्रामों के प्रधानों को काटने देने की आज्ञा देने की इजाजत है, और कितनी संख्या तक और लोग इजाजत दे सकते हैं?

श्री चरणसिंह—ढ़ाई एकड़ तक लैंड मैनेजमेंट कमेटी इजाजत दे सकती है प्राविजनल, लेकिन उसका सेंक्शन होगा तहसीलदार से, और अगर ढ़ाई एकड़ से बड़े रकबे का बाग हो तो फारेस्ट डिपार्टमेंट इजाजत देता है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो बाग लगे हैं यह सरकार ने लगवाये हैं, या गांव सभाओं ने या इंडिविजुअल्स ने?

श्री चरणसिंह—यह निजी व्यक्तियों के हैं।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि यह जो ढ़ाई एकड़ का अधिकार ग्राम पंचायतों के प्रधानों को है उसका इस्तेमाल वे इस तरह से करते हैं कि अगर किसी का १० एकड़ का बाग है तो उस को ढाई-ढाई एकड़ का परमिट कई बार दे कर वह सारा बाग कटवाते हैं?

श्री चरण सिंह---उसे ढ़ाई एकड़ का भी पूरा अख्तियार नहीं है। उसको अख्तियार केवल रकमन्डेशन करने का है और पूरा अधिकार तहसीलदार को है, और एक ही आदमी का ढ़ाई एकड़ होगा। लेकिन अगर दूसरे आदमी का हो तो भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी या गांव सभा का सभापति रेकमेन्ड कर सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में जो वन काटा गया है उसमें किसी आदमी को सजा भी हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को बिना किसी परमिट के भी बाग काटने की कोई इत्तला है और अगर है तो क्या ऐसे केसेज में उसने कोई कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, जो बिना परमिट के काटते हैं उन्हीं पर कार्यवाही होगी, जिन्होंने परमिट से काटे हैं वह तो कानून के अनुसार है।

डुमरियागंज तहसील में गन्ने की खेती

*२०---श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि तहसील डुमरियागंज में चालू वर्ष में कितनी एकड़ जमीन में गन्ना बोया गया था ?

श्री हुकुमसिंह---चालू वर्ष में, डुमरियागंज तहसील में ३१०० एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया था।

*२१---श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)---उपरोक्त तहसील में ऊख के किसानों को क्या-क्या सुविधा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त है ?

श्री हुकुमसिंह---इस तहसील का जो क्षेत्र चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में पड़ता है वहां के किसानों को रसायनिक खाद, रोगरहित तथा अच्छे किस्म के गन्ने का बीज और उन्नतिशील कृषि यंत्र दिये जाते हैं। गन्ने की उपज पर कीट तथा रोगों का आक्रमण होने पर उससे रक्षा का प्रबन्ध गन्ना विकास विभाग की ओर से होता है।

*२२---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले के उरई कस्बे में गिरधरपुरी का निर्माण

*२३---श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के कस्बा उरई में गिरधरपुरी के निर्माण कार्य में सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---लगभग १,३२,२०० रु० व्यय हुआ है।

*२४---श्री बसन्तलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गिरधरपुरी में कुल कितने क्वार्टर हैं और प्रति क्वार्टर कितने सालाना किराये से कितने क्वार्टर बसाये जा चुके हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---वहां सरकार द्वारा बनाये गये चालीस एक कमरे वाले क्वार्टर और बीस दूकानें हैं। प्रति क्वार्टर का सालाना किराया १२६ रु० है। सभी क्वार्टर खाली हैं। ये सब मकान व दूकान केन्द्रीय सरकार द्वारा डिसप्लेस्ड परसन्स (कम्पेन्सेशन एन्ड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत उद्वासितों को दिये जा रहे हैं।

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक गिरधरपुरी के सब क्वार्टर खाली पड़े हैं, उसमें कोई भी शरणार्थी रहने के लिये तैयार नहीं है? क्या सरकार इसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---कारण यह है कि वह मुफ्त रहना चाहते हैं या कम किराये का मकान हांसिल करना चाहते हैं ।

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अधिकतर शरणार्थी उचित कीमत पर क्वार्टर लेने को तैयार है, उनके लिये क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---तैयार होंगे तो उनको दिया जायेगा ।

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि कस्बा कोंच, कालपी और जालौन के शरणार्थियों को अभी तक दुकानों और उनके रहने का उचित प्रबन्ध नहीं हो सका ?

श्री हुकुमसिंह---मकान बने हुये हैं, उसमें जायं तो प्रबन्ध हो जायेगा, न जायं तो नहीं होगा ।

जालौन जिले में शरणार्थियों का पुनर्वासन

*२५---श्री बसन्तलाल---क्या सरकार यह बताने की यह कृपा करेगी कि जिला जालौन के कस्बा कोंच, कालपी और जालौन में कितने- कितने शरणार्थी हैं और उनके पुनर्वास के लिये अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या करने का विचार रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इन कस्बों में रहने वाले उदवासित व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या उपलब्ध नहीं है पर पूरे जिले जालौन में १६३४ उदवासित व्यक्ति निवास करते हैं। सरकार ने उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण, भत्ता, अनुदान, खेती के लिये भूमि, रहने के मकान, दूकान, शिक्षा तथा प्रशिक्षा देकर उनके पुनर्वास में सहायता दी है। अब केन्द्रीय सरकार उनको पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई अचल सम्पति का प्रतिकर दे रही है ।

*२६-२७---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

तराई क्षेत्र में बंगाली शरणार्थी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था

*२८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि तराई क्षेत्र में बसे हुये बंगाली शरणार्थियों के बच्चों को बंगाली में प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा दिये जाने का कोई प्रबन्ध नहीं है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, अभी कोई प्रबन्ध नहीं है । इस हेतु पुनर्वास मंत्रालय भारत सरकार को कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के लिये लिखा गया है । उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर बंगाली में प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी ।

*२९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि तराई क्षेत्र में बसे हुये बंगाली शरणार्थियों के बच्चों को प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा देने के हेतु कोई माध्यमिक विद्यालय एवं प्राइमरी स्कूल उनकी बंगाली कालोनी में नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---तराई क्षेत्र में बसे हुये बंगाली शरणार्थियों के बच्चों के लिये इस समय वहां ४ प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं । ३ और नये प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय से स्वीकृति मांगी गयी है । एक माध्यमिक विद्यालय, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है, आशा है शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायेगा ।

*३०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार तराई में बसे हुये बंगाली शरणार्थियों के बच्चों को, उनके अभिभावकों की दरिद्रता को ध्यान में रखकर, वजीफा दिये जाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---प्रदेशीय सरकार इस बारे में कोई योजना नहीं बना रही है क्योंकि भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में पहले से ही एक योजना बना रखी है जो इस प्रदेश में भी कार्यान्वित है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि भारत सरकार को कितने शिक्षकों की नियुक्ति के लिये लिखा गया है और कब लिखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह---इस वक्त तारीख तो नहीं बता सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि कितने शिक्षकों के लिये भारत सरकार को लिखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह---दस के लिये लिखा गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जो माध्यमिक विद्यालय खोला जाने वाला है यह किस स्थान पर खोला जाने वाला है और कब तक खोले जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह---साइट जेरे तजवीज है कि कहां पर खोला जाय और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी खोल दिया जायेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि यह जो माध्यमिक विद्यालय है यह बंगाली कालोनी के बीच में ही खोला जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह---इरादा तो अभी ऐसा ही है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि अभी कुछ दिन पहले उन शरणार्थियों का एक डेप्युटेशन माननीय मंत्री जी से मिलने आया और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया ?

श्री हुकुमसिंह---श्री नारायणदत्त तिवारी अपने साथ लाये थे और मैंने मुलाकात उनसे की थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो योजना वजीफे के बारे में चल रही है उस योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह---कक्षा १ से ५ तक शत् प्रतिशत योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा तथा ५० प्रतिशत को ५ रुपये प्रति छात्र, प्रति वर्ष की नकद सहायता पुस्तकें आदि खरीदने के लिये । ६ से ८ कक्षा तक ५० प्रतिशत योग्य छात्रों को दी हुई आय सीमा के भीतर निर्दिष्ट शिक्षा, तथा उतने ही को पुस्तकें आदि खरीदने के लिये नकद सहायता जो कक्षा ६ के लिये २० रु० प्रति छात्र प्रतिवर्ष है, और कक्षा ७---८ के लिये ३० रु० प्रति छात्र प्रति वर्ष है । कक्षा ९---१० के ४० प्रतिशत योग्य छात्रों को दी हुई आय सीमा के भीतर निःशुल्क शिक्षा तथा उतने ही को ४० रु० प्रतिवर्ष की नकद सहायता ।

बहुत लम्बी लिस्ट है । अगर आप कहें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---नहीं, आप जितना संक्षिप्त में कह सकें, कह दें ।

श्री हुकुमसिंह---इंटरमिडियेट के लिये बोर्डर के लिये ३० रु० डे स्कालर के लिये २०
बी० ए० और बी० एस-सी० .. ४० रु० .. ३०
डिग्री कालेज के लिये .. ६० रु० .. ५०
मैरिन इंजिनियरिंग ट्रेनिंग कोर्स .. ५० रु० .. ५०

इस तरह से एक लम्बी फेहरिस्त है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या बंगाली कालोनी की विशेष स्थिति को देखते हुये माननीय मंत्री जी या उपमंत्री जी स्वयं इसी बीच में बंगाली कालोनी का अध्ययन इन आश्वासनों को देखते हुये करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह---जरूरत होगी तो जरूर जायेंगे । अभी तो कोई जरूरत मालूम होती नहीं ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि जब तक कि स्कूल इस तराई क्षेत्र में शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिये नहीं खुलता तब तक के लिये सरकार ने एक बस चलाने का इन्तजाम किया है जिससे बच्चे पास ही के किसी स्कूल में जा सकें ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । अभी हमें पता नहीं है ।

इलाहाबाद के अलोपीबाग के शरणार्थियों की मकान मरम्मत के लिये मांग

*३१---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के अलोपीबाग के शरणार्थियों ने मकान के मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र भेजा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, उन्होंने अपनी सभा में जो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये हैं, और जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने राजकीय सरकार को भेजी है, उसमें उन्होंने इन क्वार्टरों की मरम्मत की मांग की है ।

*३२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि उन मकानों की मरम्मत के लिये पी० डब्ल्यू० डी० ने पछत्तर हजार रुपये का एस्टीमेट बनाया था ? यदि हां, तो क्या केवल पांच हजार रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, पर राजकीय सरकार ने और ज्यादा रुपया मरम्मत पर खर्च करने के बजाय केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की कि इन मकानों की हालत देख कर मूल्यांकन किया जावे । अतः केन्द्रीय सरकार ने इन मकानों की कीमत ४०० रुपये की मकान मरम्मत के लिये विशेष अवमूल्यन (डिप्रिसियेशन) की छूट देकर निर्धारित की है ।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मकान कब बने थे ?

श्री हुकुमसिंह---शुरू-शुरू में जब विस्थापित लोग आये हैं तभी बने थे ।

*३३---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट---तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री जगन्नाथमल्ल ने पूछे ।

खीरी जिले में गोविन्द शकर मिल, ऐरा के आस-पास पक्की सड़कों की निर्माण योजना

*३४—श्री **जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार को गोविन्द शकर मिल, ऐरा, जिला खीरी की ओर से मिल के चारों ओर पक्की सड़कों के निर्माण के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां ।

*३५—श्री **जगन्नाथ प्रसाद**—यदि यह सत्य है तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के अनुसार गोविन्द शकर मिल से प्राप्त योजना में उचित परिवर्तन किये गये । उसके बाद परिवर्तित योजना, मिल तथा गन्ना सोसाइटी की स्वीकृति के लिये उनके पास भेजी गई है ।

*३६—श्री **जगन्नाथप्रसाद**—गोविन्द शकर मिल, ऐरा कितना धन इन सड़कों के निर्माण में खर्च करने को तैयार है तथा सरकार अपने हिस्से का कितना धन देने को सोच रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सड़क निर्माण योजना के अनुमानित व्यय के अनुसार गोविन्द शकर मिल का भाग १९०,६६६ रुपया होता है । जिसके लिये उनकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार भी अपने भाग का १,९०,६६६ रुपया देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवर्तित योजना के अनुसार कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण करने के लिये तैयार है ?

श्री हुकुमसिंह—कौन-कौन सी सड़क हैं, उसके डिटेल्स तो इस वक्त नहीं हैं । पहले २० मील की योजना थी, अब ८ मील की रह गयी है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—सोसाइटी के पास भेजा गया है । वह अपनी अनुमति भेज दें और मिल वाले भी भेज दें तो हम तो १ लाख अपने हिस्से का रुपया लगा ही रहे हैं । जैसे ही अनुमति आ जायगी काम शुरू होगा ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह शुगर फैक्टरीज जो अपने हिस्से का रुपया नहीं देना चाहें, तो उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हुकुमसिंह—हमारा जहां तक खयाल है सभी राजी हैं देने के लिये ।

गोंडा जिले के कौवापुर स्टेशन के पास पुल टूटने से कष्ट

*३७—श्री **बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर राप्ती भाग, जिला गोंडा में कौवापुर (N. E. Railway) स्टेशन के सामने, कौवापुर-हरैया सड़क के प्रारम्भ में ही एक पुरानी लकड़ी का पुल, लगभग तीन, चार साल से टूटा हुआ है जिससे वर्षा काल में स्टेशन तक आने-जाने में अपार कष्ट होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्षा काल के अन्दर क्या वह टेम्पोरेरी पुल बनाने का विचार रखती है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३७ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह पुल बलरामपुर स्टेट का था, लेकिन अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द होगा या पी० डब्लू० डी० के, और जब यह तय हो जायगा तो यह जिस विभाग में जायगा वह इसको करेगा।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार अगले जून के पहले इस पुल को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पी० डब्लू० डी० को सौंपने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---जमींदारों की जो सड़कें थीं उस वक्त जिनकी लम्बाई ५ मील थी वह पी० डब्लू० डी० को दे दी गयीं। और बाकी जो सड़कें हैं कच्ची, अगर वह एक गांव के अन्दर की जाती हैं तो वह गांव पंचायत को दी गयी, और जो कई गांवों को होकर जाती हैं तो उनको हमारा विचार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देने का है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहता है कि हमको खर्चा चाहिये। तो अभी वह बात तय नहीं हुयी है। बाकी यह जाड़ों के पहले पुल बन जाय इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन जगहों में इन सड़कों की मालिक आजकल गवर्नमेंट है।

*३८---**श्री तेजप्रतापसिंह**---[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*३९---**श्री रामवचन यादव** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने चकबंदी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। उसमें कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आजमगढ़ जिले में चकबंदी योजना के अन्तर्गत कुल ६३५ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इनमें से १९ कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं तथा ७७ पिछड़ी जाति के हैं।

श्री रामवचन यादव---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन ६३५ कर्मचारियों में से १८ प्रतिशत के हिसाब से ११० अनुसूचित जाति के कर्मचारी लिये जाने चाहिये थे, केवल १९ ही लिये गये, इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---विभिन्न कैटेगरीज के लोग लिये गये थे और उनमें इतनी संख्या में वे नहीं मिल सके।

श्री रामवचन यादव---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो चपरासी लिये गये हैं वे कितने लिये गये हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह आंकड़े तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन चपरासियों में जरूर लिये गये होंगे।

*४०-४१---**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२---**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)---[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में परती जमीन

*४४---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कुल परती जमीन कितने एकड़ में है, और प्रत्येक तहसील में कितनी परती जमीनों का रकबा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला गोंडा में कुल १,६४,८७० एकड़ परती भूमि है जिसकी तहसीलवार तफसील निम्नलिखित है :—

तहसील	भूमि एकड़ में
गोंडा	४४,४२४
तरबगंज	६३,६७६
उतरौला	२३,४८८
बलरामपुर	३३,२८२
योग	१,६४,८७०

*४५—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में अब तक भूमि प्रबंधक समितियों द्वारा कितनी परती भूमि का, कितनी आबादी भूमि का एवं असामी को दी जाने वाली भूमि का, प्रत्येक तहसील में बन्दोबस्त किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला गोंडा की प्रत्येक तहसील में भूमि प्रबंधक समितियों द्वारा बन्दोबस्त की गयी भूमि का विवरण निम्नलिखित है :—

तहसील	परती भूमि	आबादी भूमि	असामी भूमि	योग
	(एकड़ों में)			
गोंडा	६३	..	६८	१३१
तरबगंज	१०६	..	..	१०६
उतरौला	११०	१५	१०	१३५
बलरामपुर	१०१.१०	..	७८.३३	१७९.४३
कुल योग	३८०.१०	१५	१५६.३३	५५१.४३

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो परती भूमि का आंकड़ा सरकार ने दिया है उस पर ग्रामवासियों ने कब्जा कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सूचना तो नहीं है, लेकिन अगर कर लिया गया होगा तो उन पर कार्यवाही की जा रही होगी ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को यह भी पता है कि इन परतियों पर जबरदस्ती कब्जा करने वालों का पटवारियों के कागजात में कोई रिकार्ड नहीं है, और आजकल ग्राम सभा के सभापति उन जमीनों को अपने नाते-रिश्तेदारों को दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह सूचना है, प्रश्न नहीं है । आप कृपा करके भेज दीजियेगा ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना प्राप्त हुयी कि परती भूमि के सम्बन्ध में जो जबरन कब्जे किये गये हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने में आर्थिक कमजोरी की वजह से गांव सभा के सभापति अपने को मजबूर पाते हैं ?

श्री चरणसिंह---यह बात ठीक है। कहीं-कहीं ऐसा है लेकिन अब उम्मीद यह की जाती है कि धीरे-धीरे उनकी आमदनी बढ़ जायगी और वे अपनी जमीन का इंतजाम अच्छी तरह से कर सकेंगे। जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है उनके खिलाफ सरसरी कार्यवाही करने का कानून बन गया है और उसके मातहत बड़ी भारी नालिश करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार करेंगे जिससे उस गांव समाज की सम्पत्ति की रक्षा हो, और शीघ्रातिशीघ्र सस्ते न्याय में वह जमीन ग्राम सभा को प्राप्त हो जाय ?

श्री चरणसिंह---जहां तक गांवों का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था एक समरी रेमेडी, यानी सरसरी कार्यवाही करने का अधिकार दफा ११२ (अ) के अधीन गांव के सभापति को है। वह दरख्वास्त दे डिप्टी कलेक्टर को और वह जमीन उसको वापस दिला दी जायगी। दूसरे फरीक को शिकायत हो तो वह बतौर मुद्दई बन कर अदालत में दावा दायर करेगा। जब जाड़े के दिनों में एस० डी० ओ० और कलेक्टर दौरे पर गये थे, उनको हिदायत दे दी गयी थी कि इस तरह की जमीन की रक्षा होनी चाहिये और ट्रेसपासर के कब्जे से निकाल कर उस गांव वालों को दे दी जाय। तीसरी बात यह रहती है कि गांव पंचायतें और गांव समाज अपने अधिकारों को समझें। जब तक इसमें नान-आफिशल अटेम्ट नहीं होगी तब तक इसमें शत् प्रतिशत कामयाबी हो जाय, यह नामुमकिन है।

मार्च मास में ओला वृष्टि से हानि

*४६---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ९ एवं ११ मार्च की ओला वृष्टि की रिपोर्ट उन तमाम जिलों से, जहां कि यह ओला वृष्टि हुयी थी, आ गयी है ? यदि हां, तो प्रदेश में रबी की फसल को कितनी हानि पहुची है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। ९ एवं ११ मार्च को हुयी ओला वृष्टि की रिपोर्ट प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, झांसी जौनपुर तथा आजमगढ़ जिलों से आ गयी है। इन जिलों में कुल ७२२ गांवों में फसल को कम व बेश हानि पहुंची। इनमें से ३६० गांवों में फसल को ८ आने से अधिक की हानि पहुंची।

*४७---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया क्षति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मांगी गई सूचना मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट ७३ पर)

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में ओला वृष्टि हुयी है और उसकी रिपोर्ट सरकार को हुयी या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, हुयी है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हमीरपुर जिले में ओलावृष्टि ९,११ तारीख को हुयी और अगर हुयी तो वह कुल कितने गांवों में हुयी और औसतन क्या नुकसान हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हमीरपुर जिले में १६५ गांवों में कुल ओला पड़ा है, जिसमें ११९ गांवों में आठ आना के ऊपर नुकसान हुआ है और बाकी ४६ गांव ऐसे हैं जिनमें ६ आना से कम नुकसान हुआ है।

नोट---तारांकित प्रश्न ४६-४७ श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहसीलों में कितने गांवों में ओला पड़ा और कितने का नुकसान हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आजमगढ़ जिले में ३६ गांवों में ओला पड़ा और इन ३६ गांवों में आठ आने से ऊपर का नुकसान हुआ।

श्री रामवचन यादव---क्या सरकार बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले में फूलपुर तहसील के कितने गांवों में ओला पड़ा ?

श्री चरण सिंह---तहसीलवार तो आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। अन्दाजन जितना ओला वहां पर पड़ा है वह सब घोसी तहसील में था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास नैनीताल जिले के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आयी है, अगर हां, तो किस तहसील में कितने गांवों को नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---१२१ गांवों में ओला पड़ा है। १९ गांव में आठ आने से ऊपर का नुकसान हुआ है और बाकी १०२ में ६ आने से कम नुकसान हुआ है।

श्री शिवनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सारे प्रान्त में कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ, इसकी डिटेल बतलायी जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नुकसान की तो रकम मेरे पास है नहीं लेकिन गांवों की संख्या है। जो रिलीफ दी गयी है। वह है अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं बतला सकता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ९ और ११ तारीख के अलावा २२ तारीख को ओला वृष्टि हुयी ? क्या उसकी रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने जो अभी गांवों के नाम बताये वे ९ और ११ तारीख के ही थे।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देवरिया जिले की किन-किन तहसीलों में ओला पड़ा और कितने गांवों को नुकसान हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसीलवार कोई रिपोर्ट है ही नहीं, और न तहसीलें बतलायी ही जा सकती हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले में कितने गांवों में ओला पड़ा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---देवरिया की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

तराई भावर तथा रुहेलखंड डिवीजन में सरकार द्वारा गन्ना पेरने की उचित व्यवस्था न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव नारायणदत्त जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है---

"प्रदेश के तराई भावर और रुहेलखंड डिवीजन के गन्ने के क्षेत्रों में लगभग १ करोड़ मन गन्ना खेतों में आज भी खड़ा रहने और सरकार द्वारा उसके पेरे जाने की कोई व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न अत्यन्त गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन का आज का कार्य स्थगित किया जाय।"

इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि करीब २० सेंटर्स में वह जाकर हो आये हैं, और उसकी जो रिपोर्ट है वह मेरे पास कल भेज देंगे। इसलिये मैं कल ही इस प्रश्न को लूंगा और मैं समझता हूं कि वे दो एक नकलें भी मेरे पास भेज देंगे जिससे एक नकल सरकार के पास भी भेजी जा सके। इस विषय में सरकार को जो सूचना देनी है वह तय हो जाने के बाद सदन को सूचना दे दी जायगी।

नवाब मुहम्मद यूसुफ के निधन पर शोकोद्गार

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, जहां तक मैं समझता हूं कि इस सदन के मेम्बरान को मालूम होगा कि नवाब मुहम्मद यूसुफ साहब का इन्तकाल हो गया है। नवाब मुहम्मद यूसुफ साहब हमारे इस सूबे के उस जमाने में, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, मिनिस्टर थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट और पी० डब्लू० डी० का काम उन्होंने बहुत अर्से तक किया और मिनिस्टर भी, मेरे खयाल में १२-१३ बरस तक रहे। जहां तक मिनिस्टरी के काम का ताल्लुक है, चूंकि उस जमाने में मिनिस्टरों को काम के करने की कोई आजादी नहीं थी और कोई अख्तियारात नहीं थे, इसलिये मैं उसके मुताल्लिक कहने की कोई जरूरत नहीं समझता हूं कि बहैसियत मिनिस्टर के उन्होंने क्या-क्या किया। नवाब मुहम्मद यूसुफ साहब हमारे सूबे के बहुत ही मशहूर खानदान के और बहुत ही मशहूर, काबिल वकील के बेटे थे और इस कदर शरीफ और माकूल आदमी थे कि उनसे मिलकर हर आदमी खुश होता था, और उनके अखलाक से उनकी इज्जत कायम होती थी। मैं उनसे सन् २० से वाकिफ था, और जब से कि मैंने यहां काम करना शुरू किया उस वक्त से बराबर मेरे व उनके दरम्यान एक खास किस्म के ताल्लुकात रहे, जैसे एक मेम्बर और एक मिनिस्टर के दरम्यान रहते हैं। मैंने उनको करीब से भी इस मानें में देखा कि कुछ उनके खानदानी मामलात की निस्बत मुझको भी मालूमात हो सकी थी। लेकिन मैंने उनकी हर बात में यह देखा कि नवाब साहब अपने आपको हिन्दी में मालूम नहीं क्या कहूं, वह अपनी जात को बिल्कुल रस्ब करने वाले थे, और अपने अखलाक की बिना पर वह बमुकाबिले अपने, दूसरों का ज्यादा खयाल करने वाले थे और अपने अखलाक की बिना पर ही उन्होंने आखिर में बहुत तकलीफ उठाई।

एक तो उन्हें शकर पहले से आती थी, और यह शकर का मर्ज ऐसा है जिस की निस्बत हर शख्स जानता है कि उससे यकलख्त मौत वाके हो जाती है, और इस तरह की बीमारी जब बढ़ जाती है तो खिलाफ तवक्को किसी वक्त मौत वाके हो सकती है। उनको बहुत दिन से शकर आती थी और ग्लूकोमा की वजह से भी वह पिछले ३ सालों में आंखों से बिलकुल माजूर रहे और देख सकने काबिल भी वह नहीं रहे। उनको तकलीफ भी बहुत थी और सदमा भी बहुत था और इस वजह से भी यानी बीमारी और आंख जाती रहने की वजह से उनको इधर ऐसी नाकाबिले बरदाश्त तकलीफ रही कि जिसका जिक्र करना भी बहुत मुश्किल है और वह दिल को दुखाने वाली बात है। अभी जब ३ दिन पहले हम असेम्बली के गैप के लिये उठे थे उसी दिन शकर के मर्ज का दौरा पड़ने की बिना पर यकलख्त उनका इन्तकाल हो गया। वह चूंकि एक बहुत ही माकूल और शरीफ इंसान थे और उन्होंने कुछ न कुछ खिदमत इस सूबे की की थी, इसलिये मैं जनाब से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस सदन की तरफ से उनके खानदान वालों को एक सोगवारी का पैगाम भेज दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर तकलीफ हुई कि नवाब मुहम्मद यूसुफ साहब का इंतकाल हो गया । जिस जमाने में वे लोग सार्वजनिक काम करने का साहस करते थे वह उनके लिये एक तारीफ की बात है । जबकि सार्वजनिक काम करने का मुआवजा हमारे देश में बहुत महंगा पड़ता था, उस जमाने में भी वे लोग उस वक्त की हुकूमत से भी कोआपरेट करके उस से कुछ उम्मीद करते थे कि देश का वह कुछ भला कर सकें । उनकी इस हिम्मत की तारीफ ही की जा सकती है। वह बहुत ही पुराने आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे । अगर हमारे देश में यह बुजुर्ग लोग बहुत दिनों तक रहते रहें तो उनकी सलाह और तजुर्बे से देश लाभ उठा सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग अब नहीं रह पा रहे हैं। और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूं कि जिस अवस्था में वह थे उसमें उस तकलीफ की जिन्दगी से उनको राहत हुई। यह चाहना कि वह हमारे सुख और सुविधा के लिये अधिक दिनों तक अपनी तकलीफ बरदाश्त करते रहते, हमारे लिये तो वह एक स्वार्थ की बात होती । मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी के ख्याल से इत्तफाक करता हूं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे सब साथियों की तरफ से भी उनके खानदान के जो लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, उनको सम्वेदना भेज दें, और हम उनके प्रति सम्वेदना भेजते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको इस तकलीफ में आराम पहुंचाये।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाब मुहम्मद यूसुफ के निधन को सुनकर हम सबको अत्यन्त दुख हुआ । उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं थी लेकिन जो ख्याल हमारे माननीय वित्त मंत्री ने व नेता विरोधी दल ने प्रकट किये, उनसे मैं सहमति प्रकट करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे दल की ओर से उनके संतप्त परिवार को सम्वेदना प्रकट की जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाब साहब से मेरा कोई निजी परिचय नहीं था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल और संयुक्त दल की तरफ से जो भावनायें प्रकट की गई हैं, उनसे मैं सहमति प्रकट करता हूं और साथ ही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनके लिये कंडोलेंस का प्रस्ताव भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—नवाब मुहम्मद यूसुफ साहब की ३ तारीख की रात को मृत्यु हुई, अखबार में यह पढ़ कर मुझे उसका बहुत दुख हुआ था और जो भावनायें सदन की ओर से अभी व्यक्त की गई हैं उनके सम्बन्ध में उनसे मैं अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करता हूं । मेरा और उनका परिचय, हाफिज साहब के परिचय से, मैं समझता हूं कि कुछ पहले का है । वह जब यहां के मंत्री थे लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के, तब वे झांसी पधारे थे । मैं उस समय वहां का चेयरमैन था । उस वक्त का मुझे यह स्मरण है कि वे कितने उदार दिल के थे और कोई भी उनके दिल में छल, कपट या द्वेष नहीं रहता था । हमारा बोर्ड ऐसा था जिसमें बहुत कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ और भी लोग थे जो नवाब साहब से खासतौर पर प्रेम रखते थे । तो उन्होंने प्रस्ताव मेरी गैर हाजिरी में उनको मानपत्र देने के लिये पास कर दिया । जब मैं लौट कर आया तो मैंने कहा कि यह तो हम लोगों के सिद्धांत के खिलाफ है कि किसी गवर्नमेन्ट के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री को मानपत्र दिया जाय । इसलिये मानपत्र देने के समय मैं उपस्थित नहीं हुआ और मैंने उन्हें पत्र लिखा कि मैं कोई जाती तौर पर आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किसी गवर्नमेन्ट के मंत्री को मैं मानपत्र दे नहीं सकता हूं । इसलिये सीनियर वाइस-चेयरमैन देंगे । उन्होंने उस पत्र का जो उत्तर दिया, मुझे उसका कुछ स्मरण है, वह इस प्रकार था "कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि शाम को जो पार्टीज और दूसरी जगहें हो रही हैं उसमें मैं आपसे नयाज हासिल कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे सोशल फंक्शंस हैं।" मैं उनमें से एक में गया। बड़ी मुहब्बत के साथ उन्होंने मुझे बुलाकर, पास बैठा कर, बातें कीं और उस वक्त से मैंने देखा कि जब-जब वह मिले, चाहे मैं जौनपुर गया होऊं या और कहीं भी, तो उन्होंने मिल कर बातें करने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की । मैं उनके घर पर भी आमन्त्रित हो चुका हूं। इस तरह की तबियत के वे थे ।

जिन लोगों ने इस सदन में उनके भाषण सुने हैं, वे जानते हैं कि उनके ख्यालात के पीछे कितना फिलासफिकल माइंड था। चाहे उनकी बहुत सी बातों से लोग सहमत हों या वे बातें समझ में आयें या न आयें, लेकिन यह बात जरूर थी कि उनका एक नुक्ते निगाह दुनिया को देखने का खासतौर का था और सबसे मुहब्बत करना चाहिये, इसका उनको हर समय ख्याल रहता था। इसी सिद्धांत को वह प्रीच किया करते थे। लेकिन ऐसे अच्छे खानदान के मिलनसार, उदार हृदय, फैयाज तबियत व्यक्ति का इस जमाने में यह हश्र होना कि आखिर में नवाबी के बाद, गरीब की जिन्दगी बसर करना पड़े और बीमारी में भी कई वर्ष तक उन्हें दुख होता रहे और तकलीफ होती रहे, तो उससे छुटकारा पाना उनके लिये अच्छा ही हुआ । लेकिन जिस प्रेम से उन्होंने हम सब के हृदयों को बांध लिया था उसकी वजह से हमको दुख होना भी स्वाभाविक है और हम तो यही चाहते थे कि उनके तजुर्बे से, अपने समाज को और अधिक समय तक लाभ मिले और हमारे देश की वह अधिक सेवा कर सकें । यह बात न होनी थी और वह चले गये। तो जो दुख हम सब को हुआ है उसका जिक्र उनके कुटुम्बियों के पास मैं भेज दूंगा और इस सदन की संवेदना और अपनी जाती संवेदना भी।

मैं आशा करता हूं कि अब उनकी आत्मा की शान्ति के लिये सदन एक मिनट के लिये खड़ा होकर परमात्मा से प्रार्थना करेगा ।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष--अब वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, पहले तो मैं आपको जरा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आवश्यकता से अधिक समय मैं इस सदन का नहीं लूंगा ।

पिछले दिन इस विभाग के पक्ष में बोलते हुये मैंने यह दिखाने की चेष्टा की थी कि किस प्रकार गलत आंकड़े और गलत ढंग की दलीलें देकर इस बात की कोशिश की गयी थी कि साबित किया जाय कि यह विभाग अनावश्यक है और बिक्री कर के बढ़ाने से इस प्रदेश का बहुत नुकसान किया गया है । माननीय तिवारी जी को मालूम है कि उनका एक भी आंकड़ा गलत नहीं है ।

---

*२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

मैं आग्रह और दुराग्रह की बात छोड़ कर केवल यह निवेदन करूंगा कि मैंने उसके जवाब में जो आंकड़े पेश किये थे उनमें एक रत्ती भी गलत नहीं है। यह जरूर है कि उन आंकड़ों के कहने में जल्दी में शायद एक आध चीजें, जैसा कि मैं ने उस छपी हुयी रिपोर्ट में भी देखा था मैं गलत कह गया या गलत छपा। मैंने यह निवेदन किया था कि स्माल सेविंग्ज के जो आंकड़े हैं, वह मंथली बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक से लिये गये हैं। वह उससे नहीं हैं। प्लानिंग विभाग के स्माल सेविंग्स के मुहकमें की विज्ञप्ति संख्या ९०५, जो २८ फरवरी को प्रकाशित हुयी है, उसमें से मैंने आंकड़े दिये थे। यों तो छपने छपाने में जो कुछ हो गया वह हो गया। लेकिन श्रीमन्, यदि सदन के उस ओर बैठे लोग या इधर के भी कुछ साथी मेरे निवेदन पर जरा गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंगे तो उन्हें प्रतीत होगा कि इधर-उधर के एक दो आंकड़े उठाकर इस सदन के सामने पेश कर देने से ज्यादा सफाई नहीं होती। मैंने निवेदन किया था कि कमीशन एजेन्ट्स पर बिक्री कर नहीं लगता, यह शायद तिवारी जी को नहीं मालूम। यदि यह उनको मालूम होता तो वह कदापि न कहते कि खाद्यान्न की बिक्री पर ४ मर्तबा कर देना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से खींचातानी करने पर यदि मल्टिपिल प्वाइन्ट रहे भी तो तीन सूत्री से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता और ज्यादा से ज्यादा दो पर लगेगा, यही मैं उस दिन कह रहा था। और साथ ही मुझे खेद है कि श्रीमन्, इस समय माननीय पालीवाल जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। लेकिन मैं तिवारी जी को दो, तीन बात पहले और बता दूं। उन्होंने शिकायत की थी कि आखिर सेल्स टैक्स कमेटी है, इकोनामी कमेटी है, इन कमेटियों के रहते हुये गवर्नमेंट कर क्या रही है। जो सेल्स टैक्स कमेटी है, उसकी जो रचना की गयी है वह तिवारी जी को श्रीमन्, इस सदन में सबसे काफी अच्छी तरह मालूम है और यही नहीं, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जिस समय सेल्स टैक्स कमेटी की रचना की उन्होंने उसके दो टुकड़े कर दिये। एक टुकड़ा इसलिये किया गया कि वह देखें कि किन चीजों पर कर लगे और किन पर न लगे और दूसरा टुकड़ा इसलिये किया गया कि वह यह देखे कि जनता को इस टैक्स के लगने की वजह से, कानूनी दिक्कतों के कारण, दफ्तर की बदइंतजामी के कारण, सेल्स टैक्स के आफिस में भाग दौड़ के कारण क्या-क्या परेशानियां होती हैं और इन कमेटियों के चेयरमैन विरोधी दल वाले बनाये गये। उनके जिम्मे यह काम किया गया कि आप इन चीजों का फैसला करें। उस कमेटी की रिपोर्ट जिस कमेटी को इस बात का फैसला करना था कि किन २ चीजों में कहां-कहां दिक्कतें होती हैं जनता के सम्पर्क में आने के कारण सेल्स टैक्स विभाग के द्वारा उनकी जांच की जो रिपोट होगी वह तिवारी जी जो उसके सदस्य हैं उनको मालूम होगा कि काफी जांच करने के बाद भी वह कमेटी गवर्नमेंट को आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी। और यदि वह कमेटी उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को न दे सके तो फिर अगर गवर्नमेंट को अपने प्लानिंग के काम के लिये रुपया चाहिये तो फिर किसी कमेटी की रिपोर्ट के लिये कब तक वह इंतजार करे, यह सोचने की बात है। और दूसरी बात श्रीमन्, वह भी बड़ी साफ बात है, ज्यादा सफाई से उसे निवेदन नहीं किया जा सकता है वह इकोनामी कमेटी के सिलसिले में है। इकोनामी कमेटी काम कर रही है और उसने जो भी काम किया है वह सदन के सामने आवेगा और आता भी जायगा, उसकी बहुत सी सिफारिशें इधर-उधर से कुछ इम्प्लीमेंट भी होती चली जा रही हैं। लेकिन इकोनोमी कमेटी के पास एक चीज जो सबसे अहम सबसे जरूरी है शायद जिसके बारे में काफी नुक्ताचीनी की जाती है वह है जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे के बारे में और प्लानिंग डिपार्टमेंट के खर्चे के बारे में। श्रीमन्, इसके बारे में जांच करने के लिये एक उप-समिति बना दी गयी और उसमें उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही काफी बड़े आई० सी० एस० को रखा गया है और उनके साथ नत्थी किया गया हमारे विरोधी दल के उप-नेता को और इन लोगों ने उसकी जांच की। जांच करके रिपोर्ट भी दे दी है और शायद उस रिपोर्ट को जब कभी सदस्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा, मालूम पड़ेगा कि जब जांच करने के सिलसिले में आदमी बैठता है तो कितनी चीजें सामने आती हैं और जिन बातों को यहां आसानी से कहा जाता है उनका इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होता है।

श्रीमन्, माननीय पालीवाल जी ने इस सदन के सामने कुछ आंकड़े पेश कर दिये, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सिलसिले में और यह कहा कि अगर इसमें से इतनी कटौती कर दी जाती तो जरूर गवर्नमेंट के पास इतने करोड़ रुपये आ जाते। उन्होंने कुछ परसेंटेज कटौती की बात कही थी। इकोनामी कमेटी के पास पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पुलिस का मुहकमा, इर्रीगेशन का मुहकमा, यह सब जिसके पास है श्रीमन्, उसका चेयरमैन मैं हूं और उस कमेटी के सामने भी यह चीजें आयीं और माननीय पालीवाल जी के बहुत पहले श्री श्रीचन्द्र जी, जो इधर बैठते हैं उन्होंने भी इस चीज को रखा था कि देख लिया जाय कुछ परसेंटेज की कटौती की जा सकती है या नहीं और उन्होंने हिसाब भी लगाया था कि डेढ़ करोड़ २ करोड़ बच सकता है। बहुत छान बीन करायी गयी, काफी खोज की गयी और नतीजा यह निकला, जानकारी यह हासिल हुयी कि ऐसा नहीं हो सकता। सीमेंट की जगह अगर बालू न लगाया जाय, काम को खराब न किया जाय तो इस प्रकार की कमी नहीं की जा सकती और कहता कौन है इसको श्रीमन्, माननीय पालीवाल जी, जिन्होंने कि १९४८ में इस बात का पता नहीं लगाया कि इसमें किसी प्रकार की परसेंटेज में कमी हो सकती है, जिनको इस बात की जानकारी न हो सकी अब हुयी। लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि हमको इसकी जानकारी इस चीज की जानकारी काफी है, मद्रास की जानकारी हमें है श्रीमन्, कि मद्रास में जो खर्चा होता है इस्टैब्लिशमेंट का दफ्तर का, वह उस अनुपात में जितना काम किया जाता है, रेट आफ एक्सपेंडीचर आन इस्टैब्लिशमेंट इन रिलेशन टु दी आफ एक्सपेंडीचर आन दी वर्क्स, जो काम किया जाता है उस काम के मुकाबिले में दफ्तर के ऊपर कितना खर्चा होता है, श्रीमन्, मद्रास में वह है १५ फीसदी। जो खर्चा होता है वहां सारे काम पर उसमें दफ्तर का खर्चा, इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा १५ फीसदी होता है। बम्बई में वह २१ फीसदी होता है और मध्यप्रदेश में २० फीसदी। उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, केवल ६.३ फीसदी है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ ६.३ प्रतिशत। अब आप मद्रास का देख लीजिये, बम्बई का देख लीजिये और उत्तर प्रदेश का देख लीजिये और अब बताइये कि उत्तर प्रदेश के खर्चे में कितना घटायेंगे और उस हालत में जो बड़ी तारीफ की चीज है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में वह यह है कि आज के कुछ साल पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यहां का एक करोड़ रुपये से कम का काम करता था और उस वक्त में जबकि १ करोड़ से कम, १९४५ में से उस वक्त के जमाने तक यानी माननीय पालीवाल जी के मंत्री होने के जमाने तक वह जितने कम काम करता था, उस समय जितना काम करता था उसका १२ फीसदी खर्च करता था अपने दफ्तर के ऊपर। उस समय १२ फीसदी अपने दफ्तर के ऊपर खर्च करता था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो उस समय तो कमी नहीं की गयी और आज जब कि १ करोड़ रुपये से कम खर्च करने वाला मुहकमा अब १५ करोड़ रुपये का साल का खर्चा कर रहा है, उस समय से उसका खर्चा ०.७ परसेंट सिर्फ बढ़ा है और बढ़ने के अलावा काम के मुकाबिले में जो खर्च घटता गया यानी इस्टैब्लिशमेंट का रेशियो तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में पी० डब्ल्यू० डी० का जो मुहकमा है उसका दफ्तर का खर्च सिर्फ ५ फीसदी रह गया है १२ फीसदी से घटकर सिर्फ ५ फीसदी रह गयी है। तो यह तो तारीफ की बात थी कम से कम एक भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से कहने की बात थी कि जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पहले १२ फीसदी खर्च करती थी उसने उसे घटाकर ५ फीसदी तक पहुंचा दिया। इस तारीफ की बात के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मुझे श्रीमन्, इसी सिलसिले में यह देखकर और दुख हुआ और कम से कम सुनकर दुख हुआ, और बातें की जातीं तो की जातीं, सबसे बड़ी शिकायत पंचवर्षीय योजना की कर दी गयी और उस पंचवर्षीय योजना की शिकायत इस सीमा तक की गयी कि यह समझा दिया गया कि देखो यह पंचवर्षीय योजना ऐसी है, जिसकी शिकायत फलां आदमी ने की है, फलां ने इसकी बुराई की है। आज ऐसी बात माननीय राजनारायण जी कहते तो कोई शिकायत नहीं थी। भाई जय प्रकाश नारायण, श्री अशोक मेहता कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना की बहुत सी चीजें अच्छी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन है कि

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छी है, समाजवाद की ओर ले जाती है, इसलिये इसमें सहयोग देना चाहिये। इन सब चीजों का जो पालीवाल जी के तर्क थे उन सब का एक बहुत अच्छा जवाब ११ मई के नेशनल हेराल्ड ने दिया है। उसने लिखा है कि सोशलाइजेशन के लिये, सोशलिज्म के लिये समाजवाद के लिये यह पंचवर्षीय योजना बहुत ही अच्छी है। उस योजना के लिये किसी एक मेम्बर की तकरीर किसी एक मेम्बर के नोट को लेकर इस सदन में किसी भूतपूर्व वित्त मंत्री का यह कहना कि योजना बहुत दोषपूर्ण है, यह एक बड़े दुख की बात है, कष्ट की बात है, संकोच होता है कहने में कि एक ऐसी बात है जिसे कैसे कोई भूतपूर्व मंत्री कहता है। लेकिन साथ ही श्रीमन्, उस योजना की बातों को कोई दिल और दिमाग में रखे तो हिम्मत भी एक बार अनायास नहीं हो सकती कि कोई कहे कि वह योजना गलत है। जिस योजना ने आज ८ अक्तूबर, १९५३ में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू किया और अक्तूबर, १९५३ से लेकर मार्च, १९५६ के बीच में ८२५ क्षेत्रों में सामूहिक विकास का काम चालू कर दिया। जिस योजना के अन्तर्गत ६,२२,००,००० गांव के रहने वाले ढाई वर्ष के भीतर फायदा उठाने लगे, जिस योजना के अन्तर्गत हमने ९१,९९२ गांवों में काम शुरू कर दिया, अब उस योजना को कोई आदमी इस सदन में आकर यह कहे वह योजना अनुचित है, अवांछनीय है या निकम्मी है, तो यह सब दुःख होता है कहने वाले के मन को चोट होती हो या नहीं। लेकिन यह जरूर है कि इस योजना के सम्बन्ध में शिकायतें बहुत से लोगों ने की हैं। कुछ इसके वर्किंग के बारे में, काम करने के तरीकों के बारे में हमारे बड़े मित्र मेम्बर गौतम जी को भी शिकायत है। मैं जानता हूं कि कुछ उनको चोट है इससे, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि वह जरा गौर से सोचें। एक बात उन्होंने इस सदन के सामने कही कि प्लानिंग मिनिस्टर जहां जहां जाता है और जिलों में जाकर अपने डिस्क्रिशन पर रुपया बांट देता है। बाकी और जिले जो छूट जायेंगे, रह जायेंगे, उनका क्या होगा? मैं नहीं जानता कि एक भूतपूर्व मंत्री को कैसे जानकारी हो गयी कि प्लानिंग मिनिस्टर के पास कोई डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट है। उनके पास तो एक पैसे की भी ऐसी ग्रान्ट नहीं है कि एक पैसा भी डिस्क्रेशन पर दे सकें। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और प्लानिंग का मुहकमा इसको खर्च करेगा। लेकिन वर्तमान मिनिस्टर कैसे देता है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के लिये कुछ रुपया रखा कि जहां जहां बाढ़ आयी हो वहां पर जो जरूरी काम हो उसमें यह रुपया खर्च किया जाय। इसके लिये एक चीफ मिनिस्टर फंड के नाम से फंड रखा गया। उसमें मंत्री को अधिकार है कि अगर कोई मंत्री जाय तो ज्यादा बाढ़ के क्षेत्र में जाय और किसी काम की ऐसे क्षेत्र में आवश्यकता हो तो दे दिया जाय। उस काम को यदि प्लानिंग के मुहकमे का काम कह दिया जाय या उस फंड को प्लानिंग से संबंधित फंड कह दिया जाय तो ज्यादती होगी। लखनऊ को एक पैसा नहीं मिला है, कानपुर को एक पैसा नहीं मिला है। यदि किसी ऐसे जिले को पैसा मिला हो जहां बाढ़ न आयी हो तो उसके लिये पता लगाना होगा कि कहां से आया है। जो चीज प्लानिंग कमेटी करती है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया।

एक चीज की यहां पर बड़ी भारी मांग की गयी है कि हर जिले में इस प्रकार के अनुसंधान की क्या जरूरत है, खोज की क्या जरूरत है कि वह यह मालूम किया जाय कि जिले की परिस्थिति क्या है? मैं श्रीमन्, आज से १३-१४ साल पीछे की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री और ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं हैं—डा० छिब्बर। डा० छिब्बर ने इस बात की अपील की कि कुछ लोग सामने आवें और आकर के उत्तर प्रदेश के हर एक जिले की छान बीन तो करा लें कि हर जिले में क्या क्या कितनी कितनी पैदावार है और कितनी आमदनी है, कितने लोग रहते हैं। इस खोज का नतीजा यह होगा कि यह मालूम हो सकेगा कि हर एक जिले में क्या काम करना चाहिये और वहां की तस्वीर तैयार करने में डा० छिब्बर ने बड़ी मेहनत की। उसके लिये लोगों ने पैसा चंदा किया, कुछ रुपया दिया। एक महाशय को मैं जानता हूं कि उन्होंने कई हजार रुपया अपनी

जेब से निकाल कर खर्च किया और ३८ जिलों की रिपोर्ट डा० छिब्बर ने तैयार की। उसमें उन्होंने यह लिखा कि बहुत मेहनत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उत्तर प्रदेश की उन्नति तभी होगी जबकि हर एक जिले की ऐसी रिपोर्ट बनायी जाय। मेरी रिपोर्ट अभी मुकम्मिल इसलिये नहीं है कि गवर्नमेंट लेविल पर यह तैयार नहीं हो सकी और बिना गवर्नमेंट के इस चीज को अपने हाथ में लिये काम पूरा नहीं हो सकेगा। उस समय सन् ४३ में जब यह रिपोर्ट बनी तो उस समय यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और विदेशी सरकार को उससे कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी इस बात को न मानने के लिये कि उद्यो-गधंधों की तरफ से एक आफिसर ऐसा मुकर्रर कर दिया जाय कि जो पूरी पूरी छान-बीन करके बतावे और हमेशा ऐनेलेसिस करता रहे कि इस जिले में क्या होता है और क्या शिकायत है और क्या हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह बात जरूर है कि कोई चीज आज अगर कह दी जाय तो अच्छी है, कल कह दी जाय तो बुरी है, इस तरह की दलीलों से कभी भी इस देश को पनपाया नहीं जा सकता यह तो बहुत सही है, बहुत आसान है किसी के लिये कह देना कि हम न चैन लेंगे और न चैन लेने देंगे। जब से सभ्यता बनी है, जिस दिन से समाज का उदय हुआ है उस दिन से हमेशा एक तबका रहा है जो सत्कार्य करता रहा, अच्छे काम करता रहा, लेकिन अच्छे काम करने में न उसे चैन मिली और न लागों ने उसे चैन लेने दिया। एक तबका सत्कार्य करता है तो दूसरा तबका जरूर ऐसा होता है जो उस सत्कार्य में बाधक होता है, उसे नहीं करने देता लेकिन यह तो सिद्धान्त की बात हुयी, परिस्थिति आज यह है कि हम जब खुद उस काम को करते हैं तब अच्छा समझते हैं और जब दूसरा करता है तो बुरा समझते हैं। माननीय पालीवाल जी परसों भी जब मैं बोला था तब भी यहां नहीं थे और आज भी नहीं है। लेकिन जिस समय बिक्री कर का बिल पेश हुआ था उस समय माननीय पालीवाल जी ने बिक्री कर लगाये जाने के लिये क्या कहा था आपकी अनुमति से मैं उसे जरा पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :—

> "प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिये एक विस्तृत योजना आरम्भ की है। साथ ही साथ मद्यनिषेध के कारण आबकारी विभाग की आय धीरे-धीरे घट जाने की संभावना है। उक्त दोनों कारणों से और इस कारण से भी कि दूसरी दिशाओं में सरकार के कार्यों का प्रसार हो गया है जिनसे व्यय बहुत बढ़ गया है, यह आवश्यक हो गया है कि अतिरिक्त कर लगाकर प्रान्त की आय बढ़ायी जाय। माल की बिक्री पर कर अतिरिक्त आय का बड़ा अच्छा साधन है। यह कर अन्य प्रान्त लगा चुके हैं और अनुभव से पता चला कि उपभोक्ता पर इस कर का भार केवल नाममात्र पड़ता है यह सरकार भी प्रान्त में माल की बिक्री पर कर लगाना चाहती है"

जो तर्क, जो दलीलें प्रान्त के विकास के लिये, देश के विकास के लिये कि बिक्री कर लगाया जाय और इसलिये कि सरकार को कुछ आमदनी करनी है, इसलिये लगाया जाय कि सरकार को डेवलपमेंट के कार्यों के लिये कुछ रुपये चाहिये यह दलीलें उस वक्त के लिये बहुत अच्छी थीं। अब प्रान्त का विकास हो गया है, प्रान्त का डेवलपमेंट हो गया है अब जितनी चीजें हैं वह सब पूरी हो गयी हैं। अब न तो इस सरकार को रुपया चाहिये और न अब कर लगाने की जरूरत है, यह तो तर्क है। अब मैं पूछूं और श्रीमन्, पूछूं किससे, जवाब कौन देगा, मैं जानना चाहता हूं और उस दिन भी मैंने कहा था कि १२ हजार रुपये का टर्नओवर ३३ रुपये कुछ आने कुछ पाई जो कि १९४८ के जमाने में सही बैठता था लेकिन आज वही सही नहीं बैठता। उस वक्त इस पर बहुत बहस की गयी, पालीवाल जी से काफी बहस की गयी, अजित प्रसाद जी जैन ने काफी तर्क किये थे कि २० हजार का टर्न आवर रखो लेकिन उन्होंने नहीं माना था और उसको अस्वीकार कर दिया था और १२ हजार रुपये उन्होंने रख दिया। तो उस समय तो वह हद ठीक थी, यही नहीं बुलियन और स्पेसीज पर चार आना किसने लगाया था, पालीवाल जी ने और श्रीमन्, अगर मैं जरा और आगे बढ़ जाऊं और पूछूं और अपनी जानकारी के आधार पर पूछूं क्योंकि सरकारी तौर पर मैं नहीं पूछना चाहता कि यह बिल उस समय बनाया पालीवाल जी ने। उस बिल में उन्होंने गन्ने पर कर

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

लगाया था, और यही नहीं श्रीमन्, खाद्यान्न पर जो उन्होंने बिक्री कर लगाया था खाद्यान्न पर जो कर था, वह सेलेक्ट कमेटी में जाकर काफी बहस मुबाहिसे के बाद वहां से जाकर हटा, शालीवाल जी ने, तो लगा दिया था जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं समझी थी कि किसके ऊपर कर का बोझ पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता और एक बात और श्रीमन् जिस समय वह बिक्री कर श्रीमन्, सेलेक्ट कमेटी से निकला उस समय भी आप देखेंगे कि खाद्यान्न पर तो लगाया था ही उन्होंने, लेकिन साग सब्जी पर भी लगाया था और उसके बाद जब अमेंडमेंट हाउस में पेश हुआ और कहा गया कि साग सब्जी भी इसमें न जोड़ दी तब जाकर हाउस में साग सब्जी पर कर हट सका। इन चीजों को पालीवाल जी भुला सकते हैं। (एक आवाज—सोहबत का असर है।) हमारे मित्र कहते हैं कि सोहबत का असर है। जो काम की चीज है वह काम करने से होती है बातें करने से नहीं होती। तो उस समय तो यह चीज उचित थी, वांछनीय थी और आज यह चीज अवांछनीय हो गयी यह बात समझ में नहीं आती कि इतने पढ़े लिखे आदमी इस सदन में और उदाहरण दे बैठे किसका? चार्ल्स प्रथम इंग्लैन्ड के एक नरेश का जिनका कि गला काटा गया था। श्रीमन्, मैं तो जानता हूं उस नरेश को कला जिनका गला काटा गया था इंगलैन्ड में, चार्ल्स प्रथम का। और यह भी जानता हूं कि वह कांटेक्स्ट बिल्कुल गलत था जिस कांटेक्स्ट में यह बात यहां कह दी गयी। और अगर उस कांटेक्स्ट में कुछ कहा जाय तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह भी कह सकता हूं कि जिन हाथों ने चार्ल्स का गला काटा था उन्हीं हाथों ने चार्ल्स प्रथम के बेटे को लोक लिया था और सिर पर बिठा कर रखा था। तो यह तो इतिहास की बात है और उस बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर सदन के सामने रख देना और यह समझ लेना कि सदन इतिहास का विद्यार्थी नहीं है यह बड़ी गलत बात होगी। मैं तो कहता हूं कि जरा ठंढे दिल से हम सोचें कि हमारे टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारे प्रदेश का है वह और प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। उस दिन मैंने उदाहरण दिया था और अब मैं उन उदाहरणों को दूसरे उदाहरणों के द्वारा सिद्ध कर देना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि पढ़ने वाले लोग इस सदन के जब कुछ फीगर्स पेश करते हैं तो सब फीगर्स को ठीक से पढ़ते भी होंगे। एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। कम से कम हमारे साथी तिवारी जी इसलिये कि उससे वह फीगर्स कोट करते रहते हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया उसे पब्लिश करता है, करेन्सी ऐंड फिनैन्स। वह १९५४–५५ का है। उस अंक की कापी तो उनके पास भी होगी। उस अंक में उन्होंने दिया है कि प्रदेशों में जो समूचे टैक्स की आमदनी होती है उसका कितने फीसदी हिस्सा चीजों की बिक्री पर लिया जाता है। कमोडिटी के ऊपर से कितने फीसदी हिस्सा समूचे टैक्स की आमदनी का वह प्रदेश प्राप्त करता है इसका जिक्र उसमें दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लाभ को ध्यान में रखने वाले जरा बड़े गौर के साथ उन आंकड़ों को पढ़ेंगे। बम्बई में समूचे टैक्स रेवेन्यू का ५२ फीसदी कमोडिटीज की बिक्री से लिया जाता है। मद्रास में ५४ फीसदी लिया जाता है। भारतवर्ष का सबसे गरीब प्रदेश है उड़ीसा। वहां ६१ फीसदी लिया जाता है और अपने उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो यहां समूचे टैक्स रेवेन्यू का ३९.८ परसेंट लिया जाता है। फिर भी इस प्रदेश से लोगों को शिकायत है कि सरकार इतनी आमदनी कर रही है जिससे मालूम होता है कि वह प्रदेश के सब उद्योग-धंधों का गला मरोड़ डालेगी। मैंने उस दिन कहा था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर टैक्स का इन्सीडेन्स ले लिया जाय तो बम्बई में १०.१ परसेंट तो फिनैंस कमीशन की रिपोर्ट में है और १०.२१ परसेंट इन्सीडेंस आफ टैक्सेशन पर कैपिटा बम्बई में है, पश्चिमी बंगाल में ८.१४ और मद्रास में ६.२१ है और उत्तर प्रदेश में यदि ५.९८ है तो शिकायत की जाती है। तो इंसीडेंस टैक्सेशन की बात आप कह रहे हैं और जो परिस्थिति है वह हम बतला रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इतनी साफ तस्वीर है कि हमारे प्रदेश में इतना कम टैक्सेशन है। यह क्यों लगाया गया इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि आखिर इसकी नीति क्या है? हमने कोई ज्यादती नहीं की है, अन्याय नहीं किया है। जिस

किताब का उन्होंने जिक्र किया है उसके ५३ पृष्ठ को देख लें। उस किताब की ५३ पृष्ठ की २१ वीं लाइन को वह पढ़ लें। उसमें लिखा है कि कोई कारण नहीं दीखता है कि प्रदेश की सरकार अपने टैक्सेशन के दायरे को विस्तृत न करे, रेंज आफ टैक्सेशन को क्यों न बढ़ाये और अगर आपको इससे भी संतोष न हो तो मेरी राय यह है कि इस पुस्तक के ६३ पृष्ठ की ११ वीं लाइन को पढ़ लें। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और पुनः उसका अनुवाद हिन्दी में करूंगा।

In view of the progress and development of the country it is essential that the state should widen its range of taxation acitvities.

प्रदेश की उन्नति और विकास के कार्य के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश अपने टैक्स के विस्तार को अधिक से अधिक बढ़ायें। यह साफ लिखा हुआ है तो फिर वह टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की क्यों रेफर करते हैं? मैंने निवेदन किया कि पालीवाल जी ने १९४८ में बिल पेश करते समय कहा था कि प्रदेश की उन्नति तथा विकास कार्यों के लिये बिक्री कर लगाना जरूरी है तो फिर शिकायत कहां रहती है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस प्रदेश के साथ अन्याय कर दिया।

श्रीमन्, एक दलील मिल गयी कि यह आर्डिनेंस होम मिनिस्ट्री से निकला है। यह प्रेसीडेंट का आदेश था वह कहां से आ गया। वह होम मिनिस्ट्री के थ्रू आ गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जब किसी चीज के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखेगी तो थ्रू होम मिनिस्ट्री ही लिखेगी। यह उसका कर्तव्य है कि इस चीज को जिन जिन मुहकमों से उसका सम्बन्ध है उनके पास भेजे और उनकी अनुमति ले। जहां तक हमारी जानकारी है, सभी संबंधित मुहकमों के पास भेजा गया और उत्तर प्राप्त किये गये। लेकिन यह हमसे शिकायत क्या है? हम तो किताब के थ्रू ही एप्रोच कर सकते हैं। 'इट मस्ट कम थ्रू होम मिनिस्ट्री।'

श्रीमन्, इस सिलसिले में दो एक बातें बड़े अदब के साथ इस सदन की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं। मैं उन भाइयों से जिनको समाजवाद में बड़ी रुचि है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आखिर वह क्या चाहते हैं इस देश के लिये इस प्रदेश के निर्माण के लिये, क्या करना होगा। हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिये जिससे देश की उन्नति और विकास हो हमारी पंचवर्षीय योजना की तारीफ वह लोग कर चुके हैं। एक दो सदस्य न करें लेकिन उनके नेता कर चुके हैं। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन एक चीज है और वह एक खास चीज है। मैं चाहता हूं कि एक किताब हमारे साथी पढ़ लें। सोवियट रूस पंचवर्षीय योजना में सब से ज्यादा सफल समझा जाता है। इसके सब से बड़े विद्वान्, काबिल आदमी जिसे कहते हैं कि योजना के सिद्धांत के बारे में इससे बड़ा और कोई काबिल आदमी पैदा नहीं हुआ इस योजना के ऊपर लिखने वाला वह प्राफेसर बेकोफ हैं। उन्होंने सोशलिस्ट इकोनामी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है उसको एक अर्जी हमारे साथी पढ़ लेने की कृपा करें। इसमें श्रीमान् हम पृष्ठ बतलाये देते हैं जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो। इसके ४२३ वें पृष्ठ पर यह लिखा है कि पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये यह नितांत आवश्यक है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी मशीनरी को और योजना चलाने वालों को इतना अख्तियार तो जरूर दे दे कि इस योजना में जो काम न करें पहले बाधक हों उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जा सके। यह लिखा है उसमें। श्रीमन्, हमारे यहां डेमोक्रेसी है। हम यह विचार न देते हैं और न देना चाहते हैं। न हमने इस अधिकार का दुरुपयोग किया है और न करेंगे, लेकिन हम इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम इतना तो करें और उसमें बाधक न बनें। सहायक बनें या न बनें लेकिन बाधक नहीं बनना चाहिये। मैं सोशलिस्ट इकोनामी के नाम पर दरख्वास्त करूंगा कि हमारी सहायता कीजिये, लेकिन हम देखते हैं कि वह सहायता किस रूप में होती है। सेल्स टैक्स लगा तो उन्होंने सेल्स टैक्स कमेटी के बारे में कह दिया। वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि इन सब मसलों पर सेल्स टैक्स कमेटी विचार करेगी लेकिन फिर भी वह इस्तीफा दे बैठे। इस पर तो यही बात है कि मैं उनकी महफिल में नहीं जाने वाला। और क्यों? इसलिये कि, अक्सर बुलाया, बुला कर बिठाया, बिठा कर उठाया, उठा कर निकाला।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

तो बात तो यह है कि नाराजगी में यही होता है। आप को चाहिये कि आप इसमें सहायता दें और यदि आप इसमें सहायक न हुये तो याद रखिये कि प्लानिंग सिर्फ उसी देश में होती है कि जिसका बड़ा दुर्भाग्य होता है। (planning is the result of misfortune) जहां दुर्भाग्य, भुखमरी, बेरोजगारी आदि नहीं होगी वहां प्लानिंग होगी ही नहीं। जहां दुर्भाग्य, और भुखमरी आदि देश में बढ़ती है, वहीं प्लानिंग करके उनको दूर हटाने की, देश को समृद्धि बनाने के लिये चेष्टा होती है। दूसरी बात मैं एक और पूछूं। मुझे इसी सिलसिले में मेरी मेकौथ की एक लाइन याद आ गयी। वह है :—

The trouble in being a bread winner now-a-days is that the Government is in for such a big slice.

कि आजकल के जमाने में रोटी कमाने वाले के लिये सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसका सबसे बड़ा टुकड़ा काटने के लिये गवर्नमेंट तैयार रहती है। यह मेरी मेकौथ का कहना है। और जब सोशलिस्ट स्टेट होगी, वेलफेयर स्टेट होगी, लोक कल्याण के काम करने होंगे तो गवर्नमेंट का उस रोटी में से बड़ा टुकड़ा काटना पड़ेगा। यह हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट को ऐसा न करना पड़े। मैं ऐसा कोई प्रदेश, देश और राज्य नहीं जानता कि जहां पर समाजवादी सरकार ने आने के बाद टैक्स न बढ़ाया हो। सब से लेटेस्ट एक्जाम्पिल फ्रांस की सरकार का है और उसके बाद भी उन्होंने कांफीडेंस वोट प्राप्त किया। एक तरफ तो यह चीज है और दूसरी तरफ मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम में रोड़ा अटकाना, तकरीरें करके यह कोशिश करना कि यह काम सफल हो पाये, तो यह देखने और सुनने या करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका परिणाम बुरा होता है। जार्ज वाशिंगटन जो कि १७ सितम्बर, १७९६ को, जब वह अपने दूसरे टर्म के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने लगे तो उन्होंने एक मैसेज दिया था और उन्होंने उस संदेश में यह कहा था कि:

Those who talk of the power and right of the people to establish a Government....

जो लोग यह बात करते हैं कि जनता को इस बात की शक्ति और अधिकार होना चाहिये कि वह जैसी सरकार चाहे वैसी स्थापित करे —

They should know that the very idea of power and the right of the people to establish a Government pre-supposes the duty of every individual to obey the established Govt.

जिनको इस अधिकार की कामना है उनको यह भी याद रखना चाहिये कि इस अधिकार की कामना रखने वालों के लिये जरूरी है कि उस समय जो सरकार स्थापित है उसके आदेशों का पालन किया जाय। यह स्वतंत्र देशों की बात है गुलाम देशों की नहीं। आज हम स्वतंत्र हैं और हमारी एक इस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है, उसका विरोध हो सकता है उसमें बाधा नहीं हो सकती। काम किया जा सकता है लेकिन काम में रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता। यहां पर यदि हम इस सिद्धांत को मान लें तो फिर कौन सी ऐसी बात रह जाती है कि जिसके लिये इतनी लम्बी लम्बी तकरीरें और इतनी परेशानी की बात हो सकती है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ फिर कहना चाहता हूं कि एक बार आप देश और प्रदेश के नाम पर अपने दिल के भीतर बैठ कर सोच लें। कबीर दास जी ने साफ लिखा है :

ज्यों तिल मांही तेल है, चकमक मांही आग,
तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग।

तुम्हारा साईं तुम्ही में है, जागो तो जागो, लेकिन इतना याद रखो कि आंकड़ों को गलत दे देने से, इतिहास को भुला देने से इस रिपोर्ट को गलत कोट करने से और साथ ही साथ फिगर्स को न समझने से इस प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। बिक्री कर को बढ़ाने घटाने से इस प्रदेश को जो हानि होगी उसको समझकर ही हमको और आपको आगे बढ़ना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मेरा एक प्रस्ताव है और वह यह है कि चूंकि बोलने वाले बहुत अधिक हैं इस वास्ते विरोधी दल के नेता के लिये समय निर्धारित न किया जाय और बाकी सब लोगों के लिये १५ मिनट का समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं इसलिये कि मैं यह समझता हूं कि सेल्स टैक्स के लिये जितने प्राविजन हैं उनके लिये जनरल डिस्कशन में ही ज्यादा समय लगेगा। डिटेल्स में बहुत कम समय लगेगा। चूंकि एक टैक्सेशन का प्रपोजल हमारे सामने है तो काफी समय उसके लिये हमको मिलना चाहिये कि उस पर हम लोग बहस करें। अगर टाइम लिमिट कर दी जायेगी तो जितनी लम्बी चौड़ी तकरीर हुई है उनका जबाब देने के लिये उतने समय में काफी नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई समय निर्धारित न किया जाय। हम लोग खुद ही इसका खयाल करेंगे कि कम से कम समय में जितनी बातें कही जा सकती है कही जायं। हम कोई डिले नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने यह बड़ा भारी प्रश्न है। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष—अब सदन के सामने जो प्रश्न है उसके बारे में निर्णय हो जाना चाहिये एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि बहुत से माननीय सदस्य इस पर भाषण देना चाहते हैं तो समय का नियंत्रण भाषण के लिये होना जरूरी है। उस में यह बात कही गई कि नेता विरोधी दल के लिये और एक सज्जन और जो भाषण देना चाहें, उनको छोड़कर और अंत में जो मंत्री इसका उत्तर देंगे उनको छोड़ कर बाकी लोगों के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

दूसरी तरफ उपाध्याय जी कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अधिक समय लिया है और खंडों के ऊपर इतनी अधिक बहस होने वाली नहीं है। इसलिये भाषण पर नियंत्रण आम बहस में नहीं होना चाहिये, तो यह दो तरह की राय सामने है। मेरा एक सुझाव इस विषय में है कि नेता विरोधी दल और विरोधी दल के एक और सदस्य के लिये कुछ अधिक समय रख दिया जाय और बाकी लोगों के लिये १५ मिनट का समय रख दिया जाय तो इसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी।

श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)—आधे घन्टे का समय कम से कम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल और उनके एक सदस्य जो बोलें दोनों के लिये समय कितना आप रखना चाहते हैं, यह बतायें ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हम खुद ही खयाल करेंगे कि समय अधिक न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग दुगुने समय से अधिक समय नहीं लेंगे जितना कि दूसरों ने लिया है।

श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं भी यह सोचता हूं कि कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं कर रहा है कि इस बिल में ज्यादा से ज्यादा देर करे या इसके पास होने में हम दिक्कत डालें। मैं नहीं समझता हूं कि सरकारी पक्ष के लोगों को क्या दिक्कत हुई कि विधेयक में कोई ख्वाम ख्वाह देर की जा रही है। अगर किसी को मौका नहीं मिला है तो उसको मिलना चाहिये। जो लोग ५, १० मिनट बोलना चाहते हैं वह अधिक समय नहीं लेंगे और ख्वाम ख्वाह देर नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—विरोधी दल के दो सदस्यों के लिये समय निर्धारित नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि वह अपने भाषण में दूसरों का खयाल करेंगे। दूसरे लोगों के लिये २०

[श्री अध्यक्ष]

मिनट का समय रहे। इससे कम समय में अगर कोई बोले तो बोले लेकिन २० मिनट का समय अधिक से अधिक लोगों को दिया जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, मैं अपनी जगह पर बड़ा खुश हूं कि आपने इस सदन के अन्दर थोड़ा सा कंट्रोल लगा दिया। मैं २,३ रोज से यह सोच रहा था कि अच्छा हो जब कि हम अपनी असेम्बली के रूल्स रिवाइज कर रहे हैं तो इस मौके पर हम इस बात पर भी गौर करें कि आया इस हाउस की तकरीरों पर किसी किस्म की पाबन्दी जैसे कि रेजोल्यूशन पर लगी हुई है लगा सकते हैं या नहीं? बहरहाल २० मिनट का वक्त जो आप ने इनायत फरमाया है मैं अपने तौर पर उस को बहुत काफी समझता हूं और उसी वक्त में जो कुछ मेरे ख्यालात हैं उनको सदन के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा।

जनाबवाला, एक अप्रैल, १९५६ ई० को एक आर्डिनेन्स इस सूबे के अन्दर नाफिज हुआ आम तौर पर खयाल तो यह किया जाता है कि १ अप्रैल को जो काम होता है उस की चर्चा कुछ थोड़े ही दिनों तक होती है और उसके बाद रफ्ता रफ्ता वह खत्म हो जाती है। लेकिन इसके मुताल्लिक चर्चा पूरे अप्रैल होती रही और आज आधा मई का महीना भी गुजर रहा है लेकिन उसकी चर्चा अभी तक उसी मंजिल पर है जिस पर १ अप्रैल को थी। हमारे सूबे में सेल्स टैक्स आज से नहीं १९४८ से लागू है। जैसा कि अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने फरमाया, सेल्स टैक्स पहली मर्तबा जब इस सूबे के लिये लागू किया गया, यहां वित्त मंत्री जी की जगह पालीवाल जी थे। लेकिन इस अर्से में बहुत सा पानी गोमती के पुल के नीचे से बह गया और हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़े। कुछ गिरे और फिर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की और हम आज ऐसे मौके पर आये हैं कि हमारे सामने एक नया बिल है जिसके जरिये से सरकार सेल्स टैक्स में कुछ तरमीमात कर रही है। इसके ऊपर कई अमेंडमेंट इस हाउस में आये। उनमें एक तो यह था कि इसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेज दिया जाय दूसरा यह कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। एक अमेंडमेंट यह भी था कि इसको इसी हाउस की सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। एक अमेंडमेंट माननीय सीताराम जी का था जो पेश नहीं हुआ, पता नहीं उसमें क्या था। यह सही है कि जब कोई कानून बनता है या कोई नया टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स के उसूलों पर चर्चा करने के लिये, गौर करने के लिये कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में उसको भेजे जाने की जरूरत होती है लेकिन यहां तो जो बिल जिस पर हम गौर कर रहे हैं वह ऐसा है जो हमारे सूबे में ७–८ साल से लागू है और आज हम उसकी तफसीलों पर गौर करने के लिये बैठे हैं। यह सही है कि इस बिल पर काफी चर्चा हुई है। इस पर कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी भी बैठी जिसने माननीय मंत्री जी के साथ इस मामले पर विचार किया और उसके नतीजे में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में यहां बतलाया कि उस आर्डिनेन्स में जो जो चीजें दी गई थीं उसमें से बहुत सी चीजों में रिलीफ हुआ है जैसे बुक्स पर न्यूजप्रिंट पर, संदल वुड पर कम कर दिया गया है और नमक से हटा दिया गया है इसलिये जिन लोगों का इनसे ताल्लुक है उन लोगों पर इसका असर जरूर पड़ेगा और उनको कुछ रिलीफ मिलेगा।

मैं यह मानता हूं कि टैक्स लगाना कुछ अच्छा काम नहीं है, अगर यह हो सके कि टैक्स कत्तई न लगाया जाय और गवर्नमेंट का काम चल सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं मालूम पड़ता। यह दलील माननीय राजनारायण जी ही दे सकते हैं जो यह कहते हैं कि टैक्स न लगाया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेशन की ऐक्टीविटीज ज्यादा से ज्यादा हो जायं। मैं चाहता हूं कि उन्हें वित्त मंत्री बनने का मौका मिले और वे अपने प्रपोजल इस सदन के सामने पेश करें और इस सदन को भी यह देखने का मौका मिले कि बगैर टैक्स लगाये हुये ऐडमिनिस्ट्रेशन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खर्चा किस तरीके से चल सकता है। जनाब वाला, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीर में यह भी फर्माया कि यह बिल जो इस वक्त हमारे सामने है यह एक टेम्पोरेरी बिल है और शायद ६ महीने के अन्दर एक नया कम्प्रीहैन्सिब बिल लाया जायेगा जिसमें खुसूसन यह होगा कि मल्टीपुल प्वाइंट टैक्स के बजाय सिंगिल प्वाइंट कर दिया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुलतान आलम खां—महोदय, मैं अभी यह अर्ज कर रहा था कि बगैर टैक्सेशन के कोई शासन नहीं चलाया जा सकता और इसलिए टैक्सेज का लगाना जरूरी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि इसके ६ महीने के बाद एक और कम्प्रिहेन्सिब बिल आने वाला है और सिंगिल प्वांइट टैक्स उस जगह पर कर दिया जायेगा जहां पर मल्टिपिल प्वांइट टैक्स है। एक चीज जो सब के दिमाग को परेशान करती है वह गल्ले का मामला है यह गल्ले का आइटम हमारे सूबे में ऐसा था कि जिस पर अब तक कोई टैक्स नहीं था और अभी जो आर्डिनेन्स के जरिये से उस पर टैक्सेज लगाये गये हैं वह मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स हैं लेकिन अब माननीय वित्त मंत्री जी ने यकीन दिलाया है और विश्वास दिलाया है कि लाइसेन्सेज और रजिस्ट्रेशन का काम कम्लीट होने के बाद जब एक कम्प्रिहेन्सिब बिल सदन में आयेगा तो गल्ले पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स कर दिया जायेगा और इस बात की कोशिश की जायेगी कि वह टैक्स मुनासिब जगह पर लगे जिससे लोगों को तकलीफ और दिक्कत न हो।

एक बात सदन में बार बार दोहराई गई और कहा गया कि यह टैक्स उस वक्त लगाया गया है जब कि जनरल एलेक्शन आने वाला है। मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा और हुकमत की तरफ से हिम्मत और इमानदारी की और कोई दलील नहीं हो सकती कि टैक्स लगाने की अगर शासन को जरूरत हुई तो उस की तरफ से यह ख्याल नहीं किया गया कि एलेक्शन आ रहा है, उस पर टैक्स का बुरा असर पड़ेगा और ऐसे समय में वह टैक्स न लगाये। हमारे सामने सेकिंड फाइव इयर प्लान है और हममें से कोई भी शख्स इससे इन्कार नहीं कर सकता कि इस प्लान के मुताबिक मुल्क में या सूबे में डेवलपमेंट न हो लेकिन एक बात ऐसी है कि जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता और वह यह है कि जो सेकिंड फाइव इयर प्लान है यह कोई कांग्रेस पार्टी या किसी अपोजीशन पार्टी का प्लान नहीं है, यह एक नेशनल प्लान है और जिसको सब ने माना है, बावजूद इसके कि इसमें खामियां हो सकती है लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह हमारा एक नेशनल प्लान है और वह आल पार्टीज की एक मुत्तिफका और मुत्तहदा प्लान है और अगर इसको हमें चलाना है और पूरा करना है तो हमें देखना होगा कि उस को चलाने के लिये रुपया कहां से आये और कैसे उसको चलाया जाय। मैंने पढ़ा है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने सिफारिस की है कि अगर डेवलपमेंट के लिये रुपये की जरूरत है तो सारा रुपया टैक्सेशन से ही नहीं आना चाहिये और कुछ रुपया बारोइंग यानी लोन से भी आना चाहिये। और अगर सब रुपया टैक्सेज से ही लाया जायेगा तो दिक्कत यह होगी कि उससे टैक्सेज का बार पब्लिक पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिये डेवलपमेंट के प्रोग्रामों को अगर पूरा करने की जरूरत है तो उसका अधिक हिस्सा बारोइंग या लोन से आना चाहिये। उन्होंने यह भी तजवीज किया है कि अगर इन्फलेशन का खतरा न हो तो डेफिशिट बजटिंग की बात भी सोची जा सकती है और उस तरीके से भी प्लान पूरी की जा सकती है। मुझे यकीन है कि हुकूमत टैक्सेज लगाते वक्त इन चीजों को भी अपने सामने रखेगी और जो जो जरूरी तरमीमें उस लिस्ट में की जा सकती हैं वह की जायेगी। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है और मैं इससे मुत्तफिक हूं कि कोई टैक्स जो सेल्स टैक्स की शक्ल में लगे उसमें दो चीजों की एहतियात होनी चाहिये। एक तो यह कि जो काटेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स या तो बिलकुल न हो और अगर हो तो बरायनाम हो और अगर जरूरत पड़े तो कम से कम लगाया जाय। दूसरे यह भी ख्याल करने की जरूरत है कि यह टैक्स एसेन्शियल कामोडीटीज पर भी न लगना चाहिये और अगर लगाना ही पड़े तो वह कम से कम रेट पर लगाना चाहिये।

[श्री सुल्तान आलम खां]

और इसके बरअक्स वह चीजें जिन्हें हम लग्जरी कहते हैं जो कंज्यूमर्स गुड्स में नहीं आती उन पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें और इसमें कोई हर्ज भी न होगा। इस वजह से मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने--वित्त मंत्री ने जब बजट को अपनी स्पीच दी थी उस वक्त ऐलान कर दिया था कि उन को साढ़े नौ करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिये टैक्स लगाना पड़ेगा और यह बात भी जाहिर कर दी थी कि जिन टैक्सेज को लगाना होगा उनमें सेल्स टैक्स की शरह में भी बढ़ोत्तरी करनी होगी। इस सेल्स टैक्स की शरह में जो बढ़ोतरी हो रही है हमें नहीं मालूम कि उस का नतीजा क्या होगा इसलिये कि अब जो नई तरमीम इस में हुई है बहुत सी चीजें इस से एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। हमें यह भी देखना है कि ५,६ महिने के बाद कंप्रिहेन्सिव बिल हमारे सामने आयेगा उसमें सिर्फ सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन होगा। हम नहीं कह सकते कि इस तमाम के बाद कितना रुपया हमको मिल सकेगा साढ़े नौ करोड़ रुपयों में से जिसको कि मौजूदा साल के बजट में पूरा करना है। इसी वजह से हमारी नजरें इस तरफ उठना चाहिये कि और कौन से जरिये ऐसे हो सकते हैं जिनके जरिये से हम रुपया हासिल कर सकें और जो हमारा फाइव इयर प्लान का प्राविजन इस साल का ५६-५७ का मुकर्रर किया गया है उसका इम्पलीमेंट कर सकें। इस में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी जाती तौर पर यह राय है कि जो टैक्स हम लक्जरी गुड्स पर बढ़ा सकें उनको और ज्यादा बढ़ावें। बेटिंग टैक्स की मिकदार को बढ़ायें और इंटरटेनमेंट टैक्स को बढ़ायें। इसके अलावा इस बात को देखें कि और कितने टैक्सेज बढ़ाये जा सकते हैं। तो बुनियादी बात इस टैक्स के मामले में यही होनी चाहिये कि लक्जरी गुड्स, बेटिंग और एंटरटेनमेंट या इसी किस्म के टैक्सेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें। एसेन्शियल कामोडिटीज और काटेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन पर इस टैक्स को न लगाया जाय तो मुनासिब होगा। लेकिन अगर इस की जरूरत पड़ती है और हमें कुछ न कुछ बढ़ा कर अपने बजट को पूरा करना है तो इस में कम से कम बढ़ोतरी करने के हक में मैं हूं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये।

जनाब वाला, एक चीज इस टैक्स के मसले में जो बहुत ही अजीबोगरीब सी मालूम होती है वह यह है कि यह दुनिया का मुसल्लिमा उसूल है कि टैक्स का बार आखिर में कंज्यूमर पर पड़ता है लेकिन हमने देखा यह कि टैक्स के मामलों में कंज्यूमर गरीब तो पीछे रहा और जो मर्केन्टाइल कम्युनिटी है वह सब से आगे रही, वही सब से ज्यादा एजीटेट कर रही है। मैं यह मानता हूं और यह सही भी है कि टैक्स की मिकदार काफी बड़ी होगी तो उसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ता है और प्रोडक्शन पर असर पड़ने के मानी यह हैं कि उस कम्युनिटी पर जो उसमें डील करती है उसका काफी असर पड़ेगा लेकिन मामूली तौर पर टैक्स की शरह पर कोई बढ़ोत्तरी की जाय तो उसका असर ज्यादातर कंज्यूमर पर पड़ता है और उन लोगों पर नहीं पड़ता लेकिन हमने देखा कि इस एजीटेशन में सब से ज्यादा आगे वही लोग रहे जो बिजनेस कम्युनिटी कहलाती है और वे लोग जो कंज्यूमर हैं, जिनकी फिक्स्ड इनकम है जो ज्यादा मुतास्सिर होंगे वे इससे ज्यादा मुतास्सिर नहीं हुए। गवर्नमेंट ने हमको यह भी बतलाया कि वह एक विजिलेंस कमेटी बनाने वाली है जो इस पर गौर करेगी कि खर्चे को किस सूरत से एकोनोमाइज किया जाय। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि टैक्स के लगाने के साथ-साथ दो चीजों की तरफ तवज्जह देने की खास जरूरत है कि खर्च में कहां तक कमी की जा सकती है और खर्चे को कहां तक एकोनोमाइज किया जा सकता है। मेरे दोस्त पालीवाल जी ने तकरीर फरमाते वक्त यह कहा था कि खर्चे में कमी करने में और इवेजन को रोकने में इतनी आमदनी हो सकती है कि शायद टैक्स लगाने की जरूरत न पड़े। उनका ख्याल अच्छा है लेकिन मैं जाती तौर पर यह बात नहीं सोचता, इस पर यकीन नहीं रखता कि इन दोनों चीजों से इतना रुपया आयेगा जिसमें टैक्स की मद में बिलकुल बढ़ोत्तरी करने की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि यदि हम टैक्स लगाते हैं और टैक्स का रुपया खर्च करते हैं तो हम उन लोगों को --जिन पर टैक्स का बार पड़ता है--इस बात का यकीन दिलायें कि उनके दिये हुये टैक्स के रुपये का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हर किस्म की

RA 10.7 130936

एकनामी और हर किस्म की किफायतशारी करने पर भी हम इस काबिल नहीं थे कि बजट को बैलेंस कर सकते। इसीलिये और ज्यादा रुपये के लिये हम झोली फैलाने आये हैं। इसीलिये विजीलेंस कमेटी बनाई है जो मुनासिब कदम उठाये और जिन बातों को वह जरूरी समझती है, उन्हें वह करे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री सुल्तान आलम खां—जनाबवाला, इकानोमी के साथ इवेजन को भी रोकने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसके लिए एक सही मशीनरी तैयार हो जाय और इसके साथ उसे पूरे तौर से रोकने की कोशिश हो सके तो इससे हम काफी नफा उठा सकते हैं और मुझे यकीन है कि जैसा कि गवर्नमेंट अपने खर्च को मिनिमाइज करने की तरफ तवज्जह कर रही है इसी सूरत से वह इस सिलसिले में पूरी कोशिश करने की कोशिश करेगी।

एक दिक्कत टैक्स के सिलसिले में जो मैंने महसूस की वह यह है कि टैक्स कम लगाया जाय, कैसे लगाया जाय, और टैक्स किस पर लगाया जाय, इस बात के मुताल्लिक लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। मैंने जैसा अभी अर्ज किया टैक्स के सिलसिले में जिन लोगों ने सब से आगे हो कर एजिटेशन किया है वह बिजिनेस कम्युनिटी है। कंज्युमर्स तो इस मामले में चुप हैं। इसकी वजह मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जो हमारी पब्लिसिटी की मशीनरी है जो हमारा इनफार्मेशन डिपार्टमेंट है वह शायद अपना वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा कि उसे करना चाहिये। हमें तमाम लोगों को यह बतलाना है, हमें हर शख्श को इस बात को साबित करना है कि जो टैक्स लगाया गया है वह टैक्स मजबूर हो कर लगाया गया है। वह टैक्स इसलिये लगाया गया है कि मुल्क का डेवलपमेंट हो। वह इसलिये लगाया गया है कि फाइव ईयर प्लान आगे बढ़े और हमारी पसमान्दगी दूर हो, हम सही तौर पर उन लोगों के बराबर दुनिया में खड़े हो सकें जो दौलत-मन्द और तरक्कीयाफ्ता हैं? इस चीज का यकीन दिलाने के लिये इस बात को अच्छी तरह से लोगों के दिमागों में बिठाने के लिए हमारी जो पब्लिसिटी की मशीन है उसमें और ज्यादा तेल देने की जरूरत होगी और उसके लिये इस बात की जरूरत होगी कि वह अपनी फील्ड पब्लिसिटी करे, लोगों को सही वाकयात बतलाये। वह लोगों को बतलाये कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का ऐसा शौक नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट मुल्क की जरूरियात से मजबूर हो कर फाइव ईयर प्लान के काम को आगे बढ़ाने के लिये ऐसा टैक्स लगाती है। मैं समझता हूं कि अगर हमारी पब्लिसिटी सही तौर पर हुई तो बहुत से लोग जो टैक्स के नाम पर उचक जाते हैं, जो कन्फ्युजन में मुब्तला होते हैं, जिनको दिक्कत और दुश्वारी होती है उस बात की माकू-लियत कि टैक्स लगाना जरूरी है या नहीं उनको बड़ी हद तक इस मामले के सही वाकयात मालूम हो सकेंगे और शायद वह इस तरीके से तैयार हो सकें कि वह इस बात की मुखालि-फत न करें। जैसा कि वह कर रहे हैं।

जनाबवाला, इतना ही और कह कर मैं बैठ जाऊंगा कि जहां तक इस टैक्स का ताल्लुक है यह टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। यह टैक्स कई साल से इस सूबे के अन्दर लग रहा है। इस वक्त सवाल यही है कि टैक्स की शरह में कितनी कमी बेशी की जाय। यह भी बताया गया कि पांच या ६ महीने के अन्दर एक बहुत ही काम्प्रीहेंसिव बिल हमारे सामने आयेगा जिसमें सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन कर दिया जायगा। लेकिन इस वक्त भी मैं यह समझता हूं कि इसकी जरूरत है और मैं बहुत मुअद्दिबाना राय गवर्नमेंट को दूंगा कि जो उनके पास लिस्ट है उस पर एक मरतबा फिर अजसरेनौ गौर फरमाएं और इस बात की कोशिश करें कि जहां तक काटेज इंडस्ट्री के प्राडेक्ट्स और इसेंशियल कमोडिटीज का ताल्लुक है उनमें जितनी जल्दी से जल्दी रिलीफ पहुंचाई जा सकती है वह पहुंचायी जाय और उसके बाद जो काम्प्रि-हेंसिव बिल आयेगा और सिंगिल प्वाइंट टैक्स हो जायगा तो मैं समझता हूं कि उससे लोगों

[श्री सुल्तान आलम खां]

को काफी रिलीफ मिलेगी और उसके साथ इस बात की भी कोशिश होगी कि काफी पब्लिसिटी होगी कि यह टैक्स किस लिये लगाया जा रहा है और इस टैक्स का मंशा क्या है गरज क्या है। मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त सही बात मालूम होगी, उनके दिमाग में जो सही पोजीशन है वह पहुंचेगी तो इस बिल के जरिये से जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, शायद लोग उतना रीजेन्ट नहीं करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ले आने पर और रोजा रखने के बावजूद हमारे वित्त मंत्री जी ने जो १ घंटे से ज्यादा वक्त तक व्याख्यान उत्तम ढंग से दिया और टैक्स ऐसी खुश्क चीज को सरस बना दिया उसके लिये मैं तहेदिल से बधाई देता हूं। सवाल यह उठता है कि जब बिल भी अच्छा और पेश करने का ढंग भी अच्छा तो मुखालिफत क्यों हुई? इसका अगर जवाब देना हो तो एक शब्द में दिया जा सकता है और वह यह कि यह राजनीति, सियासत है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सियासत में आज क्या है कल कुछ हो सकता है। आज जो इधर बैठे हैं वह कल उधर बैठ सकते हैं। कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। वरना जिस महानुभाव के जमाने में यह बिल बना, सेल्स टैक्स लगाया गया उन्होंने ही बड़ी खूबी के साथ इसका विरोध किया। एक साहब ने क्वेश्चन किया था कि आप ही के जमाने में यह ऐक्ट बना तो आप ने फरमाया कि जी बना, मगर आर्डिनेंस नहीं बना, हमारे जमाने में बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन यह भूल गये कि आर्डिनेंस बनाना डिक्टेटरशिप तब होता है जब यह जाना जाय कि सदन से पास नहीं होगा, सदन की राय नहीं है, तब तो यह डिक्टेटरशिप है। और अगर हम जानते हैं कि असेम्बली पास करेगी और तब अगर आर्डिनेन्स बनाया जाय तो चतुरता की गई, गलती नहीं की गई। किन्तु मैंने अर्ज किया है कि राजनीति है कि कल तक जो आप के साथ बैठ कर काम करते थे वही आज विरोध कर रहे हैं विरोध उन्होंने बहुत अच्छा किया जिसको देख कर मुझे खुशी हुई। लेकिन हुजूरवाला, एक जगह मुशायरा था। तरह थी कि "दिल जलाया आप ने अच्छा किया" तो सब पढ़ने वाले आये, एक ग्वाला भी आया। तो जो जरा कम अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनको पहले मौका दिया जाता है, इसलिये उस ग्वाले से कहा गया कि पहले आप पढ़ें। तो ग्वाले साहब आये उन्होंने पढ़ा कि "दिल जलाया आपने अच्छा किया, अपना घर फूंका किसी का क्या किया।" तुम मेरे दिल में रहते हो अगर मेरा दिल ही जलाया तो आपने अपना ही नुकसान किया उसी प्रकार यदि आपने कांग्रेस सरकार पर तीर चलाया तो आपने अपने ऊपर तीर चलाया क्योंकि आपने अपने खून से कांग्रेस को सींचा है ....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह प्रश्न सामने नहीं है। कांग्रेस के लिये आप अपील मत कीजिये। गवर्नमेंट का सवाल है आप विधेयक पर आ जाइये उसके ऊपर बहस कीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल---इस बिल का विरोध किया गया है तीन दृष्टिकोण से। एक तो यह कि आर्थिक बचत की जा सकती है, खर्चा बहुत ज्यादा है किफायत कर के योजना पूरी की जा सकती है। और दूसरी बात यह कही गई कि सरकार ने जो कुछ चीजों पर से टैक्स उठा दिया है उसका श्रेय सरकार को नहीं बल्कि इन सत्याग्रह करने वालों को है जो जेल गये थे। अगर यह जेल न गये होते तो यह बात नहीं आती। मेरी प्रार्थना यह है कि किफायत के बारे में हमारे माननीय गौतम जी ने निहायत खूबी के साथ फर्माया कि किफायतशारी की जा सकती है। मैं अदब से अर्ज करता हूं कि किफायत की जा सकती है, हर मेम्बर मानता है और अपव्यय हो रहा है यह भी हम मानेंगे। लेकिन यह जानते हुये भी कि किफायतशारी की जा सकती है, यह नहीं हो रही है, अपव्यय हो रहा है। मगर इसे रोका नहीं जा सकता है, मजबूरी है। मिसाल के लिये एक भला आदमी नौकर से ५० रु० की चीज

मंगाता है, वह जानता है कि अगर मैं खुद जाऊं तो चीज अच्छी ला सकता हूं, मगर मजबूरी यह है कि हम नौकर से मंगवायेंगे। अगर खुद खरीदने जायं तो हमारा वक्त खराब हो जायगा और जिसकी वजह से दो रुपये की बचत होगी तो सौ रुपयों का नुक्सान होगा। इसलिये जानते हुए भी, और रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी कुछ अपव्यय होता है और होगा किन्तु अगर और बचत हो जाय तो भी काम खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि गरीबी दूर हो, हम तो सब को अमीर भी बनाना चाहते हैं। खाना, कपड़ा और मकान ही नहीं देना चाहते हैं, मोटर भी देना चाहते हैं, बंगला भी देना चाहते हैं, बगीचा भी और उम्दा से उम्दा जगह देना चाहते हैं। तो काफी बचत होने पर भी हमको टैक्स लगाना होगा क़र्ज़ भी लेना होगा, आमदनी करनी होगी। लिहाजा टैक्स तो लगना है हर हालत में। और यह फरमाया गया कि जो रियायत कर दी है सरकार ने वह इसलिये कर दी कि प्रोपेगेंडा हुआ, हमारे दोस्त जेल गए। अजीब दिल्लगी है। "खुदरा फजीहत, दीगरां नसीहत।" अगर जेल जाना अच्छी बात थी तो जनाब क्यों नहीं जेल गये? खुद तो नहीं गये और औरों को वह नसीहत दें यह मुनासिब नहीं। हम कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, वह करते भी हैं। हमारी सरकार ने आन्दोलन होने पर, चूंकि वह पब्लिक की चुनी हुई सरकार है, पब्लिक की राय को सुना और उनकी राय सुन कर सरकार ने उन चीजों के ऊपर टैक्स उठा दिया न कि किसी आन्दोलन के कारण।

कहा गया कि गरीबों पर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। गरीब हैं लिहाजा टैक्स लगाना मुनासिब नहीं। मैं कहता हूं कि गरीब हैं इसलिये टैक्स लगना चाहिये। अमीर होते तो क्या जरूरत थी टैक्स लगाने की? चूंकि मुल्क में गरीबी है इसलिये जरूरत है कि टैक्स लगाया जाय ताकि गरीबों की तरक्की की जा सके उनकी गरीबी दूर की जा सके। और अजीब हालत है कि जिस पर टैक्स लगा है वह उतना नहीं विरोध करता और यह हमारे लायक दोस्त साहबान जिनके पास कोई दूकान नहीं है, कोई चीज नहीं बेचते हैं वह झंडा ले कर आ जाते हैं और सत्याग्रह करते हैं। मुझसे बातें हुई हैं बिजनेस मैनों से और बिजनेस मैनों का तबका वह है कि जिसने बराबर मदद की है, कांग्रेस की सन् १९३० में, पूरी की पूरी दूकान बन्द कर के सील मुहर लगवा ली थी और उसके बाद भी आर्थिक सहायता और हेल्प करते थे, पोलिटिकल सफरर जेल में रहते थे, तो बिजनेस मैन आपस में चन्दा इकट्ठा कर के भेज देते थे, आज भी जिसको देखिए, व्यक्तिगत भीख मांगने वाले, सामाजिक काम के लिये चन्दा मांगने वाले, सब उनके पास जाते हैं तो वे इनकार नहीं करते। सरकार टैक्स भी लेती है और कांग्रेस पार्टी चन्दा भी उनसे मांगती है।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि बिजनेस मैन टैक्स देने से नहीं हिचकते। कुछ व्यापारियों से मेरी बात चीत हुई तो उन्होंने कहा कि टैक्स देने से मुझे इन्कार नहीं है। मुझको तब दिक्कत होती है जब इंस्पेक्टर आकर जांच करता है और हमें तंग करता है। इस तरह की शिकायत करते थे। मुकदमें की तकलीफों की शिकायत करते थे कि बहुत पेशियां होती हैं लेकिन टैक्स देने से इन्कार नहीं करते थे। और बात भी सही है। कोई नौकरी करता है या व्यापारी है या खेती करता है तो दो काम उसके सामने रहते हैं, एक तो उसकी रोटी और दूसरे उसकी इज्जत हो। अगर दोनों में से एक भी नहीं होता यानी न रोटी मिले और इज्जत न हो तो कोई आदमी उस काम को नहीं करता और अगर इज्जत मिले, रोटी न मिले तो भी काम नहीं चलता, क्योंकि "भूखे भजन न होंय गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला"। तो उनको इंस्पेक्टर लोग बहुत

[श्री सीताराम शुक्ल]

परेशान करते हैं। वह उस कागज को पहले से ही यह मानकर देखते हैं कि यह गलत होगा और यही व्यापारियों को अखरता है। मुकदमों में बहुत सी पेशियां होती हैं। इस ऐक्ट में यहां तक किया गया है कि कई साल का पुराना बकाया भी पता लगाने के बाद मालूम हो जाय तो उनसे वसूल किया जायगा यह भी कानून में है। गलती करे इंसपेक्टर, और सजा व्यापारी को दी जाय। अगर कहीं ५ साल के बाद उसका पिछला बकाया मालूम हुआ और उसकी वसूली की गयी तो वह तो बेचारा बर्बाद हो जायगा। तो पुराना बकाया अगर पकड़ा जाय तो ३० किस्तों में उसे वसूल किया जाय जिससे वह जिन्दा रहे और इंसपेक्टर की गलती से रह गया हो तो उनको भी सजा हो। मेरी प्रार्थना यह है कि जिससे आप को कुछ मिलता है उसको कुछ देना भी चाहिये, उसकी इज्जत भी करनी चाहिये। जमीन एक निर्जीव चीज है, लेकिन जो किसान जमीन को खाद और पानी नहीं देता उसकी पैदावार कम होती है और जब ज्यादा खाद पानी देता है तो वह बढ़ जाती है। जो ग्वाला घास और दाना अच्छा देता है उसकी गाय अच्छा और ज्यादा दूध देती है और जो नहीं देता उसकी गाय नहीं देती। अतः जिनसे आपको कोई चीज मिलती है उनकी सहायता भी आपको करनी चाहिये। उनको परेशान मत कीजिये और उनसे फायदा उठाइये। देश-प्रेम में बहुत न भूल जाइये। देश-प्रेम में आपने जमींदारी तोड़ी। जमींदार बर्दाश्त कर ले गये क्योंकि उनकी आवाज नहीं थी। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा सख्ती करेंगे तो उससे देश का नुकसान होगा। क्योंकि व्यापारियों को यदि हद से ज्यादा हैरस किया गया, उनकी इज्जत नहीं की गयी तो यह वाजे रहे कि वे लोग दूसरे मुल्कों में भाग जायंगे। बहुत होशियारी से अपने रुपयों को लेकर अथवा बिना लेकर भी दूसरे मुल्कों में चले जायेंगे और व्यापार करके कमायेंगे तथा खायेंगे और बंगलों में रहेंगे एवं मोटरों में घूमेंगे। बहुत से व्यापारी पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ कर यहां आये और व्यवसायी होने की वजह से उन्होंने मेहनत की और फिर बंगलों में रहने लगे। इसलिये व्यापारियों से यदि पैसा वसूल करें तो उनकी दिक्कतों को दूर करने का भी खयाल रखें। आपने देखा है कि वोट मांगने के लिए यह विरोधी वृन्द प्रोपैगेंडा करते हैं कि पूंजीपति खूनी हैं, लुटेरे हैं गरीबों का खून चूसते हैं। सरकार खराब, सरकारी अफसर खराब और पूंजीपति (बिजनेसमैन) भी खराब। कहते हैं उन पर जब टैक्स लगता है तो उनकी तरफ से सत्याग्रह भी करते हैं एक सांस में दोनों बात कह जाते हैं यानी व्यापारी वर्ग की तरफदारी भी और विरोध भी इसलिये हमें उनकी रक्षा करना चाहिये और जो गलतफहमी लोग फैलाते हैं उसका जवाब देना चाहिये।

कहा जाता है कि ये लुटेरे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि जो किसान मजदूर देहात में आठ आना, बारह आना अथवा एक रुपया रोज फसल में मजदूरी पाता है और उसके पश्चात् बेकार हो जाता है लेकिन वह शहर में आ जाता है और कहीं कारखाने में भर्ती हो जाता है और तब दो तीन रुपये रोज मजदूरी पाता है। जो आठ आना, बारह आना पाता था वह जब दो रुपये तीन रुपये रोज पाने लगा तब व्यापारी वर्ग मजदूरों का अब खून चूसने वाला हुआ या गरीबों के तन में खून डालने वाला हुआ? इस प्रोपेगेंडा को रोकना चाहिये। मैं अर्ज करूं कि व्यापारी वर्ग वह पैसा कहां ले जाता है अजीब हालत है। कुछ साल पहले की बात है मैं अभी एक व्यापारी के यहां इसी लखनऊ में खाने पर गया तो वे कहने लगे कि हम लोग तो लक्जूरियस लाइफ लीड करते हैं, विलासमय जीवन व्यतीत करते हैं तो मैंने कहा कि जनाबवाला, यह प्रोपेगेंडा है राजनीतिज्ञों का जो जनाब की जबान से यह बात कहलवा रहा है। अभी आपका खाना मेरे सामने नहीं आया है मगर मैं कहता हूं कि जेलखाने में जो खाना ए क्लास में मिलता है उससे अच्छा खाना आपका नहीं होगा। मेरी बातों को सुनकर उनका चेहरा जरा फीका पड़ गया। मैंने सोचा बेवकूफी कर दी कटु सत्य क्यों कह दिया मगर बात मुंह से निकल चुकी थी पछताने से क्या होता था। थोड़ी देर में जब खाना सामने आया तो मैंने कहा कि देहरादून का यह चावल जेलखाने में नहीं मिलता बाकी सभी चीजें जेलखाने में मिल जाती हैं और यदि तिकड़म करे तो यह भी मिल जाता है। जेलखाने में इतवार को और

त्योहारों को छुट्टी मिलती है लेकिन आप को फुरसत नहीं, सुबह से लेकर १२ बजे रात तक, दम मारने का मौका नहीं मिलता सिनेमाघर आप के हैं लेकिन जनाब को देखने की फुरसत नहीं। आप को पैसा खा रहा है। कुछ लोग पैसे को खाते हैं और कुछ लोगों को पैसा खाता है। मसलन जो लोग वक्त पर सो गये समय पर जाग गये नहाया, खाना खाया, पैसा कमाये, दुनिया को खिलाया, खुद खाया वह तो पैसे को खाते हैं किन्तु जिसे न खाने की फिक्र, न जागने की फिक्र, न सोने की फिक्र, उसको पैसा खाता है। वह पैसा पैदा करते हैं किन्तु न खा सकते हैं और न खिला सकते हैं। किफायत से पैसा जमा करके एक कारखाना खोलते हैं उससे पैसा कमा कर जमा करते हैं और फिर उस पैसे से नया कारखाना खोलते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते है जिससे हजारों और लाखों को काम मिलता है। सरकार कोई धर्मशाला तो नहीं बनाती, सरकार कोई पौशाला तो नहीं चलाती, बिजनेसमैन ही है जो पैसा बचाता है वह धर्मशाले में, पौशाला खोलने में लगा देता है, वह पैसा कहां ले जाता है यह खाली प्रचार है कि वह बुरे हैं। वह पैसा इकट्ठा करता है, सरकार उनसे टैक्स लगा कर ले-ले लेकिन जैसे समाज में एक वकील की जरूरत पड़ती है एक वकील आता है और आध घंटे के लिये सरकार को सलाह देता है और दो हजार रुपया ले जाता है। तो जिस तरह से वह वकील आध घंटे के लिये दो हजार रुपये लेकर लुटेरा नहीं है। जिस तरह समाज में डाक्टर की, किसान की, मजदूर की, और इंजीनियर सब की जरूरत है उसी तरह से व्यापारीवर्ग की भी जरूरत है। मुल्क में हर चीज की आवश्यकता है यह सही है कि जहां पैसा फाजिल हो हमें देखना चाहिये, हम उन पर टैक्स लगा सकते हैं उनसे वसूल कर सकते हैं और अच्छे काम में उस पैसे को लगा सकते हैं, पैसा वे खुशी से दे सकते हैं क्योंकि मुल्क की पैदावार बढ़ेगी तो व्यापारियों की बिक्री भी बढ़ेगी तब उनका भी लाभ होगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमें उनकी रक्षा भी करनी चाहिये इसी सिलसिले में। अब एक शिकायत गवर्नमेंट की भी करना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेसमैन होने के नाते कहना चाहिये, वह कांग्रेसमैन नहीं है अगर वह सच बात नहीं कहता है। "शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि"। हमारे इन विरोधी दोस्तों को भी सरकार से शिकायत है, मुझे भी शिकायत है लेकिन आपकी शिकायत दूसरी है और मेरी शिकायत दूसरी है। मुझे शिकायत यह है कि प्रजातंत्र के जमाने में अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, अच्छे-अच्छे कानून, कायदे बनाना, और भले काम करना ही काफी नहीं है यह भी जरूरी है कि पब्लिक जाने भी कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आज यह हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर साहब सुबह उठ गये तो लगे मिसिल पढ़ने, मिसिल से दिमाग लड़ायेंगे, उसके बाद मुलाकातियों से बातें होंगी जो सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि गप भी लड़ायेंगे ताकि कोई असन्तुष्ट न जाय। मेरी प्रार्थना है कि यदि सब को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिएगा तो सब को नाराज कर दीजिएगा। आपका ताल्लुक तो कलेक्टर से, कमिश्नर से, उपमन्त्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री से है। उन लोगों से जब काम न हो तब आपको सुनना चाहिये आखिर एक आदमी २४ घंटे में कितना काम कर सकता है? आप रेस्ट नहीं लेंगे तो काम खराब होगा। जो अपीलेट कोर्ट है वह यदि रपट सुनता है काम कैसे होगा। वरना हुजूरवाला, आप अच्छा काम करें और आप की इतनी बदनामी हो? आप जरा अखबारों को उठा कर पढ़िये। हर अखबार शिकायत करता है कि सेल्स टैक्स गलत लग रहा है। हमारे मित्र अखबारों के प्रतिनिधि बैठे हैं ये क्यों आप के खिलाफ लिखते हैं? कोई कानून बना नहीं कि आन्दोलन शुरू हो जाता है आप सिंचाई का काम करते हैं अच्छाई के लिये और होती है शिकायत। सेल्स टैक्स आप पब्लिक के फायदे के लिये लगा रहे हैं लेकिन उसके विरोध में जुलूस निकलते हैं, नारे लगाए जाते हैं और एक शानदार जुलूस कौंसिल हाउस के सामने आता है और बड़ी सभा में परिणत हो कर कौंसिल भवन के सामने आप को गालियां देता है, और आप चुप रहते हैं। क्या आप चोरी कर रहे हैं? अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो बर्दाश्त कर लीजिये। लेकिन अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो जवाब दीजिये। मैं अर्ज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट इजाजत दे कि

[श्री सीताराम शुक्ल]

जिस वक्त यहां पर जुलूस आये और सभा हो तो अच्छे वक्ता उसमें बोलने के लिये भेजे जायं। मेरी सेवायें हाजिर हैं। अगर उस मीटिंग में हम बोल गये कि जहां फूलों के हार पड़ें तब कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि मुखालिफ़त हो, पब्लिक खिलाफ हो वहां बोला जाय। और सभा को अपने साथ कर लिया जाय गोरखपुर में एक बार सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो रही थी। मुझसे वहां के लीडर ने कहा कि तुम भी आ जाना कैम्प में और एक व्याख्यान दे देना। मैं जब वहां गया तो कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो खिलाफ बोलेंगे, इनको क्यों बुला लिया गया। अब यह विचार करने लगे कि इसको बोलने दिया जाय या नहीं। मैं समझ गया। मैंने कहा कि यदि मौका हो तो मैं जाऊं, बेकार में क्यों आप का वक्त खराब हो और मेरा भी। उन्होंने कहा, नहीं, आप बोलें। मैं बोलने लगा। एक जुमला बोलूं दस सवाल, दस जुमले बोलूं २० सवाल हो जायं। मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्पीच न हो तो हुक्म दीजिये मैं चला जाऊंगा। वरना मेरे भाषण को सुनकर तब प्रश्न कीजिये उत्तर देने हो तो आया हूं उन्होंने कहा आप बोलिये मैंने भाषण आरम्भ किया पांच मिनट तक नाक भौं सिकोड़ते हुए सुनते और लिखते गये किन्तु उसके बाद भौं सिकुड़ना बन्द हो गया तथा १५ मिनट के पश्चात् नोट करना भी बन्द हो गया और ध्यान से सुनने लगे। ४५ मिनट के पश्चात् मैंने व्याख्यान समाप्त किया और कहा कि अब सवाल पूछिये तब दो प्रश्न पूछे गये जिसका मैंने उत्तर दिया फल यह हुआ कि जो लोग पहले सुनना नहीं चाहते थे वही सबने मेरे भाषण को ध्यान से सुना और धन्यवाद दिया। तो मेरी गुजारिश है कि प्रचार के लिये जरा ऐक्टिव बनिये। अपनी बातों को लोगों से कहिये। आप सेल्स टैक्स के लिये कहते हैं। मैं कहता हूं कि व्यापारी वर्ग घर की औरतों के जेवर तक आप को दे जायगा। उनके लड़के आ कर आप का अवैतनिक और आनरेरी काम करेंगे। किन्तु पहले बताइये आपका काम अच्छा है प्रचार के महत्व को आप कम जानते हैं। प्रचार की कमी है ये आजमाये हुये साधी मुखालिफत में बोलते हैं यहां तो टाइम लिमिट है, लाल बत्ती हो गई। चन्द मिनट में प्रदर्शन हो सकता है प्रचार नहीं। मौका ही नहीं मिलता है कि हम लोग एक दूसरे के विचारों को बदल सकें पैसा ले आइये और प्रचार करके मुल्क की पैदावार बढ़ाइये। क्योंकि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका तो दुनिया को इमदाद दे, हिन्दुस्तान चुप रहे। रूस दुनिया को इमदाद दे, हम चुप रहें। हम तो कम्पिटीशन में आगे आना चाहते हैं। हम न सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं बल्कि सारी दुनिया को खाना, कपड़ा और मकान देना चाहते हैं। मेहरबानी कर के प्रचार पर भी ध्यान दीजिये और संसार का कल्याण कीजिये।

*श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय पिछले दस वर्ष में इस सदन में जितने भी कानून प्रस्तुत हुये उसमें से शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसने जनता के ध्यान को इतना आकर्षित किया हो इतना प्रभावित किया हो जितना इसने किया है जिसपर वाद विवाद करने के लिये आज हम सब एकत्रित हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष है। मनुष्य स्वभाव की यह एक स्वाभाविक दुर्बलता होती है कि संसार में कितनी ही बड़ी घटनायें होती रहें जिस बात का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी में सब से अधिक उसको दिलचस्पी होती है। अगर हम इतिहास के पन्ने उलटें और संसार के किसी भी प्रदेश के कर वसूली के इतिहास को देखें तो हमें संसार के किसी देश की कदाचित एक मिसाल भी न मिलेगी जहां किसी सरकार ने कोई कर लगाया हो और उस सरकार का स्वागत हुआ हो। किसी वित्त मंत्री ने कोई नया कर लगाया हो और उस वित्त मंत्री का जयघोष हुआ हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जब इस बिल को प्रस्तुत किया होगा मेरा विश्वास है कि कभी भी वे यह नहीं जानते होंगे कि उनके इस बिल के लिये कोई जयघोष होगा या नारे लगाये जायंगे । हम लोगों ने जब बिल को पढ़ा तो हम जानते थे कि इसका स्वागत जनता नहीं कर सकती । इसलिये कि हमारी निगाहों में इसमें कुछ दोष थे । इसलिये हम जानते थे कि यह बिल महलों में रहने वाले व्यक्तियों से लेकर झोपड़ों में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर प्रभाव डालता है । हम लोग जानते थे कि विरोधी दल को चुनाव का जब केवल एक वर्ष रह गया है इससे अच्छा हथियार नहीं मिल सकता । मान्यवर, हमारी धारणा कि विरोधी दल इस दिशा में अवश्य प्रदर्शन करेगा । वह चीज ठीक निकली । मेरा अपना विचार है कि जनतंत्रात्मक राज्य में डैमोक्रेसी को सफल बनाने का उस दल पर ही उत्तरदायित्व नहीं होता है जो सरकार को चलाता है वरन इसका उत्तरदायित्व विरोधीदल पर भी होता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी कुछ भी राय हो किसी भी नीति का वह प्रतिपादन करे लेकिन जनता में अराजकता का प्रतिपादन न करे और जनता में करों के प्रति अश्रद्धा का प्रतिपादन न करे । हम आशा करते थे कि जब विरोधीदल के लोग मुखालिफत करेंगे प्रदर्शन करेंगे तो जनता को यह अवश्य बतलायेंगे कि आज हमारे प्रदेश को ४५ करोड़ रुपये की आवश्यकता है हमें अभी पंचवर्षीय योजना के लिये एक बड़ी मात्रा में रुपया इकट्ठा करना है लेकिन इस बिल में अमुक गलतियां हैं अमुक कमियां है अमुक संशोधनों की आवश्यकता है और अमुक वस्तुओं पर अधिक कर लगाया गया है जो कम होना चाहिये लेकिन श्रीमन, मुझे दुख है कि ऐसी कोई बात हमें किसी भी वक्तव्य में, किसी भाषण में किसी लेख में सुनाई नहीं पड़ी।

श्रीमन्, जब इस सदन में मान्यवर श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी का भाषण हुआ तो हम आशा करते थे कि कम से कम ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे पर स्वयं वित्तमंत्री के पद का बोझ रहा हो वह अवश्य कुछ न कुछ प्रकाश डालेगा वास्तव में श्रीमन्, इस दिशा में उन्होंने यत्न भी किया वे जानते थे कि वह केवल सैल्स टैक्स का लगाना अनुचित है, कह कर अपना उत्तरदायित्व समाप्त नहीं कर सकते । उन्होंने इस सदन के सामने एक सिद्धान्त रक्खा कि कोई भी कर तब ही लगाया जाय जब अनिवार्य हो। ठीक है इस सिद्धान्त में दो मत नहीं हो सकते । लेकिन हम आशा करते थे कि वह इस पर प्रकाश डालेंगे । इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने १९२६ की कमेटी का जिक्र किया और उन्होंने एक ऐसा नुस्खा सदन को बताया कि जिसके जरिये उन्होंने कहा कि यदि हम इस कमेटी की रिपोर्ट को मान जिसके सभापति डा० संपूर्णानन्द जी थे तो हम इस सीधे-साधे नुस्खे से साढ़े पांच करोड़ रुपये बचा सकते थे । उनके इस नुस्खे की बड़ी चर्चा हुई क्योंकि अखबारों में जनता ने यह पढ़ा कि इतना बड़ा व्यक्ति जो इस प्रदेश का वित्त मंत्री रह चुका हो जब यह कहता है कि साढ़े ५ करोड़ रुपया इस तरह से वसूल हो सकता था तब फिर जनता यह पूछ सकती है और कह सकती है कि टैक्स लगाने की आवश्यकता क्या थी । मैं श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि यदि ऐसे जिम्मेदार लोग ऐसी भ्रान्तिमूलक बात न कहें तो अच्छा होगा। यह अच्छा होता यदि वे बतलाते कि इस रिपोर्ट की कौन-कौन सी सिफारिशें मानी जा चुकी हैं और आज की स्थिति में कौन सी मानी जा सकती हैं। २६ फरवरी, १९४८ को जब उन्होंने सदन के सामने सेल्स टैक्स बिल प्रस्तुत किया था तो मैंने उनके भाषण को पढ़ने कोशिश की और खोजने की कोशिश की कि कोई ऐसा यत्न हुआ है जो उस कमेटी की सिफारिशों की ओर ध्यान दिया गया हो। लेकिन यह मुझे नहीं मिला।

श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि यदि हम वास्तविकता में जायं तो जहां तक इस अमुक बात का संबंध है, करोड़ों की बात लाखों में आ जायगी ।

[श्री जगदीश सरन]

दूसरी बात, जिसको काफी चर्चा हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। दूसरी बात जो श्री पालीवाल जी ने हमारे सामने बतलाई थी वह यह है कि पी० डब्लू० डी० में ५ परसेंट जो एक्सेस के लिये प्राविजन होता है और जो कांटिजेन्सीज के लिये रुपया प्रोवाइड होता है, यदि हम इन दो मदों को समाप्त कर दें तो बड़ी बचत हो सकती है। मैं तो उनकी बात सुन कर चकित रह गया। हो सकता है कि किसी तरह से हम कुछ रुपया बचा सकें, और जो उपाय हैं उनके लिये मैं भी कुछ संकेत करूंगा, लेकिन यह बात असंभव है कि हम पर ५ परसेंट एक्सेस किसी कार्य के लिये प्रोवाइड न करें या कांटिजेन्सीज के लिये किसी काम में प्रोवाइड न करें। जिस व्यक्ति का पब्लिक वर्क्स से जरा भी संबंध रहा होगा वह इस आवश्यकता को जानता है। तो मेरा श्रीमन्, निवेदन यह है कि हम श्री पालीवाल जी से यह आशा कर रहे थे कि जब वह सेल्स टैक्स का होलसेल अपोजिशन करते हैं और जब वह इसकी वृद्धि को किसी तरह से भी उचित नहीं समझते तो वह कोई ऐसे ठोस सुझाव देंगे कि इतनी बड़ी धनराशि इस तरह से इकट्ठी की जा सकती है। अगर ऐसा होता तो अच्छा था। माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में टैक्सेबिल लिमिट के विषय में कहा। मैं बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय की अवधि सामने है, केवल इतना ही कहूंगा कि तिवारी जी ने हमारे सामने यह बताया कि टैक्सेबिल लिमिट ३०,००० होनी चाहिये। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जहां तक टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन का संबंध है उसमें स्पष्ट शब्दों में यह है कि मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्सेशन के लिये उन्होंने ५,००० की लिमिट बताई है और जहां सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन हो वहां पर उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में ३०,००० की लिमिट बताई है। जो हमारी सेल्स टैक्स की लिमिट थी वह १२,००० थी और मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस लिमिट के हट जाने से न हम व्यापारी वर्ग को ही कोई सुविधा दे सकते हैं और न जनता को ही कोई सुविधा दे सकते हैं और न उस से कोई विशेष लाभ हो सकता है।

इसके बाद माननीय तिवारी जी ने बंबई और मद्रास की पर कैपिटा इन्कम के बारे में जिक्र किया। इस के डिटेल में जाना मैं श्रीमन्, अनावश्यक समझता हूं और एक शब्द में इतना कहना चाहता हूं कि वह इस बात पर भी प्रकाश डालें कि आज बंबई मद्रास से हमारा प्रदेश डेवलपमेन्ट में कितना पीछे है। जो प्रदेश डेवलपमेन्ट में जितना पीछे है उतना ही ज्यादा वहां विकास की आवश्यकता है और जिस जगह जितने विकास की आवश्यकता है वहां उतने ही ज्यादा धन की आवश्यकता होगी और धन तो पैदा नहीं किया जा सकता वह कर के द्वारा ही आ सकता है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने बंगाल और बिहार के मर्जर का जिक्र किया और हमें यह बतलाया कि डाक्टर बी० सी० राय ने जिस तरह से एक उपनिर्वाचन के फल से उस प्रपोजल को वापस ले लिया, उसी तरह से क्यों नहीं वित्त मंत्री जी इसको वापस कर लेते। अच्छा होता श्रीमन्, यदि माननीय तिवारी जी ने हमें कुछ ऐसे उदाहरण भी दिये होते कि किसी देश में या किसी प्रदेश में कहीं कोई टैक्सेशन का बिल आया हो और वह टैक्सेशन का बिल वास्तव में पब्लिक की राय जानने के लिये पहले घुमाया गया हो और उसको फिर निर्वाचन का ईश्यू बनाया गया हो।

इतना कहने के बाद श्रीमन्, मैं अब बहुत संक्षेप में इस विधेयक के कुछ दोषों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक पूर्ण है। मैं स्वयं भी यह समझता हूं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और हमारा कर्तव्य है और सदन का अधिकार है कि उन कमियों की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलायें और उनको

सुधारे। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह अन्तिम शब्द नहीं है। वह एक दूसरा बड़ा बिल शीघ्र ही सदन के सामने ला रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव इस समय सदन में उनके सामने रखे जायेंगे वह उन पर विचार करने की कृपा करेंगे और उन पर विचार करके बिल की कमियों को दूर करने की कृपा करेंगे। अब मैं २, ३ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहली बात यह है कि इस विधेयक में जो खाद्यान्नों पर टैक्स लगाया गया है अच्छा होता यदि वह न लगाया गया होता। आखिर इंडियन पार्लियामेंट में १९५२ में बड़े विचार विनिमय के बाद एसेन्शियल गुड्स डिक्लेरेशन ऐक्ट पास किया गया था। उसमें उन्होंने बड़े सोच विचार के बाद यह निश्चय किया कि समाज के कल्याण के लिये, समाज के जीवन के लिये, समाज के निर्वाह के लिये कौन-कौन सी वस्तुयें आवश्यक हैं और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे वस्तुयें जो समाज के निर्वाह के लिये आवश्यक हैं उन पर कोई भी प्रदेशीय सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। उन्होंने एक दरवाजा अवश्य खोले रखा कि प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति प्राप्त करके वह लगाया जा सकता है। तो यदि आज हम खाद्यान्नों पर टैक्स लगायें तो कानूनन तो उस ऐक्ट की अवहेलना नहीं होती लेकिन उसकी, स्प्रिट की, उसके अभिप्राय की अवश्य अवहेलना होती है। जब तक ऐसी इमरजेन्सी न आ जाय और अनिवार्य स्थिति हमारे सामने न आ जाय हम खाद्यान्न जैसी वस्तुओं को कर मुक्त रखें तो अच्छा है। लेकिन यदि माननीय वित्त मंत्री यह अनुभव करते हों कि ऐसी स्थिति है कि हमें खाद्यान्नों पर भी लगाना चाहिये तो वह लगायें लेकिन उस शक्ल में मेरी यह प्रार्थना है कि वह कम से कम दर पर होना चाहिये। हमें हर्ष है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि हम मल्टीपिल प्वाइंट से सिंगिल प्वाइंट करने जा रहे हैं। इस सदन में माननीय सदस्यों ने भाषण देते हुये कहा कि हमने खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यदि वह जांचने की कोशिश करेंगे तो वह देखेंगे कि मल्टीपिल प्वाइंट से सरकार को अनुमानतः ३ करोड़ रुपये प्राप्त होने जा रहे थे। सिंगिल प्वाइंट करने से १।। करोड़ रुपये की कमी हो जाती है। तो १।। करोड़ रुपये का नुक्सान इस घोषणा से सरकार को हो जाता है। तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह यह भी घोषणा करें तो बहुत अच्छा हो कि जब तक सिंगिल प्वाइंट टैक्स नहीं होता तब तक मल्टीपिल प्वाइंट की टैक्स दर ६ पाई से ३ पाई कर देंगे। यदि उन्होंने यह सिद्धान्त मान लिया कि हमें आगे जा कर ६ पाई लगाना है तो कौन सा कारण है कि जो उसका इक्विवलेन्ट है ६ पाई का उसको यहां पर न रखें। उसके करीब का इक्विवलेन्ट ३ पाई होता है तो उसको ही रखें और ६ पाई हरगिज नहीं। तो मैं बड़े आदर के साथ लेकिन फोर्स के साथ उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस पर वह विचार करें और इसके लिये यह दर कर दें।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मौजूदा जो हमारा विधेयक है उसमें आटे और गेहूं पर दोनों चीजों पर टैक्स लगाया गया है, अगर माननीय वित्त मंत्री जी ने आटे को कर से पूर्ण मुक्त नहीं किया तो उसका परिणाम यह होगा कि सिंगिल प्वाइंट करने के बाद भी दोनों प्वाइंट पर टैक्स लगेगा। एक तो गेहूं पर और दूसरे आटे पर। आटा और गेहूं वह वस्तुएं हैं जो गरीब से गरीब आदमी भी जो झोंपड़ी में रहता है वह और जो महलों में रहता है वह सभी खाते हैं। झोंपड़ी वाले पर उसका ज्यादा भार पड़ेगा। तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और आटे और गेहूं पर टैक्स न लगा कर एक को सर्वथा मुक्त कर दें।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में अभी तक जितने भी सदस्य बोले हैं एकमत से उन्होंने यह मांग की है कि इस प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज की सारी प्रोडेक्ट्स को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दें। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में ऐसा आश्वासन दिया कि वे इस ओर पूरा ध्यान देंगे। इसके पहले हमारे सामने सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल आया था उस वक्त भी ऐसी बात आयी थी कि वह काटेज इंडस्ट्री के लिये प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। जो बजट

[श्री जगदीश सरन]

स्पीच हमने माननीय वित्त मंत्री जी की देखी उसमें भी हमने देखा कि उनका विचार है कि नई काटेज इंडस्ट्रीज के लिये वह ६ करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो जाय कि एक बने हुए मकान को गिरा कर उसके मैटीरियल से दूसरे मकान बनायें। जो पुरानी इंडस्ट्रीज कायम हैं, जिन पर लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन का सहारा है वह उनसे छीन करके नयी इंडस्ट्रीज लगायी जायं और नया तजुर्बा किया जाय। यदि यह हुआ तो इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। यह देश के लिये बड़ा अहितकर होगा। मेरी प्रार्थना है कि काटेज इंडस्ट्रीज से अनएम्प्लायमेंट दूर हो सकेगा। आज जनता को बड़ी शिकायत है कि इस पहली पंचवर्षीय योजना में हम अनएम्प्लायमेन्ट के सवाल को दूर नहीं कर सके। इसका एकमात्र हल यही है कि हम निश्चय करें कि जिस इंडस्ट्री से अनएम्प्लायमेंट दूर हो सकता है उसको प्रोत्साहन दें और उसको सेल्स टैक्स से मुक्त कर दें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि काटेज इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में उनको प्रोत्साहन देने के लिये जो कर लगा हुआ है या लग सकता है उससे उनको मुक्त करने की कृपा करें।

इसके बाद मैं दो एक बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा। जो टैक्स लगा हुआ है उसकी दर कुछ भी हो, लेकिन उसके वसूल करने की जो मशीनरी हो, उस पर जनता को सन्देह नहीं होना चाहिये वरन् जनता को विश्वास होना चाहिये कि हम जो कुछ लेते हैं वह न्याय से ही लेते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो परिवर्तन इसमें किया गया है उससे सन्देह होता है इसलिये इस मशीनरी को ज्यादा सख्त और तेज कर दिया जाय जिससे न्याय जल्दी और ठीक मिल सके।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बिल की धारा १० में अब तक यह था कि दो कोर्ट्स थी—एक अपीलेट कोर्ट जज और दूसरा रिवीजन कोर्ट जज। पहले को यह अधिकार था कि वह अपीलों को सुने और दूसरे को यह अधिकार था कि वह रिवीजन के समय प्रोपराइटी और लीगेलिटी के क्वेश्चन कर सकता है। इसको हटा देना खतरे से खाली चीज नहीं है। अब नया प्रावीजन यह हो गया है कि केवल फैक्ट्स पर ही अपीलें हो सकती हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि दूसरे प्रदेशों में कहीं भी ऐसा अधिकार नहीं है। उसके प्रोपराइटी या औचित्य के आधार पर सवाल नहीं कर सकते हैं। वहां पर जो रिवीजनिंग अथारिटीज हैं वह उनको रिवाइज कर सकती है। इसी प्रकार सिविल प्रोसीजर कोड में सारे ग्राउन्ड्स पर ही रिवीजन करने का अधिकार है। समय बहुत थोड़ा है। मैं इधर ध्यान दिला कर समाप्त करूंगा। अब तक जो ऐक्ट था उसमें पावर आफ स्टे जज को थी। किसी असेसिंग अथारिटी ने कर लगा दिया तो उसको सेक्शन १० में अधिकार था और वह स्टे दे सकता था। आज वह अधिकार छीन लिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी धांधली की बात है। अगर किसी पर दस हजार रुपये का टैक्स लगा दिया जाता है और ऐसा कोई अधिकारी नहीं रहता है जिसको स्टे के आर्डर्स देने का अधिकार हो। जिन लोगों ने कर लगाया है अगर उन्हीं को पावर्स हों तब जनता को संदेह रहेगा न्याय मिलने में। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

इवेजन को रोकने के लिये पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय। इसके लिये रेलवे और लारीज को चेक किया जाना लाजमी है। ऐक्साइज ड्यूटी की बात है, कपड़े की बात है। उसके लिये हम कोशिश करें उस तरह से वसूल करने की जैसे कि सेंट्रल का तरीका है। अगर इस तरह से किया जाय तो इक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता

है। माननीय, मैं एक मिनट और लूंगा और इसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि इस विषय में भी लोकल एडवाइजरी कमेटीज बनाना बहुत जरूरी है और उनसे जनता का और सरकार का दोनों का बहुत लाभ होगा और सेल्स टैक्स कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की है और उसके न बनने से जो हानि हो रही है वह हमारे सामने है। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि मोटर स्प्रिट पर भी किसी न किसी तरह से टैक्स बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त हम उस पर केवल दो आना फी गैलन टैक्स दे रहे हैं जब कि वह मद्रास में ६ आना फी गैलन है। इसके अलावा जो मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी सन् ५० में बनी थी उसकी भी ऐसी सिफारिश थी, इस ओर भी इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से भी हम काफी धन पा सकेंगे।

एक आखिरी बात मुझे और कहनी है कि यहां पर एकनामी की चर्चा कई बार की जा चुकी है, एकनामी से हमारी बचत भले ही कम क्यों न हो लेकिन उसके करने से एक ऐसा वातावरण पैदा होता है जो जनता को प्रभावित करता है, उससे हम अपने स्टेप को जस्टीफाई कर सकेंगे और उसमें अपने प्रति एक विश्वास पैदा कर सकेंगे और उसको समझा सकेंगे कि वास्तव में जो टैक्स लगाया जा रहा है और जब हम उसकी रोटी पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं तो जो एक पाई की बचत भी जो हम कर सकते हैं उसको करने के बाद लगा रहे हैं, हमने देखा कि अंग्रेजों के जमाने में पिछली लड़ाई के दिनों में पिनों के बजाय कांटे इस्तेमाल किये गए और लाल रोशनाई वगैरा का प्रयोग बन्द किया गया था, उसका उद्देश्य कोई पैसा बचाना नहीं था बल्कि चूंकि उस समय एक एकनामी ड्राइव चल रहा था इसलिए उस किस्म का एक एकनामी ड्राइव चलाया गया था, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब और माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रकार के सर्कुलर सब विभागों में भेजें कि उन में किस तरह से कहां-कहां एकनामी हो सकती है और इस तरह से चारों तरफ एक एकनामी का वातावरण पैदा किया जाय और अगर हम ऐसा वातावरण पैदा कर सकें तो मुझे विश्वास है कि हम जनता का सहयोग प्राप्त करके अपने प्रस्ताव को स्वीकार करा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जितना भी विरोध कर सकूं वह थोड़ा होगा। जिस प्रकार से आर्डिनेंस के जरिए इस बिल की पैदाइश हुई, यह जितना अनडेमोक्रेटिक है उतना ही सरकार के पक्ष से वायदे को तोड़ने वाला है। जब मुझे यह बात याद पड़ती है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी का जवाब देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने यह फरमाया था कि बगैर हाउस के सामने ले आये हुए और उसकी सलाह लिए बिना कोई टैक्स लगाने वाला काम सरकार नहीं करेगी और उसके बाद सिर्फ ४–५ दिन के लिए छुट्टी में जब विधान सभा की बैठक स्थगित हुई तो इसी बीच में मैं नहीं समझता कि कौन सी ऐसी आफत बरपा हो गई कि ५ या ६ दिन का इन्तजार न किया जा सका और सरकार ने आर्डिनेंस निकालने की जरूरत महसूस की। मैं समझता हूं कि सरकार के वायदे की भी कुछ सैन्कटिटी होनी चाहिए और अगर सरकार बावजूद इसके कि मुझे कहना चाहिए कि कानूनी हक तो सरकार को भले ही हो क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला इस विषय में हो चुका है लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में सरकार की पाबन्दी होनी चाहिए कि जो कुछ वह कहे उस बात से वह पीछे न हटे बल्कि उससे उल्टा न चले, इसमें पीछे हटने की ही बात नहीं है बल्कि सरकार उल्टा चली। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे इस विधेयक का विरोध करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल साढ़े ५ करोड़ रुपया इकट्ठा करने का यह विधेयक नहीं है। यह काम तो हिसाब-किताब करने वालों का है कि कितने रुपये इससे इकट्ठा होंगे लेकिन कम से कम यह बात जरूर है कि इस सूबे के करोड़ों आदमी जो रीढ़ हैं समाज के उनकी पाकेट्स से कुछ पैसा निकालने वाला यह विधेयक है। उनकी जिन्दगी से सरोकार रखता है तो मैं समझता हूं कि जो ९४ करोड़ का बजट हमने पास किया वह उतने महत्व का नहीं था जितने महत्व का यह है। ९४ करोड़ का बजट जो हमने पिछले साल पास किया उस वक्त यह प्रश्न नहीं था कि करोड़ों आदमियों के पास से यह रुपया निकालना पड़ेगा जो साढ़े ९ करोड़ का डेफिसिट हम इस बजट में पाते हैं। आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि करोड़ों नंगे व भूखे लोग जो हैं उनसे हम कुछ न कुछ पैसा इस विधेयक के जरिये से निकालेंगे। फिर इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही महत्व का है और इस पर सदन को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह सही है जो हमारे और साथियों को--उस तरफ बैठने वालों को बहुत घबराहट हुई और खास तौर से जगदीशशरण जी को--सही नब्ज उन्होंने पब्लिक की पकड़ी। होनी चाहिये घबराहट। मैं तो ऐसा समझता हूं कि सन् १९४२ में जो सारे हिन्दुस्तान में एक आवेश था, गुस्सा था, नाराजगी थी, अंग्रेजों को निकालने के लिये और जिस तरह से महात्मा गांधी के इशारे पर, आशीर्वाद पर, आह्वान पर देश में एक कोने से दूसरे कोने तक अंग्रेजों को निकालने के लिये लड़ाई जारी की थी उसके बाद अगर जनता में आवेश रिजेंटमेंट हम लोगों को देखने को मिला तो इस सेल्स टैक्स के लगने के बाद। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूं यू० पी० की सरकार को, जो काम अपोजीशन पिछले चार-पांच साल में नहीं कर पाया उसको यू० पी० की गवर्नमेंट ने कर दिया एक दो दिन के अपने काम में --सेल्स टैक्स लगा कर। इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं था जो कोई पार्टी इतने बड़े पैमाने पर आर्गनाइज करती और सारे शहरों को एक मर्तबा खड़ा कर देती इस गवर्नमेंट की मुखालिफत करने के लिये। यह किसी पार्टी का काम नहीं था। स्पोनटेनियस था। आपसे आप ही भावना लोगों में फैली और उस भावना के साथ, उस जन जाग्रति के साथ दूसरी पार्टियों को भी होना पड़ा। यह बात सही है कि हमने बहुत ही नाराजगी की दृष्टि से उसको देखा था लेकिन नाराजगी की दृष्टि से देखने के साथ भी जितना आवेश हम जनता में देखते थे मन में हम उस आवेश को समझते हुए उतने आवेश में हम नहीं थे जो स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि अगर सही मानी में सरकार उस बात को ले नारायणदत्त जी ने जो कहा या पालीवाल जी ने जो कहा कि जनता में यह बिल वितरित किया जाय और उसमें उसको मत लेने का मौका दिया जाय। इन दोनों में कोई बहुत अन्तर नहीं है। मैं तो उम्मीद यह करता हूं कि जिस प्रकार से विधान बाबू ने दो उप-चुनावों का परिणाम जानने के बाद कहा कि बंगाल और बिहार के मर्जर के विचार को हम त्याग देते हैं तो मैं विधान बाबू से भी पूज्य अपने नेताओं से भी यहां जो सरकार संभाले हैं उनसे उम्मीद यह जरूर करता था कि उन्हें भी उसी लाइन पर सोचना चाहिये और जनमत का आदर करना चाहिये और ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिये।

हमारे कुछ भाइयों को ऐसा लगता होगा कि मैं बड़ी ऐबसर्ड बात कह रहा हूं। मैं आगे आपसे निवेदन करूंगा कि आखिर आप रुपया किस लिए लेना चाहते हैं? रुपया क्या होगा? बड़ी साफ बात है कि हम प्लान को कामयाब करना चाहते हैं। पिछली पंचवर्षीय योजना की मियाद खत्म हो चुकी। अब इस वक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मियाद में चल रहे हैं। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल करना चाहते हैं इसलिए रुपया चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं इसके लिये कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह प्युपुल्स प्लान नहीं थी। यह सरकार का कहना है। अब यह पंचवर्षीय योजना

जो है यह है प्युपुल्स प्लान। तो प्युपुल्स प्लान के मानी क्या ? प्युपुल्स प्लान के यह मानी नहीं हैं कि हम किस तरह से प्लान के लिए द्रव्य इकट्ठा करेंगे और कैसे उस प्लान को कामयाब करेंगे इससे सरकार नहीं है करोड़ों जनता का। जब हम देश के करोड़ों लोगों से जिनके लिए हम प्लान में इस बात की गुंजायश करते हैं कि हम उनको रोटी, कपड़ा मकान, उनकी पढ़ाई का बन्दोबस्त करेंगे। तो फिर उसके लिए धन कहां से आये, किस प्रकार से आये वह धन किस प्रकार से व्यय हो, यह उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। उसकी मर्जी के बगैर यह काम करना बहुत गलत है। सारी जनता की बात तो अलग रही, यह ४३१ आदमियों की यह विधान सभा है। सरकार ने इनसे भी सलाह नहीं ली। इन ४३१ सदस्यों से भी सलाह इस सरकार को लेने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। यह प्युपुल्स प्लान को कामयाब करने का तरीका है। इन ४३० आदमियों पर भी सरकार को कांफीडेंस नहीं है जिसमें थोड़े से इधर बैठने वाले लोग हैं जो सरकार का विरोध करते हैं, बड़े सेंसिबिल ढंग पर, समझदारी के साथ। अपने ही घर में सरकार को यह भरोसा नहीं कि वह लोग इसको पसन्द करेंगे और कहेंगे कि प्युपुल्स प्लान के लिये हमको धन चाहिए। प्युपुल्स कोआपरेशन, प्युपुल्स प्लान के लिए हम समझते हैं कि उससे जरूरी कोई चीज दूसरी हो नहीं सकती। प्युपुल्स कोआपरेशन कैसे मांगा जाता है कि जो सब से निर्धन वर्ग है उस निर्धन वर्ग से जरूर कुछ न कुछ पैसा ले आओ। कैसे ? नमक कौन खरीदेगा, अनाज कौन खरीदेगा, कपड़ा ज्यादा कौन खरीदेगा, केरोसीन आयल कौन खरीदेगा, इत्यादि-इत्यादि। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों पर टैक्स सरकार ने लगाया। प्युपुल्स प्लान को चलाने के लिए उनसे रुपया निकालो। क्यों इन से रुपया निकाली ? इनके लिए क्या किया पिछले वर्षों में ? अगर कुछ मैटीरियल गेन उन्होंने किया होता तो वाजिब था कि सरकार उनसे कहे कि कुछ दो। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या किया उनके लिए हमारी सरकार ने! हमारे सामने आंकड़ों की भरमार है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में २७७ रुपये आमदनी वार्षिक सब की हो गयी। मैं चैलेंज करता हूं सरकार इसके लिये तैयार हो कि सूबे के किसी गांव में सरकार अपने आंकड़ों के वैज्ञानिकों को भेजे लेकिन मैं कहूंगा कि मैं भी चलूंगा कुछ और दूसरे लोग भी जो अर्थ शास्त्री हैं उनको भी मैं कहूंगा कि चलो और चल कर के हम सारे गांव के बसने वाले जो लोग हैं उनकी सालाना आमदनी का हिसाब, लेखा-जोखा करे और एक गांव भी सूबे में ऐसा साबित हो जाय कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी सालाना २७७ रु० है, एक गांव, बहुत स्पष्ट कहता हूं सूबे भर में जो १ लाख से ज्यादा गांव हैं, करीब १,११,००० गांव, कस्बों को मैं नहीं लेता। तो फिर मैं कहूं कि सरकार की जीत है। मैं दावे से कहता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिस गांव में सब के सब लोगों की आमदनी २७७ रु० वार्षिक हो गई हो। नहीं है। यह भ्रान्ति है। और यह गलत हिसाब, फर्जी हिसाब लगा करके सरकार ने सोचा कि फिर इनके ऊपर टैक्स लगाने में हर्ज क्या है ? सरकार कहती है कि सन् १९४८-४९ की २४९ रु० की आमदनी आज सन् १९५४-५५ में २७७ रु० प्रति व्यक्ति हो गई। तो सरकार समझती है कि यह २८ रुपये की आमदनी उसकी बदौलत बढ़ गई, यह उसकी परकैपिटा इन्कम बढ़ गई, सरकार यह समझती है, तो सरकार यह कहती है कि उसके अनाज पर, नमक पर, तेल पर, कपड़े पर अगर रुपया, दो रुपया, सरकार ले ले तो २८ में से २, १ ही लेंगे बाकी उसके पास छूट जाता है। तो या तो सरकार की नीयत खराब है या सरकार हद दर्जे की अहमक है जिसको हिसाब लगाना ही नहीं आता। दोनों में से कोई बात है। या तो उसको कतई हिसाब किताब करना नहीं आता, फर्जी हिसाब-किताब है और नहीं तो उसकी ऐसी नियत है कि वह गलत हिसाब लगा करके लोगों से रुपया खींचना चाहती है और उन लोगों से खींचना चाहती है जो नहीं देने लायक है।

[श्री गेंदासिंह]

मैंने उपाध्यक्ष महोदय, जो चैलेंज किया सरकार इसको ऐक्सेप्ट करे और सरकार सूबे के कुछ गांवों को छांटे। जस्टीफाइड नहीं हो सकती यू० पी० की हुकूमत जब तक कि हमारी इस बात को स्वीकार न कर ले। मैं दावे से कहता हूं कि पर कैपिटा इन्कम जिसको वित्त मंत्री जी ने बड़े पवित्र अवसर पर घोषित किया इस हाउस में कि हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की नेशनल इनकम २७७ रु० सन् १९५४-५५ में हो गई है अगर यह साबित नहीं होता तो मैं समझता हूं कि यह टैक्सेशन मेजर गलत साबित होता है। अगर २७७ रु० पर कैपिटा इन्कम सारे देश के लोगों की हो गई तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस हिसाब के बाद हम विरोध करना नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे कि ठीक है सरकार की बदौलत, उसने बड़े-बड़े काम किये, उसकी बदौलत हमारी आज आमदनी बढ़ी। अगर उसके काम की बदौलत हमारी आमदनी बढ़ी तो देना चाहिये और दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर स्माल सेविंग आन्दोलन जो है वह किन लोगों से सफल हुआ है? छोटी आमदनी वाले लोगों ने रुपया दिया है। जब कभी जरूरत हुई तो देश का गरीब तबका, मध्यमवर्गीय जो कुछ कर सकता है उसने कभी उठा नहीं रखा। चाहे राष्ट्रीय आन्दोलन में या राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद जब देश के निर्माण की आवश्यकता है, तो चाहे आप श्रमदान ले लें, स्माल सेविंग में, किसी भी क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि वह तबका कभी पीछे नहीं है। वह हमेशा कंधा लगाये हुये है। लेकिन सवाल तो यह है कि उसके कंधा लगाने का सरकार अनुचित लाभ कब तक उठायेगी। हमारी इस राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति का अनुचित लाभ सरकार क्यों उठाती है। हमको शिकायत है इस बात की सरकार अनुचित लाभ न उठाये। सरकार को पैसे की जरूरत है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं सरकार ने कुछ हिसाब किताब जोड़ा? केवल अनाज का हिसाब मैं इस वक्त आपसे पूछना चाहता हूं और अपनी तरफ से जरा सजेस्ट करना चाहता हूं कि साढ़े ५ करोड़ का हिसाब लगा करके उपाध्यक्ष महोदय इन सारी चीजों पर, दर्जनों चीजों पर टैक्स बैठाया। कहते हैं कि सिर्फ साढ़े पांच करोड़ रुपये आयेंगे। सरकार जरा आंख खोले और मैं उससे कहना चाहता हूं कि इस सूबे में कितने लोग हैं जिन लोगों को खरीदकर के अनाज खाना पड़ता है। अब मैं जोड़ देता हूं हिसाब। इस देश में जितने एग्रीकल्चुरल लेबर हैं जिनमें ज्यादातर लोग हरिजन हैं वह तो खरीदकर खाते हैं। हमारे शहर के लोग जो हैं, इस वक्त करीब ८५ लाख के वह हैं, शहरों की यह ८५ लाख की आबादी खरीदकर के खाती है, उसमें चाहे हमारे मेहतर भाई हों, चाहे हरिजन भाई हों, चाहे बनिया भाई हों, सब कोई खरीदकर के खाते हैं। हमारा यह अन्दाजा है कि जो एक एकड़ से नीचे खेती करने वाले किसान हैं और जिनकी संख्या ४६ लाख परिवार है, यह ४६ लाख परिवार एक एकड़ से नीचे वाले, ये भी बगैर खरीदे तो नहीं काम चला सकते। ४६ लाख परिवार का अगर हम हिसाब लगायें। पांच आदमी फी परिवार के हिसाब से तो यह दो करोड़ से ज्यादा होते हैं। तो ४६ लाख यह परिवार ८५ लाख शहर के रहने वाले और जो एग्रीकल्चुरल लेबरर हैं करीब ७० लाख के मैं समझता हूं इस सूबे में हैं भूमिहीन, सब को जोड़िये। मैं झगड़ा छोड़ने के लिए इस वक्त सिर्फ दो करोड़ की आबादी मान लेता हूं। साढ़े छः करोड़ की आबादी में से मैं केवल दो करोड़ की आबादी मान लेता हूं कि वह रोज खरीदकर खाते हैं। शहरों में भी ऐसे काफी लोग हैं जो बाहर खेती करते हैं। तो इन सब को छोड़कर मैं समझता हूं कि दो करोड़ की आबादी खरीद करके खाने वाली है। अगर खरीद करके खाने वाली आबादी दो करोड़ है और अगर स्वास्थ्य मंत्री के साइज के मुताबिक दे देते हैं सबको खूराक आठ छटांक, मोटा छोटा गल्ला आठ छटांक उनको दे देते हैं तो

एक करोड़ सेर रोजाना हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, एक करोड़ सेर अगर रोजाना होता है तो उसकी कीमत हम तीन सेर रुपये का मान लेते हैं, चावल, गेहूं, चना, मटर, मक्का सबका हिसाब जोड़ करके उसका एक औसत हम मान लेते हैं, ताकि हमारे भाइयों को कुछ ज्यादा दिक्कत न हो और ज्यादा कन्ट्रोवर्सी न हो, तो हम तीन सेर मान लेते हैं। इस तरह से ३३ लाख की खरीद होती है। अब जरा इस बात का हिसाब लगा लें। कई भाइयों ने कहा कि कितने मल्टीपुल प्वाइंट पर आप टैक्स लेंगे, अभी तो आपने फैसला किया कि आगे चल कर एक सूत्रीय इसका कर रहेगा लेकिन अभी ६ महीने तक तो रहेगा मल्टीपुल। मैं एक महीने का सोच रहा हूं और छः महीने में कितना आप इकट्ठा कर लेंगे? अगर ३३ लाख रुपये रोजाना है तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तीन सूत्रीय तो जरूर रहेगा अनाज पर कर। इसलिए कि चन्दौसी से, बुलन्दशहर से, हापुड़ से, इन मंडियों से एक आदमी खरीद कर ले जायगा लोकल मार्केट में, जिलों में, एक तो वहां दिया। अपने घर पर ले जाकर के वह स्वयं नहीं बेचता है, दूसरे लोगों को देता है जो रिटेलर्स हैं, वह ले जाते हैं। रिटेलर्स भी स्वयं नहीं खाते, वह बेचते हैं कन्ज्यूमर्स को। चार भी कहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं तीन मान लेता हूं। तीन दूनी छः।

डेढ़ आना एक रुपये पर टैक्स लगेगा तो साढ़े उंचास लाख आने रोजाना होते हैं, यानी तीन लाख रुपये से कुछ ज्यादा हो गया रोज। इस प्रकार से ९० लाख, या एक करोड़ रुपया महीना होता है। तो १२ करोड़ रुपया सिर्फ अनाज से हमको एक वर्ष के भीतर सेल्स टैक्स से आने वाला है। कुछ लोग यह कहेंगे कि सभी दूकानदार १२,००० के टर्नओवर के नहीं होंगे, कुछ १२,००० से नीचे के भी होंगे और उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जरा हमको सुझावे कि क्या कोई अलग-अलग साईनबोर्ड लगा रहेगा कि यह १२,००० के ऊपर के टर्नओवर का दूकानदार है और यह १२,००० से कम का है, इसलिए १२,००० से अधिक वाला डेढ़ आना फी रुपया ज्यादा दाम लेगा और कम वाला कम लेगा अनाज का दाम। कोई इसका प्रबन्ध है? माननीय धर्मसिंह जी जरा इसको सोचें और गौर करें। कौन दूकानदार मानने वाला है भकुवा? और यह भाव क्या जो सरकार यहां से निर्धारित करेगी वही तय रहेगा? उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स लगते ही भाव आसमान पर चढ़ने लगे। कोई दुनिया का दूकानदार मानने को तैयार नहीं है कि हम १२,००० से कम वाले हैं इसलिए हमको रुपये में डेढ़ आना कम दो। कौन करेगा ऐसा? और चूंकि हम १२,००० से ज्यादा वाले हैं इसलिए तुम हमको डेढ़ आने रुपये से ज्यादा दो, कौन उनकी दुकान पर खरीदने जायेगा? यह है प्रैक्टिकल? यह कतई प्रैक्टिकल नहीं है, किस ध्यान में हैं आप? और कहीं हिसाब लगाया हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, लिख करके कि जैसे जूता खरीदते हैं तो रसीद मिल जाती है, लेकिन इस अनाज के ऊपर कैसे सेल्स टैक्स की रसीद मिलेगी? रेट बाजार में खुल गया कि रुपये का दो सेर बिक रहा है, चाहे १२,००० से ऊपर का दूकानदार हो या नीचे का, वह तो दो सेर का सब जगह बिक रहा है। जिस भाव से बाजार रेट तय हुआ वही सब जगह है। जब दूकानदार को सेल्स टैक्स आफिसर तलब करेगा तो कौन दूकानदार तसलीम करेगा कि वह १२,००० से ज्यादा टर्नओवर का दूकानदार है। साल में एक मर्तबा ऐसा मौका पड़ेगा जब वह कहेगा कि हम नहीं हैं १२,००० से ज्यादा टर्नओवर रखने वाले। लेकिन खरीदार से कौन कहेगा कि हम ज्यादा टर्नओवर रखने वाले हैं? पकड़े जाने पर देखा जायगा। इसलिए एक भी दूकानदार ऐसा नहीं हो सकता जो कि फी रुपया डेढ़ आना कम लेकर कन्ज्यूमर को दे।

तो १२ करोड़ तो अनाज से आप इकट्ठा करना चाहते हैं और कपड़े से कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? एक चीज का हिसाब लगा कर हमने बताया। अगर ऐसी

[श्री गेंदासिंह]

ही बात है कि जो हिसाब आपने इंसीडेंस टैक्स का लगाया है, एफिश्येंटली और ईमानदारी से उसको वर्कआउट किया जाय तो सही तो यह है कि जैसे बम्बई और मद्रास में लैण्ड रेवेन्यू में सेकेंडरी जगह ले ली है, इसी तरह से यू० पी० में सेल्स टैक्स भी सब से प्रथम स्थान ले सकता है। तो अगर अनाज से हमको १२ करोड़ रुपया मिला तो कपड़ा, किरोसिन आयल और अन्य चीजों में २५ करोड़ से कम आने वाला नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अभी और है।

श्री गेंदासिंह—२५ करोड़ हमको मिलेगा नहीं। हमको मिलेगा तो फिर क्यों साढ़े पांच करोड़ के लिये इतने लोगों को पकड़ा गया, और क्यों इतना बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया गया? मैं तो हिसाब-किताब बहुत जोड़ने वाला नहीं हूं लेकिन डिपार्टमेंट ने इस बात को समझा नहीं और अगर समझा तो नीयत गड़बड़ थी लेकिन मैं यह कहता हूं कि उसने समझा नहीं और अगर समझा तो साढ़े पांच करोड़ के लिये नमक जैसी चीजों पर क्यों कर लगाया गया? मैंने तो हिसाब-किताब लगा कर १२ करोड़ रुपया खाली गल्ले से मिलेगा और कपड़ा और कितनी ही चीजें हैं और मुझे यह बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि जितना रुपया इन तमाम चीजों के जरिए से लोगों के घरों से निकाल कर लावेंगे उतनी रकम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और वह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में जायगी। खुली छूट है और जिस वक्त मंत्री जी ने कहा कि अख्तियार तो यहां तक हो जायेगा कि एक आदमी पकड़ा गया और कहा गया कि तुम्हारा १२ हजार रुपये का टर्नओवर है और वह कहेगा कि १२ हजार का टर्नओवर नहीं है। अब अफसर को अख्तियार दिया गया है ५० हजार का हो तो १२ हजार कहे अगर चाहे और ८ हजार हो तो १२ हजार कहें। क्या परिणाम होगा? मैं ऐसी बात नहीं कहता कि सबके सब राज्य कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें ईमान नहीं है। जो मिनिस्टर साहब लोग उधर बैठे हैं उनमें भी ईमान है, फिर आडिट की, एकाउन्टेंट जेनरल की क्या जरूरत?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यहां आकर कोई ईमानदार नहीं रहता।

श्री गेंदासिंह—मैं तो समझता हूं कि उनमें ईमान है और अगर वहां जाने पर नहीं रहता तो मैं हाफिज जी से कहूंगा कि वे उस जगह को फौरन छोड़ें गो कि मैं ऐसा नहीं समझता। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूर कहना चाहूंगा कि कितने फैक्टर्स होते हैं जो आदमी को गिराते हैं और इसलिये जरूरी है कि सरकार ऐसे कानून बनावें जिसमें जो राज्यकर्मचारी हैं उनके कम से कम गिरने का मौका हो। हमारे लिये भी पांच वर्ष के बाद कसौटी पर कसने के लिये जनता में जाना जरूरी रखा गया है। नहीं यह होता कि आदमी बढ़िया है वही राज्य चलावे लेकिन नहीं, रोक है। इसी तरह की रोक चाहिये इस बिल में भी और मैं समझता हूं कि यह टर्नओवर का जो मामला है वह ऐसा है जो हमारे राज्य कर्मचारियों को बिगाड़ेगा उनको तबाह करेगा। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट का क्या हाल होगा। तो इस प्रकार तो मैंने आप से यह निवेदन किया कि कितनी रकम इवेड करने के लिए मौका दे रहे हैं लोगों को और अपने सरकारी कर्मचारियों को बिगड़ने के लिए यह विधेयक बन रहा है।

अब मैं यह कहूंगा कि यह रुपया क्या दूसरी जगह से आ नहीं सकता है अगर सरकार को सचमुच प्लान की जरूरत है, और उसके लिए पैसा चाहिए। मैं इसका झगड़ा कतई नहीं करता कि प्लान के लिए पैसा चाहिए या नहीं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी से और यू० पी० की सरकार से कि सरकार हमारे लिए तो बड़ी ताकतवर है, जो समझते हैं कि सरकार की मदद करनी चाहिए। सरकार उससे वोट भी लेगी, कुछ वादा भी करेगी,

उसको तोड़ेगी भी और फिर उसके ऊपर कहेगी कि अब तुम्ही ऐसे आदमी हो कि तुम से हमको टैक्स वसूल करना चाहिये। उन से नहीं वसूल करेगी जिन से लिया जा सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब हमारी सरकार दिल्ली की तरफ जाती है तो वहां क्यों भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है? अब जरा दिल्ली की बात माननीय वित्त मन्त्रीजी के गौर से सुनने के लिए कह रहा हूं। पिछली पंचवर्षीय योजना २३ अरब ५६ करोड़ की थी। २३ अरब ५६ करोड़ की योजना में यू० पी० को कितना हिस्सा मिला? १ अरब ६६ करोड़। अगर इन्सान के लिए प्लानिंग है तो हमको छठवां हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी ५ साल पहले हमारी थी और १० लाख हर साल बढ़ती है, तो अब हमारी ६ करोड़ ८२ लाख की आबादी हुई। तो छठवां हिस्सा न मिल कर मिला हमको १ अरब ६६ करोड़। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि १ अरब ६६ करोड़ की भी मांग यू० पी० सरकार ने नहीं की थी। यू० पी० गवर्नमेंट ने सिर्फ ९७ करोड़ रुपये मांगे थे ओरिजिनल प्लान में। मैं वित्त मन्त्री जी की खिदमत में यह कागज भेज दूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी, मैंने पढ़ा है। वह मैंने बनाया था।

श्री गेंदासिंह---अबकी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्लान बनाया है। प्युपुल्स प्लान थी न। सेन्टर ने कहा कि प्लान बनाइये और विलेज लेविल से यह प्लान बननी शुरू हुई। देश की सब स्टेट्स से १२ हजार करोड़ रुपये का प्लान बन कर सेन्टर को गया। यू० पी० गवर्नमेंट ने बड़ी हिम्मत की, करते-करते सवा सात अरब का रखा। ७२५ करोड़ रुपये का प्लान यू० पी० से बना और जब हमारा प्लान केन्द्रीय सरकार को गया तो उसने कम करना शुरू किया और करते-करते वह केवल दो अरब ४८ करोड़ का रह गया। मैं उनसे अर्ज करूंगा अगर वह तकलीफ गवारा करें। बम्बई को देख लें, कितना फंड मिला और यू० पी० को कितना मिला और पिछले वर्ष भी कितना मिला। मैं वह भी रिफर करूंगा क्योंकि बात बड़ी मुश्किल है। दिल्ली में जब इस बात पर जोर पड़ा और वह पैसा जो हमारा है, एक्साइज ड्यूटी से या कस्टम ड्यूटी से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसकी हालत यह है।

श्रीमन्, मैं एक आइटम बतलाता हूं जिस पर ७६५ करोड़ रुपया खर्च हुआ यानी प्रोजेक्ट्स पर जिसमें भाखरा नांगल है, हीरा कुंड है और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से कहीं आप को मिला। सिवाय शारदा के, उसमें १२ करोड़ रुपया मिला है और शायद रिहन्द डैम के लिए मिला। (एक सदस्य---यह खबर कहां की है?) यह खबर मैं पंच-वर्षीय योजना से बतला रहा हूं। मुझे वित्त मन्त्री जी बतला दें कि रिहन्द के प्रोजेक्ट्स के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स पावर और इर्रीगेशन के लिए हमारे सूबे में हैं। यह हमारी खबर कहां की है यह कह कर वह हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वह हाउस को बतलायें कि आपका इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? यू० पी० गवर्नमेंट बतलाती क्यों नहीं? हम उसको ऐक्यूज कर रहे हैं कि ७६५ करोड़ रुपये में रिहन्द पर कितना रुपया लिया है और अभी जो उद्घाटन किया है, वह शायद खटीमा है उसको छोड़कर आपने ७६५ करोड़ में से कितना रुपया लिया है? छोटी-छोटी योजनाओं पर भले ही आपको एक आध लाख रुपया मिल गया हो। दामोदर, हीराकुंड वगैरा की तरह से आपके यहां कौन सा प्रोजेक्ट है? हैदराबाद, पंजाब, आंध्र, पेप्सू और उड़ीसा की तरह से आपके यहां बड़ी बड़ी योजना कौन सी हैं? मैं कह सकता हूं कि आप देश के प्लान को चलाने के लिए पैसा ले नहीं सकते हैं। मालूम नहीं क्या बात है? मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मेरा कोई उससे विरोध हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि सब के साथ फेअर डीलिंग होना चाहिए और हमें पैसा मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ, लेकिन हम अपने घर में ही बातचीत करके ले सकते थे। इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। मैं सरकार से दूसरी ओर निगाह डालने की बात कहूं। पहले मैं समझता हूं कि बड़ा भारी पाप यह हुआ कि नमक पर और अनाज पर हमें टैक्स लगाना पड़ा। इससे पहले हमें सोचना चाहिए था कि कौन-कौन से कोने हैं जिनसे हमें

[श्री गेंदासिंह]

पैसा मिल सकता है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन कह रहा है कि हमें अनइक्वलिटी दूर करना है। टैक्स क्यों लगाया जाता है इसका सिद्धान्त है, यह कोई बीमारी नहीं है। सरकार को टैक्स लगाने की बीमारी हुई है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर बीमारी उसको हुई हो, और वह टैक्स लगावे तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर वह किसी उसूल के लिए उस पर टैक्स लगाना चाहती है, तो उसको सोचना चाहिए कि सब से पहले किस लिए टैक्स लगाना चाहिए और किस पर टैक्स लगाना चाहिए ? टैक्स इस लिए लगाया जाता है कि जो वीकर सेक्शन है समाज का उसकी मदद की जाय, उसको जो चीज नहीं मिलती है उसको उसे पहुंचाया जाय, समाज को एक समतल में लाने के लिए, पिछड़े वर्ग की मदद करने के लिए हम उससे यह धन निकालते हैं। यह एक मोटे तौर पर उसूल है टैक्स लगाने का। तो इसमें देखा जाय कि मोटे लोगों से कितना लिया गया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आज यहां हैं नहीं।

श्री गेंदासिंह---मोटे लोग हैं नहीं यहां ? हमारे वित्त मन्त्री जी ने सचमुच में मोटे लोगों को इशारा कर दिया है कि वे यहां नहीं रहें। वहां जगदीशशरण जी किसी तरफ से आ रहे थे, वह भी रुक गये। बदकिस्मती है हमारी कि इशारा हो गया। लेकिन मैं सोचता हूं कि उन से लेना चाहिए। अगर उन से लेने के बाद जरूरत पड़ती तो ठीक था। मोटे लोगों से मेरा मतलब यह है कि जो दे सकते हैं, जिनको सरकार ने सारे साधन मुहैया कर दिये हैं और सरकार की सहायता से जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों से इकट्ठा करके अपनी सम्पत्ति इकट्ठा करते हैं। उनसे लेने में संकोच क्यों होता है सरकार को ? हमारे अखबार वाले भाई और दूसरे उधर के लोग मेरा मजाक जरूर करेंगे इस पर लेकिन मैं पूछता हूं कि इन ६६ शुगर मिल मालिकों से पिछले तीन, चार वर्षों में हमारी यू० पी० की सरकार ने कितना पैसा लिया और क्यों लेना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं। १९५१-५२ में १ रुपया १२ आने की कीमत हमको मिलती थी, ५१-५२ में वह १ रुपया ५ आने मन हुई और वह इस लिए की गयी कि चीनी कन्ज्युमर्स को सस्ते दाम पर पहुंच सके और एक अन्डरस्टैन्डिंग थी कि २७ रुपये मन पर चीनी बिकेगी। लेकिन २७ रुपये मन के बजाय ३०, ३२ और ३५ रुपये मन तक चीनी मिल मालिकों ने बेची। जब इस वायदे को नहीं माना गया तो मद्रास की हुकूमत ने काश्तकार की मदद करके, १ रुपये ११ आने मन तक के दाम करवाये, बम्बई की हुकूमत ने ४४ रुपये टन कर दिया, बावजूद इसके कि दिल्ली की हुकूमत ने तय किया था कि १ रुपया ५ आने और ७ आने मिनिमम प्राइस रहेगी, लेकिन बम्बई ने कहा कि नहीं, तुम्हें ४४ रुपये टन का दाम देना पड़ेगा जो करीब १ रुपया १० आना मन पड़ता है। हमारे यहां, अध्यक्ष महोदय, मैं इस वर्ष की बात छोड़ देता हूं लेकिन १९५२, ५३, ५४ और ५५ में, तीन सीजनों में २० करोड़ का एक्सेस प्राफिट हुआ है शुगर मिल मालिकों को। इसमें से अगर आप कुछ लें तो क्या कुछ हर्ज है ? मेरे सामने पिछले वर्ष नैनीताल कान्फ्रेंस में पंत जी ने कहा कि भाई हमको नेशनल लोन दो और उस वक्त जब हमारे काश्तकार का और उनका जिक्र चल रहा था, उन्होंने खुशी से कबूल किया कि ३ करोड़ देंगे यू० पी० के लिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि उसमें से कितना मिला ? किसने दिया ? तो २० करोड़ काश्तकार का काट कर ६६ मिल मालिकों के घर में गया। आप डेवेलपमेंट लेवी उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते ? लगाइये डेवेलपमेंट लेवी। इस ५॥ करोड़ के लिए करोड़ों आदमियों की जेब क्यों टटोलते हैं ? ६६ मिल मालिकों से आप १०, ५ करोड़ रुपया ले सकते हैं। रास्ता हम आपको बताते हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि बम्बई गवर्नमेंट और मद्रास गवर्नमेंट अगर काश्तकारों को दिला सकती है तो मैं आज यह कह रहा हूं कि अगर आप काश्तकार को नहीं दिला सकते तो आप उनसे लीजिये। तो फिर आपको उस नंगे और भूखे किसान या खेतिहर मजदूर से मांगने की नौबत नहीं आयेगी। मैंने एक रास्ता आपको बजट के वक्त भी बतलाया था। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना आप गवारा नहीं करते हैं और बारबार उस रिपोर्ट की दुहाई है। जो बड़े-बड़े लोग हैं

जो अपर इन्कम ग्रूप के लोग हैं वह ज्यादा से ज्यादा बचाकर इन्वेस्ट कर सकें उसकी तरफ उनका संकेत है। इस पर उन्होंने जोर दिया है और वह एक जगह नहीं बल्कि दर्जनों जगह अपर इन्कम ग्रुप के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन सरकार ने कौन सा ऐसा कानून या नियम बनाकर उन लोगों को मजबूर किया है कि वह अपने पैसे को लग्जरी में खर्च न करें और कम से कम पैसा खर्च करें, नेशनल प्लान लोन और स्माल सेविंग बैंक में या स्वयं की इन्डस्ट्री खोलकर पैसा लगायें, इसके लिए सरकार ने कोई कानून बनाया है ?

मैं आज आपको सजेस्ट करता हूं और मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था कि यह कानून बनाया जाय कि कोई आदमी की आमदनी जो वह एक हद के अन्दर हो उसकी एक हद मुकर्रर कर दी जाय ३०० या ४०० रुपये से ऊपर अगर किसी आमदनी को खर्च करेगा तो उसके ऊपर हम टैक्स लगायेंगे। हम सीलिंग आफ इन्कम की बात नहीं करते हैं। सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती तो हम यह बात करते, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है इसलिए हम सीलिंग आफ इन्कम की बात नहीं करते हैं। कागजों में जरूर है कि अगले कुछ दिनों में १ और २० के अनुपात से सारे लोगों की इन्कम हो जानी चाहिए ऐसा कागज में जरूर है लेकिन मैं हाफिज साहब पर इसके लिए जोर नहीं दे रहा हूं। जिनकी बड़ी आमदनी है उनकी आमदनी पर आप एक्सपेन्डीचर टैक्स लगाइये। उनसे कहा जाय कि तुम इस से ज्यादा और खर्च नहीं कर सकते और यह रुपया तुमको जमा करना पड़ेगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि जो यह ३० हजार रुपया कार खरीदकर बरबाद कर रहे हैं उस बरबादी को तो वह कम से कम न करें। बारातों में और दूसरी फिजूल चीजों में जो वह बरबादी करते हैं उसको तो बरबाद न करें ऐसा किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और बातें भी हो सकती हैं। बाज चीज ऐसी हैं जिन पर इकनामी की बात कही जाती है। सरकार कहती है कि कितनी और इकोनामी होगी जिससे यह सारा काम चल जाय। मैं भी सोचता हूं कि इकोनामी से सारे प्लान का काम नहीं चल सकता। लेकिन यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और कामन सेन्स यह बात कहती है कि एक अनुकूल वातावरण सारे देश में पैदा करें, जिस से सारे देश की जनता यह समझे कि यह प्लान हमारा है और हमको इस प्लान के लिए पैसा देने में संकोच नहीं करना है। इसके लिए वह पैसा दे यह कैसे होगा? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने देखा और दूसरे माननीय मन्त्रियों ने भी देखा होगा कि रूस के लोगों ने अपनी तनख्वाह में ५० फी सदी की कटौती करायी। अब हम को यह मालूम है कि हमारे यहां तनख्वाहों की दर जो सरकारी लोगों की है या मिनिस्टर साहब की है, वह मिनिस्टरों की दर जो वहां है, वह नीचे है। मैं जवाहरलाल जी की गवाही दे सकता हूं क्योंकि उन्हीं के लेख में मैंने इस बात को पढ़ा कि वहां पर मिनिस्टरों की तनख्वाहों की जो दरें हैं, वह यहां के मिनिस्टरों की तनख्वाहों से बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की प्लानिंग के लिए ५० प्रतिशत कमी कर दी। अब क्या मैं यह उम्मीद न करूं कि इसमें हमारे मिनिस्टर साहब हमारे अगुवा न बनें? अगर मिनिस्टर साहबान अगुवा बनें तो मैं समझता हूं कि सारा देश उससे यह समझेगा कि रुपये की कमी पड़ गयी है, कुएं, ट्यूबवेल, और नहरों के लिए रुपये देने की जरूरत है, पेट काटो, आधा पेट खाओ और देश के उत्थान के लिए रुपया दो। जब अखबारों में जनता यह देखेगी कि हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने अपनी आधी तनख्वाह कटा दी है और वित्त मन्त्री जी ने यह फैसला अगर किया होता कि ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेंगे, तो इसका असर यह होता कि आज इस विधेयक का विरोध न होता। इस तजवीज का स्वागत हुआ होता और लोग यह कहते कि यह आवश्यक है। जब हमारे मिनिस्टरों ने जो कल तक १२ सौ, १५ सौ रुपया पाते थे वे ५०० रुपया लेकर काम करना चाहते हैं तो हम को भी अपना पेट काटना चाहिए। लेकिन वे कहेंगे कि पहले कुछ बन कर दिखाओ, और हमको सुझाव दिया जायगा कि तुम करके दिखाओ। अगुवा आप हैं, आपके करने से सारे देश पर असर पड़ता है। आप नेता हैं इसलिए मुल्क आप से अपेक्षा करता है। महात्मा गांधी सारे देश के नेता थे। वे लंगोटी पहनते थे। मैं मिनिस्टर साहब से लंगोटी पहनने के लिए नहीं

[श्री गेंदासिंह]

कहूंगा, लेकिन उस साइकोलोजी को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। बगैर उसको ध्यान में रक्खे हुए काम नहीं हो सकता है। इस कानून को पेश करने से एक महीने पहले अमोल्यूमेंट्स बिल इस हाउस में पेश किया गया। उसके लिए हमने कहा कि इसको पास न कीजिये, वापिस ले लीजिये, लेकिन उस वक्त हमारी देशभक्ति का इम्तहान हो रहा था और लोग समझते थे कि देश की जनता कुछ नहीं जानती है। तो एक महीने पहले तो यह खबर मिली कि तनख्वाहें बढ़ायी गयीं, और दूसरे ही महीने उसको यह खबर मिली कि उसकी किताबों पर, अनाज पर, मिट्टी के तेल पर और नमक पर टैक्स लगा दिया गया और बगैर टैक्स लगाये काम नहीं चल सकता। जब उसके पास यह दोनों बातें साथ साथ पहुंचती हैं, तो वह सोचता है। वह यह भी देखता है कि उसके नौकर की यदि गाड़ी बदसूरत हो जाती है, तो उसके लिए ३० हजार रुपया मंजूर होता है। उसका एक-एक नौकर ऐसा है जो जमीन पर पैर नहीं रखता, पैदल चलने से तो उसे दुश्मनी हो गयी है और वह बिना मोटर के जा नहीं सकता। तो एक और नौकर की यह हालत और दूसरी तरफ मालिक देखता है कि उसकी क्या हालत है, तो उसको यह बात अपील नहीं करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गरीब से जो पैसा लेना चाहते हैं उससे पहले आप दुनिया के सारे साधनों से धन को इकट्ठा कर लीजिये और जब सब तरफ से नाकामयाब हूजिये, जो उससे कहिये कि हमारा काम नहीं चलता है, फिर आप देखिये कि जनता आपका सहयोग करती है या नहीं। अब जो ईमानदारी से पैसा ले लेते हैं, उसको तो जाने दीजिये, लेकिन जो देश में निर्माण के कार्यों को करने के लिए जाते हैं, यह बात मैं कठिनाई की परवाह न करके भी कह रहा हूं कि आजकल जो निर्माण के कार्य हो रहे हैं उन में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो परसेंटेज न लेते हों और एक खास परसेन्टेज वह बंधा है जो ठेकेदार से बगैर लिये काम नहीं चल सकता। अब वहां हर गांव के लोग मजदूरी करने जाते हैं, जो मजदूरी का रेट बंधा है वह मजदूरी भी उन को नहीं मिलती और जब वह इस की ओवरसियर और इन्जीनियरों से शिकायत करता है तो ठेकेदार से सम्बन्ध रखने की वजह से उस की बात कोई नहीं सुनता और वह समझता है कि असिल में मालिक तो यही ओवरसियर और इन्जीनियर हैं, उस को अब वेस्टेज भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और बेईमानी बढ़ रही है, फिर हम उन्हीं से कहते हैं कि हमें तुम्हारे कुएं और ट्यूबवेल बनाने हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए। इस लिए मैं चाहता हूं कि जरा इस तरफ भी आप की निगाह जाय। आप कहेंगे कि इनको तो बुराई ही सूझती है। मैं आप से कहता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जो देश में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती है कि आप किस तरह से जनता का धन व्यय कर रहे हैं। इस लिए आप इस तरह का अगर कुछ नियंत्रण कर सकें तो सारे देश में उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह तो है उस लेविल पर, लेकिन आप यहां क्या करते हैं? मैं अपने अन्दाज से कुछ नहीं कहूंगा, वह तो पीछे की बात है जिसको माननीय परिपूर्णानन्द जी जानते हैं क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वह जानते न हों, लेकिन यहां मैं आप के सामने बिना अन्दाजे वाली ठीक चीज रखे दे रहा हूं। उसका जरा आप जवाब दें। यह सन ५४ का लेखा-परीक्षा या आडिट रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें मैं छोटी-छोटी रकमों को तो छोड़ देता हूं और लाख २ लाख की बात मैं नहीं करता हूं। एक तो ७ लाख रुपये का व्यर्थ व्यय उन्होंने बताया है, यह ऐसी रकम है कि कार्य आरम्भ हुआ, सन् ५३ में और सन् ५५ तक वह पूरा होना था, लेकिन वह सन् ५४ तक चलाया गया और उसमें २२८ ट्यूबवेल्स में से ५३ का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही बन्द कर दिया गया, क्योंकि जिन स्थानों पर वह बनाये जा रहे थे वहां पर पानी नहीं मिला और इस सबके फलस्वरूप इस कार्य में ७ लाख ९२६ रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ।

इसी तरह से एक और ५७ लाख का शुद्ध निरर्थक व्यय हुआ है वह बिजली के ३ बड़े और कुछ थोड़े से माइनर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में जो सर्वेक्षण और मशीनरी की खरीदारी के सम्बन्ध में व्यय हुआ है, उसमें ९४ लाख रुपया व्यय हुआ है। उन ३ में से एक का निर्माण सब-स्वायल में खराबी के कारण छोड़ा गया और बाकी को भी अर्थाभाव के कारण छोड़ दिया गया

और ३७ लाख की मशीनरी दूसरे वर्क्स में ट्रांस्फर कर दी गयी। इस तरह से ५७ लाख का यह शुद्ध निरर्थक व्यय हुआ है। यह आडिट रिपोर्ट में दिया है। इसका क्या जवाब है? इसी तरह की एक रकम ५ लाख २२ हजार की और है। एक ठेकेदार को, जिसे एक बिजली घर के निर्माण के सम्बन्ध में मिट्टी का काम सौंपा गया था, उस को ४६-४७ में देय धनराशि से ७.१९ लाख रुपया अधिक दिया गया और १ लाख ९७ हजार बाद में उसकी जमानत से मिल गया, लेकिन ५ लाख २२ हजार वसूल नहीं हो सका। मूल डिजाइन में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझे गये और विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त हुई जिसके फलस्वरूप योजना का तखमीना ८८ लाख रुपया यह बढ़ा। इसी प्रकार छोटी-छोटी लाख दो लाख की रकमों को मैं छोड़ देता हूं लेकिन यह मैं पूछता हूं कि अगर इस तखमीने पर यह काम होता है, तो फिर आगे क्या होगा? हम को इस बात के लिए हिदायत करनी पड़ेगी कि हम इतनी बड़ी-बड़ी रकमों का इस तरह से नुकसान न पहुंचायें। मैं रिहन्द डैम के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। रेहन्द डैम के सिलसिले में इस वक्त दो स्कूल आफ थाट्स हैं। जो काम इस वक्त शुरू किया जा रहा है, उसमें ५ करोड़ ज्यादा लगेगा और वही कार्य अगर दूसरे इंजीनियर्स के स्कूल आफ थाट् के जरिये किया जाता तो ५ करोड़ रुपये की बचत हो जाती।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैंने एक दफा प्रश्न किया। सरकार उत्तर नहीं देना चाहती। सरकार यह बतावे कि जो दो स्कूल इंजीनियर्स के हैं जिसमें एक जगह जो काम हुआ है, कांक्रीट सीमेंट का वर्क उसको छोड़कर अगर पत्थर से काम लिया जाता तो ५ करोड़ की बचत होती और ५ करोड़ की बचत के साथ काम भी कुछ जल्दी हो जाता और आज सीमेंट की जो कमी है वह सीमेंट की कमी न होती तो इस ५ करोड़ को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गयी? अगर ५ करोड़ की बचत हो सकती थी तो करनी चाहिए थी। इसके अलावा मैं कुछ और रिसोर्सेज जिनसे सरकार इस वक्त कुछ धन एकत्रित कर सकती है उसका जरा जिक्र करना चाहता हूं जिसको कि वसूल कर लेना चाहिए था लेकिन जिसको वसूल नहीं किया गया इन्कम टैक्स की सीधी-सादी जिम्मेदारी यू०पी० सरकार की नहीं है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि १५ करोड़ रुपये यू०पी० में इन्कम टैक्स बकाया हैं और उस १५ करोड़ की वसूली की जिम्मेदारी यू०पी० गवर्नमेंट की है और एजेंसी है सेन्ट्रल गवर्नमेंट की वसूल करने की यू०पी० स्टेट गवर्नमेंट और १५ करोड़ रुपया उसको वसूल करना चाहिए? मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इसका जिक्र किया, लेकिन आज तक सरकार ने यह जवाब नहीं दिया कि क्या कठिनाई पड़ी जिससे इस १५ करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई? यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रुपया है। अब शुगर केन सेस का आज तक मैं कहता हूं ५४-५५ और ५३-५४ का एक करोड़ रुपया बाकी है। उस एक करोड़ रुपये की वसूली क्यों नहीं हुई? और एक करोड़ रुपये की जो बकाया रकम है, उस बकाया रकम में ऐसे लोग नहीं हैं जिन लोगों को आर्थिक कठिनाई हो या वे किसी आर्थिक कठिनाई में पड़े हुए हों। ५५-५६ में तो ५ करोड़ से ऊपर की रकम बकाया होगी, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। ५३-५४ और ५४-५५ के सीजन की चर्चा इस वक्त कर रहा हूं और जो अदालत का फैसला होने से पहले बकाया है, पिछले अगस्त का जिसके सम्बन्ध में माननीय मौर्य जी ने सवाल किया था १ करोड़ ७९ लाख का बकाया है, वह बकाया क्यों पड़ा है? साधारण तौर पर मालगुजारी की वसूली जो किसान से होती है, बता चुका हूं उसको मैं और आपसे निवेदन कर चुका हूं कि नाम मात्र का बकाया रह जाता है और तीन चार महीने में उससे वसूल कर लिया जाता है, लेकिन इन करोड़पतियों और लखपतियों पर करोड़ों की रकम बकाया आ रही है, और करोड़ों की रकम बकाया रहती है। वित्तीय कठिनाइयां बतलायी जायं, यह कैसे समझूं? परिपूर्णानन्द जी जैसे वित्त विशेषज्ञ ही उसे समझ सकते हैं। मेरा जैसा आदमी नहीं समझ सकता कि कैसे करोड़ों की रकम करोड़पतियों के जिम्मे बकाया रह गयी। दूसरी तरफ भूखे मरने वालों से योजना के लिए नमक, अनाज और केरोसीन आयल पर टैक्स आप मांगें वित्तीय कठिनाई को मीट करने के लिए। इन सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप को जरूरत पड़ती तो सोचा जाता।

[श्री गेंदा सिंह]

तो इस तरफ मैं यह इशारा कर रहा था, यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार हम यह सोच सकते हैं कि इस तरह से अपनी कारगुजारी चला सकें। कतई जरूरत नहीं है टैक्स लगाने की।

कुछ बम्बई और मद्रास का भी जिक्र माननीय परिपूर्णानन्द जी ने किया कि बम्बई और मद्रास में बड़ी ऊंची दर पर टैक्स लगाया गया है। यू० पी० में तो बड़ी रिआयत की गयी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान भर की लैन्ड रेवेन्यू जो है ७५ करोड़ रुपया है जिसमें २३ करोड़ से कुछ ज्यादा रुपये हमारे सूबे की है और सारा हिसाब तो लगा लें कि कितनी जमीन है सारे देश भर में? सर पटकने से तो काम नहीं चलता। मैं यह कहता हूं कि सन् १९५०-५१ में जो ७ करोड़ ७२ लाख रुपये मालगुजारी थी वह १९५३-५४ में १८ करोड़ ९३ लाख हुई और १९५५-५६ में २३ करोड़ से ज्यादा है। जमीन में कौन सी चीज पैदा कर दी सरकार ने और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जिसकी बदौलत सात करोड़ ७२ लाख से २३ करोड़ हो जाने का जस्टीफिकेशन है। जमींदारी का खात्मा हो गया, इसलिये १८ करोड़ ९३ लाख हो गया। लेकिन इस का क्या जस्टीफिकेशन है कि अब २३ करोड़ कुछ लाख मालगुजारी हो गयी? जमींदारी अबालिश हो गयी १९५०-५१ के बाद। उस वक्त ७ करोड़ ७२ लाख से १८ करोड़ ९३ लाख हो गयी १९५३-५४ में। लेकिन १८ करोड़ ९३ लाख से २३ करोड़---यह जो चार करोड़ के करीब मालगुजारी इन दो सालों में कैसे बढ़ गयी? जब कि जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में सर्वसम्मति से सिफारिश की गयी थी कि डेढ़ करोड़ की छूट दें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं आपकी इजाजत से यह बात आप से पूंछना चाहता हूं कि आपको यह कुछ मालूम है कि जो लगान पहले था वह बढ़ा है, इन आठ दस वर्षों के अन्दर?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आपकी आमदनी बढ़ी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरी आमदनी बढ़ी है वह मैं बतलाऊंगा कि क्या अहमियत रखती है। लेकिन जो आप कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो पहले लगान था उसके बाद कुछ बढ़ा है? उसके उलटा हमने एश्योरेंस दे रखा है कि ४० वर्ष तक बढ़ने का नहीं। अगर बढ़ा है तो बताइये, किसका बढ़ा है?

श्री गेंदासिंह---वित्त मंत्री जी ने मुझ से पूछा। मैं तो उनसे पूछता हूं, वह उलटा हमसे पूछ रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं अभी मैंने कहा कि जमींदारी अबालीशन होने के पहले यू० पी० गवर्नमेंट को ७ करोड़ ७३ लाख रुपये मिलते थे और सात करोड़ ७२ लाख पाने के बाद जब जमींदारी अबालिश हो गयी तो १८ करोड़ ९३ लाख हो गयी, १९५३-५४ में। वह जो लगान था वह मालगुजारी हो गया और वह लगान जो जमींदार को देते थे वह मालगुजारी की शक्ल में जुड़ जाने से मालगुजारी बढ़ी। लेकिन मैं पूंछता हूं कि १८ करोड़ ९३ लाख के बजाय २३ करोड़ और कुछ लाख जो सरकार मालगुजारी की शक्ल में वसूल कर रही है....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---२३ करोड़ के बजाय २३ अरब हो गयी, यह बताइये किसका बढ़ा?

श्री गेंदासिंह---हमारा बढ़ा। अगर हाफिज जी खेती नहीं करते हैं तो उनका नहीं बढ़ा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आप लगान देते थे वह बढ़ा है?

श्री अध्यक्ष---(श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम से) आप इसको क्यों बताते नहीं हैं कि जमीन बढ़ी है या केवल लगान ही बढ़ा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हुजूर, यह तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। यह तो उनका नम्बर है बताने का। मेरा जब नम्बर आयेगा, जब मैं नहीं बतालाऊंगा तो मुझ पर इल्जाम होगा।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं पहले हाफिज जी के हुक्म की तामील करूंगा। मैं एक मिनट में बताता हूं। बढ़ी, हमारे जैसे लोगों की नहीं बढ़ी क्योंकि हम तो जरा ऐसे लोगों में हैं जो मालगुजारी बढ़ाने पर झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन बढ़ी है, यह बगल में जो धर्म सिंह जी बैठे हैं इनकी बिरादरी की बढ़ी है। अधिवासियों की जो शिकमी काश्तकार थे। अधिवासी शायद हमारे हाफिज जी समझ ही न पायें। अधिवासी जो शिकमी काश्तकार पहले के थे ...

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह समझा कि अधिवासियों की कुछ मालगुजारी बढ़ करके बजाय ७ करोड़ के २३ करोड़ आमदनी हो गई। इसका मतलब यह हुआ...

श्री गेंदासिंह---ऐसा समझने की गलती आप न करें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी यह समझे कि वह तो बताने के नहीं हैं और वे चाहते हैं कि मंत्री जी को पड़ेगा, गुत्थी यह है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं बताने में इससे ज्यादा होशियार हूं। मैं नहीं बताने का।

श्री गेंदासिंह---असल में बताने में पोल खुलेगी। इसलिये मैं ही बताये देता हूं। असल में जो मालगुजारी जमीन पर बढ़ी है वह आपके उसूल के खिलाफ बढ़ी है और जो यू० पी० की गवर्नमेंट मनमानी किया करती है उसके मुताबिक बढ़ी है। बीकर सेक्शन को आपको बचाना चाहिये लेकिन बीकर सेक्शन को नहीं बचा पाये। शिकमी जो जोतता था उस शिकमी को जितना भी लगान बड़े काश्तकार को देना पड़ता था उसी को हमने मालगुजारी मान लिया। अवध में जितने बाग थे, हमेशा अंग्रेजों के जमाने में कम मालगुजारी थी। लेकिन अवध के जिलों में जितनी बाग की जमीन थी उसकी मालगुजारी बढ़ी और उनकी मालगुजारी बढ़ करके, अधिवासियों की मालगुजारी बढ़ करके ७ करोड़ ७२ लाख से सब मिल कर १८ करोड़ ९३ लाख हुई। लेकिन १८ करोड़ ९३ लाख से बढ़ कर २३ करोड़ हो गई। तो यह बीकर सेक्शन पर बढ़ी है और मैं समझता हूं कि वह उसूल के मुताबिक तो बात नहीं हुई। लेकिन यू० पी० की जो हुकूमत करती है उसके मुताबिक जरूर हुई। उसका तो मंशा यह है कि करोड़पतियों को छोड़ो।

अब एक बात और है कि सरकार की मालगुजारी वसूल करने का जो अमीन काम करते थे तो उनके बारे में किस्सा लोग कहा करते थे कि वह अमीन चलते वक्त सोच लेता था कि जिस गांव में बड़ी कौम के लोग न हों वहीं ठहरे। बात यह है कि जहां बड़ी कौम के लोग होंगे वहां काम ठीक नहीं चल सकता। किस्सा तो यह कहते हैं कि किसी कुर्क अमीन ने कहा कि अच्छा बिस्तरा यहां रखो और लोगों से पूछा कि किस जाति के लोग यहां बसते हैं? तो कहा कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ वगैरह बसते हैं तो वहां नहीं ठहरा। फिर कुछ दूर गया वहां जाकर पता लगा कि वहां दूसरे लोग जो इस वक्त बैकवर्ड कम्युनिटी में कहे जाते हैं रहते हैं तो उसने कहा कि बस यही मुनासिब जगह है। तो हमारी हुकूमत उसका साइंटिफिक नारा देती है। वह कहती है किसी भाई ने कहा कि हम तो टैक्स प्लान के लिये लेना चाहते हैं। इसलिये सबको छूना चाहते हैं, सबसे कुछ जरूर लेना चाहते हैं। लेना चाहती है। गवर्नमेंट देना कुछ नहीं चाहती। अरे अगर लेना ही था तो आशीर्वाद ले लेते।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---आशीर्वाद तुम्हारा कहां लगता है?

श्री गेंदासिंह---श्रमदान से तो काम चलता। लेकिन नहीं लैंड रेवेन्यू को आपने इतना बढ़ाया और यदि जरा अनुपात जोड़िये, और सूबों का अगर वह अनुपात जोड़ते हैं तो आखिर यह टैक्स जो हैं उसकी वह बम्बई और मद्रास से तुलना क्यों करते हैं और बम्बई, मद्रास में सेल्स टैक्स किस जमाने में लगा? जिस जमाने में अकाल था और बम्बई और मद्रास की गवर्नमेंट करोड़ों आदमियों को अनाज सप्लाई करती थी, राशनिंग के मुताबिक गांवों में और शहरों में। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं आपसे कि अनाज की कमी थी और अरबों रुपये का अनाज बाहर से लाकर के लोगों को खिलाते थे और मैं परिपूर्णानन्द जी से यह कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फूड बुलेटिन निकलता है उसे भी कंसल्ट करने की कोशिश करें और मैं पूंछना चाहूंगा उनसे कि वह जानकारी करावें, मैं उनकी जानकारी करा रहा हूं कि मद्रास और बम्बई में जहां पर ७२ लाख लोगों को राशनिंग देने के लिये प्रबन्ध किया गया था, शहर में, वहां करोड़ों आदमियों का बन्दोबस्त किया गया था, मद्रास में और बम्बई में और इन करोड़ों आदमियों को देने के बाद जो हम उनको कंट्रोल प्राइस की राशनिंग देते थे तो उनसे अगर सेल्स टैक्स के नाम पर पैसा दो पैसा सरकार लेती थी तो वह कोई चीज नहीं मालूम होती थी। लेकिन आप अच्छी साइत पर चले। जिस वक्त मद्रास और बम्बई की सरकार ने प्राहीबीशन किया और प्राहीबीशन करने के बाद उसके करोड़ों रुपये घाटे आये उस वक्त उसने यह जरूरी समझा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी वाला अनाज जब करोड़ों आदमियों को दे रहे हैं तो उस अनाज पर सेल्स टैक्स हम लगा देंगे। लेकिन यू० पी० की गवर्नमेंट ने उस वक्त यह मुनासिब समझा कि जिस वक्त कि वह कहती है कि अनाज की समस्या हल हो गई है। मैं हाफिज जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह किताबें जो लिखी जायं सरकारी, वह सिर्फ आलमारी के लिये सामान नहीं होनी चाहिये। यह जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट जो इतनी मोटी पुस्तिका है उसमें बड़ा साफ मिस्टर जे० के० पांडे ने कहा है, पेज-वेज सब मैं बता दूंगा कि हमारे मुल्क में, सूबे भर में अगर दस छटांक गांव वालों को और आठ छटांक शहर वालों को देना है तो १ करोड़ ६० लाख टन अनाज की जरूरत है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---पैदा कितना किया?

श्री गेंदासिंह---अब पैदावार माननीय परिपूर्णानन्द जी जरा सोचें, हम तो इसमें बड़े घपले में है। कोई कहता है कि १ करोड़ २६ लाख टन, कोई कहता है कि १ करोड़ ११ लाख टन, कोई कहता है कि १ करोड़ १४ लाख टन पैदा हो गया। हम १ करोड़ ११ लाख मानें तो एक करोड़ ११ लाख मानने के बाद ५० लाख टन की कमी है दस छटांक और ८ छटांक के हिसाब से। तो दस छटांक और ८ छटांक के हिसाब पर उस वक्त में भी जब कि हम लोगों को भरपेट अन्न नहीं दे सकती, खूराक नहीं दे सकती, उस खूराक पर भी हम यह चाहते हैं कि चूंकि २७७ रुपया पर कैपिटा इन्कम हमने मान लिया इसलिये हमको उनसे सेल्स टैक्स लेना है, मैं बुनियादी तौर पर इस बात को गलत समझता हूं और मैं समझता हूं कि सबसे पहली गलती जो हुई वह गलती हुई कि २७७ रुपया हमने अपने यहां की पर कैपिटा इन्कम मान ली। उसमें सुधार करने की जरूरत है और सुधार ही नहीं फिर से सोचने की जरूरत है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---क्या ज्यादा है उससे?

श्री गेंदासिंह---मैं समझता हूं कि ज्यादा है इन्कम। हां, कुछ थोड़े से लोग हैं जिनकी आमदनी उससे सैकड़ों गुनी ज्यादा है। उनमें से मैं और हाफिज जी दोनों हैं जिनकी इन्कम अगर सैकड़ों गुनी नहीं तो काफी ज्यादा है उससे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह तो रूरल एरिया की है।

श्री गेंदासिंह—वह रूरल एरिया की है तो हम किस एरिया के हैं। हाफिज जी भी रूरल एरिया के हैं और मैं भी रूरल एरिया का हूं। दोनों रूरल एरिया के हैं और दोनों की आमदनी ज्यादा है। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि ऐसे लोग भी इस सूबे में हैं जिनकी आमदनी २७७ रु० नहीं है। जो भीख मांगने वाले आदमी हैं या जो करोड़ों आदमी हैं जो २७७ रुपये की आमदनी से कम आमदनी रखते हैं उनकी सबकी आमदनी तो उन्हीं के घर गई है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सही है।

श्री गेंदासिंह—अगर सही है तो उन्हीं के ऊपर टैक्स जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कभी-कभी गलत के लिये भी सही कहा जाता है।

श्री गेंदासिंह—लेकिन माकूल लोग ऐसी बात नहीं करते।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह "एक्रास दी टेबुल" की बात होने से उसमें पूरब पश्चिम की भाषा में फर्क हो जाता है, गलतफहमी होती है।

श्री गेंदासिंह—तो अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें नहीं जाता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि दृष्टि जो है हमारी गलत है और गलत दृष्टि होने की वजह से हम इस जगह पर पहुंचे हैं। मैं यह भी आप से निवेदन कर दूं कि इसका एक नतीजा और होने वाला है कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बिहार इन सभी सूबों में जो हमारी दर है सेल्स टैक्स से उससे नीची दर होगी। उसका कुपरिणाम यह हो रहा है कि व्यापारी वर्ग नुक्सान उठा रहा है। यही नहीं बल्कि वह यह भी सोच रहा है कि अब कैसे अपना व्यापार रखें? अगर दो पैसा टैक्स दिल्ली में है और आगरे में एक आना है तो वह खरीद फरोख्त का कागज नहीं रखना चाहते। बिहार में तो कपड़े पर एक पैसा टैक्स है और हमारे यहां बिहार के बगल में ही एक आना है। तो अगर कोई धोती खरीदना चाहता है और ६ रुपये की धोती है तो ६ आने उसको ज्यादा देना पड़ रहा है तो आजकल बिहार के बाजारों से ६ आने कम वाला कपड़ा जब गांठ की गांठ मोटरों और ट्रकों पर लाद कर ले आते हैं तो ६ आने के हिसाब से एक-एक गांठ पर सौ-सौ और पचास-पचास रुपये का फर्क पड़ता है। वह लाते हैं और उसको ६ आने कम पर बेचते हैं। सिर्फ कपड़े की बात नहीं कहता हूं और चीजों का भी यही हाल है। इस तिजारत से पड़ोसी जिले भी बरबाद हो रहे हैं। जब हम यह सोचते हैं कि हम उनसे बड़ी रकम निकाल पायेंगे तो वह नहीं निकाल पायेंगे। यू०पी० की गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेट है, क्या वह सारे सूबों से बात चीत नहीं कर सकती? मैं मानता हूं कि प्राविंशयल आटोनामी है लेकिन इस तरह के कानून क्यों बनाये जाते हैं जिसमें हमारी और दूसरी स्टेट्स का आपस में तनाव हो। एक स्टेट अपने व्यापारी वर्ग को दूसरी तरफ से लाभ उठाने देना चाहती है, हमारी स्टेट अपने व्यापारी वर्ग को उससे रोक रही है। तो हम यह चाहते हैं कि इस तरह का आपसी तनाव न हो। किसी वक्त आखिर में यह हो सकता है कि ये चीजें झगड़े की शक्ल अख्तियार करें। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाकर के उन चीजों को एक समान सभी जगह करे और जिन चीजों को एग्जेम्प्ट करना हो उनको सारी जगहों से एक दम किया जाय। इस पर यह विधेयक खामोश है और इसकी कतई चर्चा नहीं है और न सरकार का इरादा है कि दूसरी स्टेट की दरों के मुताबिक हम भी अपनी दर कर देंगे। तो मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कोई ऐसी बात कही जिसमें सरकार के लिये कोई तकलीफ की बात हो, लेकिन सरकार के लिये एक चेतावनी जरूर है और मैं समझता हूं उस तरफ बैठने वाले दूसरे महानुभाव भी यह समझते हैं कि यह जनता के ऊपर ऐसी चोट है जिससे जनता बहुत परेशान है। तो उस चोट को दूर करना चाहिये।

पालीवाल जी ने जो यह कहा कि यह विधेयक जनमत लेने के लिये घुमाया जाय तो पालीवाल जी बिलकुल कानफीडेंट हैं कि जनमत में घूमने के बाद यह विधेयक फिर कभी

[श्री गेंदा सिंह]

इस सदन में आने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जनमत मालूम है। मैं तो सीधे इस बात को कहना चाहता हूं कि इसको वापस लिया जाय तो अच्छा है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा था कि कुछ जगह तो मान जाओ, प्लान नहीं होगा तो देश का काम कैसे चलेगा। वह कहते हैं कि अड़ंगा मत लगाओ, तो नहीं लगाते अड़ंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी जमाने में कहा था कि प्लान के सिलसिले में पोलिटिकल ट्रस होना चाहिये और कोई अड़ंगेबाजी नहीं होनी चाहिये। मैं साफ कहता हूं कि अड़ंगेबाजी विरोधीदल की तरफ से नहीं लग रही है। माननीय परिपूर्णानन्द जी को गलतफहमी हो तो उसका कोई इलाज हम कर नहीं सकते। हां इतना जरूर चाहते हैं कि जो बुनियादी गलती प्लान के सिलसिले में कर रहे हैं वह कह अवश्य दें। क्या अगली पंचवर्षीय योजना खत्म होने पर हमारे देश की बेकारी चली जायगी? जब देशमुख साहब कहते हैं कि जहां हम लोग हैं वहीं रहेंगे तो कुछ लोग यह कहते हैं कि जहां हम लोग हैं वहां से पीछे चले जावेंगे। आपकी वह बुनियाद गलत है जिस बुनियाद पर आप दीवार खड़ी करना चाहते हैं। आप उस बुनियाद पर चल रहे हैं जिसमें यह कि सारे देश की अन्न की समस्या हल हो गई और हम एक लेबिल पर आ गये हैं और २७७ रुपये हर व्यक्ति की आय हो गई है। अगर सचमुच २७७ रुपये की आमदनी हो जायगी तो यह देश स्वर्ग बन जायगा क्योंकि ३१० रुपये सालाना जेलखाने में खर्च किया जाता है यद्यपि यह सही है २७७ रुपये ३१० रुपये सालाना से कम है लेकिन फिर भी यदि उतनी आमदनी हो जाय तो यह दिन विकास करने का सामने न आये।

जहां तक प्लान में कोआपरेशन की बात है हम कोआपरेशन करते हैं और करेंगे लेकिन जहां सचमुच निर्माण का काम हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह टैक्स जो लगता है यह निर्माण नहीं करेगा। क्या यह प्युपुल्स प्लान है? प्युपुल्स प्लान में आज प्युपुल का कोआपरेशन नहीं है और वह कोआपरेशन टैक्स लगाने से मिल भी नहीं सकता। हम आज समझते हैं कि यह विरोध करने के साथ हम सही काम कर रहे हैं, हम अड़ंगे नहीं लगा रहे हैं। आज सारा देश विरोध कर रहा है, सारे देश के कोआपरेशन के बिना काम चल नहीं सकता इसलिये इसको अड़ंगा कहना बिलकुल नामुनासिब बात है। पालीवाल जी के लिये यह बात कही गई कि उन्होंने ४८-४९ में वह टैक्स लगाते वक्त कहा था कि जरूर लगाया जायगा। यह भी कहा गया कि जब सेलेक्ट कमेटी से वह बिल आया तो कुछ अमेंडमेंट जो रखे गये उसको पालीवाल जी ने मानने से इंकार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टरों की क्या कुछ ऐसी ही आदत है और शायद इसी गलती से ऊबकर वह उधर से इधर चले आये। वह ऐसी परम्परा में अपने को नहीं रख पाये। कोई मनुष्य समझता रहता है कि गलती होती जा रही है तो उस गलती से ऊबकर वहां से भाग खड़ा होता है। उन्होंने समझा कि गलती को सही करना है। उन्होंने उत्तर इसलिये कैबिनेट का फैसला समझकर, दिया होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस कैबिनेट के सर्वेसर्वा श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी थे। पार्टी सिस्टम और पोलिटिकल साइन्स में कैबिनेट के ऐप्रूवल के बगैर कोई कैसे चीज को मंजूर या नामंजूर कर सकता है? मैं पूछता हूं कि अगर यह ना मुनासिब बात हो रही थी तो उस वक्त कैबिनेट ने श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी को सलाह क्यों नहीं दी? क्यों नहीं सलाह दी कि ऐसी कार्यवाही मत करो? अध्यक्ष महोदय, आपने एक मर्तबा यह व्यवस्था दी थी कि अगर सेलेक्ट कमेटी में हमारी कोई राय हो और उस राय से भिन्न राय हमारी बदलती हो तो हमारे लिये कोई रुकावट नहीं है, हमको हक है कि हम उस भिन्न राय को रखें। कहां ४८-४९ का जमाना कहां ५६ का जमाना? तब यह नारा लगता था कि साधारण जनता की आर्थिक स्तर बढ़ गया। बूम पीरियड था वह। आज उस बूम पीरियड से हम कहां जा रहे हैं? मैं कहता तो हूं कि जिस परिस्थिति में बम्बई और मद्रास ने सेल्स टैक्स लगाया अगर वह परिस्थिति यहां भी होती तो हम कहते कि लगाओ। अगर तब श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने कैबिनेट

की सलाह से, दबाव से सेल्स टैक्स लगाने की बात कही तो आज उसको पढ़ कर कहना कि आपने सेल्स टैक्स लगाने की बात कही थी, यह यहां तक ठीक है ? और फिर किस चीज पर लगाने को कहा था उन्होंने ? जिस पर श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने कहा था उतने पर ही आप रह रहे हैं ? अगर आप उतने पर ही संतोष करें तो हम विचार करें। लेकिन नहीं, आपको उतने पर ही संतोष नहीं है। आप तो वह एक बहाना पकड़ते हैं कि श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी किसी जमाने में मिनिस्टर थे तब उन्होंने यह कहा था। यह बिलकुल लेम एक्सक्यूज है और इससे काम नहीं चलता। आज आप सही माने में जनता की हैसियत को समझने की कोशिश करें और जब आप ऐसा करेंगे तो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे जो इस तरह का टैक्स लगायें। यह भयानक भूल है और मैं समझती हूं कि जितनी जल्दी सरकार इस भयानक भूल को समझ जाय उतना ही देश के हित में, हमारे हित में और सब के हित में है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, यह सुबह तय हो ही चुका था कि इस पर बहस चलेगी क्योंकि जनरल डिस्कशन ही ज्यादा होगा और आपके सामने सुझाव भी आ चुका था कि हम लोग बोलेंगे और हम दो ही लोग बोलने वाले थे। अब यह प्रश्न भी उपस्थित किया जा रहा है। वे यह समझते हैं कि हम लोग डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो बावजूद इसके कि हमारी तरफ से केवल दो बोलने वाले हैं फिर भी इस तरह का प्रश्न उपस्थित किया जाय तो अगर डिले हो तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर न होगी। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं इसको रोक भी नहीं सकता हूं क्योंकि काफी लोग बोल चुके हैं और उनको अधिकार तो है ही प्रश्न उपस्थित करने का ; तो मैं इस पर सदन की राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---"हां" की संख्या अधिक है।

श्री अध्यक्ष---आवाज "हां" की बहुत कम रही। आपने देर से आक्षेप किया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सेल्स टैक्स के विषय पर जो बहुत सी बातें कहनी थीं वह बहुत कुछ हमारे नेता जी ने सदन के सामने रख दी हैं, पर मैं यह सोचता हूं कि ऐसा विधेयक इस सदन के सामने आया है जिस पर काफी विचार करने का मौका इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये और इस पर पूर्ण विचार होना चाहिये। वह रुख को हमारे उधर के साथियों ने इस संबंध में अख्तियार किया है उससे हमें दुख होता है। आज एक टैक्सेशन मेजर लाया जाता है और हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि यह जानते हुये भी कि उनका विशाल बहुमत है इस लिये यह बिल जल्दी पास हो जायगा। बावजूद हमारे यह कहने के हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स अख्तियार नहीं करना चाहते हैं, सरकार इस पर उतारू होती है हमें बोलने से रोक दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं टैक्सेशन मेजर पर कुछ कहूं मेरे बारे में इस सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ कहा है और इसलिये कहा है कि हमारे प्रदेश में इकोनामी की बात पालीवाल जी, राजनारायण जी और नारायणदत्त जी ने कहा तो माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मेरा रिफरेंस दे कर, यह कह कर इकोनामी कमेटी में मैं भी हूं, देखें कैसी इकोनामी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

करते हैं ? ऐसी चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें हूं और आज मैं नहीं बतलाना चाहता हूं कि इकोनामी कमेटी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बचत कर रही है। जिस समय हमारी कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में या बाहर पब्लिक में होगी उस समय पता चलेगा कि हम लोग क्या-क्या इकोनामी करने जा रहे हैं पर मुझे दुख इस बात का है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी जो एक सब कमेटी के चेयरमैन हैं वह आज इस हाउस के सामने यह कहते हैं कि इस प्रदेश की इकोनामी से कुछ रुपया नहीं आ सकता है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—यह मैंने कभी नहीं कहा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उन्होंने यह कहा कि कमेटी में जब लोग जाते हैं तब पता लगता है कि इकोनोमी कैसे हो सकती है। जब वह किसी कमेटी के अन्दर जाते हैं तो वहां पता लगता है कि वहां कुछ भी कमी नहीं हो सकती है। पर मुझे खुशी यह है कि जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा —मैं यहां इकोनामी कमेटी के सीक्रेट नहीं बतलाना चाहता लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा अवश्य कि हमारी एकोनामी कमेटी की एक सब कमेटी जिसके चेयरमैन, माननीय परिपूर्णानन्द जी हैं उसने एजूकेशन डिपार्टमेंट में दो करोड़ रुपये की एकोनामी करने का सजेशन दिया है। मुझे खुशी होगी इस बात की। जिस समय उसकी रिपोर्ट शायद होगी या हाउस के सामने आयेगी उस समय तक अगर यह बात ठीक रही तो मुझे बड़ी खुशी होगी और अगर एक डिपार्टमेंट में दो करोड़ रुपये की कमी हो सकती है तो और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं और अगर उन सब में थोड़ी-थोड़ी एकोनामी की गई तो मैं समझता हूं कि १५-२० करोड़ रुपया आसानी से हमारे प्रदेश को मिल सकता है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने एक बात और कही कि पी० डब्ल्यू० डी० में कुछ बचत नहीं हो सकती है। वह तो इतना अच्छा है कि उसने इतना काम कर दिया और कुछ-कुछ कह कर के आंकड़े गिना दिये। मुझे तो याद नहीं रहता, क्योंकि जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है, मैं उनसे बहुत दूर हूं।

एक सदस्य—अक्ल की जरूरत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अक्ल की भी जरूरत होती होगी लेकिन मैं इतना याद नहीं रख सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूंगा कि उनके आंकड़े गलत हो सकते हैं। वह पढ़ते हैं, विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने जो उस डिपार्टमेंट की इतनी तारीफ की उस सिलसिले में मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर वह उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आडिट रिपोर्ट १९५४ को वह जरा देखें। उसके पेज २६ में आइटम "बिल्डिंग और रोड्स" में वह जरा देखें। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें बिना स्टीमेट दिये हुए ७ करोड़ रुपया खर्च कर लिया गया। ७ करोड़ रुपया एक डिपार्टमेंट बिना इस्टीमेट सैंक्शन कराये हुए खर्च कर सकता है १९४९ में और आज तक उसका हिसाब नहीं दिया जाता कि वह इस्टीमेट क्या है। यह मामला पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आया और उसने इस सिलसिले में जो प्रस्ताव पास किया वह भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। उसको पढ़ने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उस डिपार्टमेंट की बड़ी तारीफ की है। यह उसके पेज २७ में है। इसमें है कि उनके १,५११ वर्क्स ऐसे हैं कि जिनका कोई इस्टीमेट नहीं है और जिसका एमाउन्ट है ५,९३,६१,८५१ रुपये। एक्सेस खर्च हुआ है, ओवर इस्टीमेट १९० आइटम्स में है जिसमें ३३,८५,५०० रुपया है जिसके कि वाउचर्स नहीं मिले। ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सब रिलीवेंट न होगा। उन्होंने तो यह बताया था कि कमी करने के लिये रास्ता क्या हो। आप उसकी इरेंगुलैरिटीज पर जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं इसलिये बताना चाहता था कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कमी इतनी ज्यादा हो सकती है और वह कैसे हो सकती है। बिना इस्टीमेट के काम शुरू कर देते हैं। अगर इस्टीमेट हमारे सामने आया होता इस सात करोड़ रूपये का तो हम उसमें कमी कर सकते थे, या अगर कमी नहीं भी कर सकते थे तो देख सकते थे कि कौन काम की जरूरत है या कौन काम की जरूरत नहीं है, लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जी ने पता नहीं कहां से सुना दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से वह यह कहेंगे कि इरिगेशन में कुछ नहीं हो सकता, हाइडिल में कुछ नहीं हो सकता और यह बात तो उस तरह की हुई कि जैसे सारे विभागों के अफसर कहा करते हैं कि हमारे यहां एकोनामी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, जिस डिपार्टमेंट से पूछिये कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या इकनामी हो सकती है तो हर डिपार्टमेंट का आफिसर यही लिख देता है कि हमारे यहां इकोनामी कुछ नहीं हो सकती है बल्कि हमको कुछ ज्यादा रूपये की और आवश्यकता है। आज यहां पर वित्त मंत्री महोदय बैठे हुये हैं वह इस बात से एग्री करेंगे कि जो इकोनामी कमेटी बैठी है वह रुपये की इकोनामी ही सिर्फ करने के लिये नहीं बल्कि साथ-साथ वह इसलिये भी है कि एफिशियेन्सी किस तरह से हमारे यहां लायी जा सकती है इकोनामी के साथ-साथ। उसके पास यह दोनों काम हैं। इसलिये मुझे आशा है कि हमारी जो स्टेट की इकानामी कमेटी है वह बहुत जरूरी इकानामी कर पायेगी हमारे प्रदेश में इसकी आशा कम है लेकिन थोड़ी सी मदद वह अवश्य कर पायेगी। तो मैं इकोनामी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्या हाल पी० डब्ल्यू० डी० का है।

अब अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने और खासकर परिपूर्णानन्द जी ने और लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीर कर डाली कि विकास होना चाहिये उसके लिये रुपया कहां से आवे और विकास के लिये बहुत रुपये की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि विकास के लिये रुपये की जरूरत है तो फिर उस पर ज्यादा जोर देने की क्या जरूरत पड़ गयी? इसके मायने यह नहीं हैं कि विकास के नाम पर आदमियों की चमड़ी निकाल ली जाय, विकास के मायने यह नहीं हैं कि उसे बरबाद कर दिया जाय और विकास के नाम पर आप सब कुछ कर डालें। विकास किसका करेंगे अगर हम नहीं रहेंगे तो विकास किसका होगा? आप चाहते हैं कि विकास के नाम पर आपको सब छूट दे दी जाय और विकास के नाम पर आप जो कुछ चाहें कर सकते हैं। परिपूर्णानन्द जी ने यह बात कही कि माननीय उद्योग मंत्री, प्लानिंग मंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो जिस तरह से चाहें उस तरह से रुपया नहीं देते हैं और मिनिस्टर्स की डिस्क्रीशन नहीं रहती है और वे अपनी मरजी से रुपया नहीं देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी को क्या कहूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी दिल्ली में बहुत से मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रहते हैं। अगर मैं परिपूर्णानन्द जी को यह कहूं कि वह पोर्टफोलियो विदाउट मिनिस्टरी हैं तो कैसा होगा? वह कहते हैं कि डिस्क्रीशन मिनिस्टरों के पास नहीं है। मेरी यह उनको चुनौती है कि अल्मोड़ा में प्लानिंग मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गये और वहां पर उन्होंने एक लाख रुपया बांटा। उनके पास चार डिपार्टमेंट हैं। उद्योग उनके पास है, पब्लिक हेल्थ उनके पास है और प्लानिंग उनके पास है और सप्लाई भी उनके पास ही है। वहां के लोगों का कहना यह है कि सड़कों के लिये जो रुपया मिला प्लानिंग मनिस्टर साहब ने वहां के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिया कि १० हजार रुपया तुम इस सड़क के लिये दे दो और ५ हजार रुपया इस सड़क के लिये दे दो। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने प्लानिंग कमेटी के सामने यह साफ कह दिया कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब यह आदेश दे गये हैं कि १० हजार रुपया यहां दो और इतना वहां दो। उन्होंने कहा कि इस लिये जिले का जो कोटा है उसमें इतने रुपयों को तो आप लोग टच न करें और उसको निकाल कर आप अपना प्लान बनायें। चार हजार उन्होंने पिथौरागढ़ में दे दिया क्योंकि वहां पर सफाई नहीं है और चार हजार रुपया पब्लिक हेल्थ के लिये दे दिया। वहां पर लायब्रेरी नहीं थी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

तो दो हजार रुपया उसको दे दिया। कोई चमड़े का उद्योग करना चाहते थे उनसे कह दिया कि चार हजार रुपया तुम ले लो और यह सारा रुपया उनके पास पहुंच गया। परिपूर्णानन्द जी कहते हैं कि उनको डिस्क्रिशन नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह रुपया किस तरह से उनको दे दिया गया? जिस तरह से रुपये की बरबादी हो रही है इस प्रदेश के अन्दर अगर उसको रोका न गया तो इससे बहुत कल्याण प्रदेश का नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं कि डेवलपमेंट के लिये टैक्सेज न लगायें जायं। पहली मर्तबा जब आर्डिनेन्स पर बहस हो रही थी तो कुछ दोस्तों ने यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि मैंने यह कहा था कि गल्ले पर टैक्स लगाया जाय लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैंने विरोध किया था और कहा था कि नमक पर, फूड ग्रेन्स पर और मिट्टी के तेल पर कोई टैक्स न लगाया जाय। यह मैं मानता हूं कि जहां तक टैक्सेज का सवाल है डेवलपमेंट के काम बिना टैक्सेज के नहीं हो सकते, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। परन्तु अगर यह छूट दे दी जाय और कहा जाय कि डेवलपमेंट बिना टैक्सेज के नहीं हो सकता तो आप सब पर टैक्स लगाने लगेंगे। तो नतीजा क्या होगा?

लोग कहते हैं कि टैक्सेज का भार कंज्यूमर्स पर पड़ेगा फिर ये दूकानदार लोग हड़ताल क्यों करते हैं? वह हड़ताल इसलिये करते हैं कि सेल्स टैक्स वाले पान वाले से कहेंगे कि तुम्हारी इतनी सिगरेट रोज बिकती हैं, इसलिये उनसे १२ हजार की टर्न ओवर अवश्य हो जायगी और वह रोज उससे मुफ्त पान और सिगरेट लेगा और इस तरह से दूकानदारों की बरबादी और परेशानी होगी। इसीलिये दूकानदार लोग हड़ताल करते हैं। वह परेशानी में हैं यह जान कर कि उनसे किस प्रकार से वसूल किया जायगा और हिसाब रखने को मुनीम छोटों को भी रखना पड़ेगा।

दूसरे इस हुकूमत को यह साफ-साफ बता देना चाहिये कि इसका हमारे पेट पर क्या असर पड़ेगा। मैं यह जानता हूं कि एक सोशलिस्टिक स्टेट के अन्दर अगर डायरेक्ट रिलेशन प्रोड्यूशर और कंज्यूमर का हो जाय तो बहुत अच्छा है। शहरों में कंज्यूम करने वालों की कंज्यूमर्स सोसाइटी बनायी जायं ताकि वह डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद सकें तब तो बहुत अच्छा हो सकता है और दोनों का संबंध डायरेक्ट हो सकता है। अगर इससे गवर्नमेंट की यह मंशा हो कि खाने के मामले में वह सेल्स टैक्स लगा कर डायरेक्ट कान्टेक्ट कर सकती है। वह इस तरह से कि आस-पास वाले लोग गांवों में जाकर गल्ला खरीद करेंगे क्योंकि वहां उनको कोई सेल्स टैक्स देना न होगा और इस प्रकार से बीच का दूकानदार निकल जायगा और डायरेक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कान्टेक्ट हो जायगा। लेकिन इस प्रकार से उन छोटे दूकानदारों की दूकानें उठ जायंगी। लेकिन जब उन थोड़ी पूंजी वालों की दूकानें उठ जायंगी तो सरकार को उनके खाने-पीने का भी कोई न कोई इन्तजाम करना ही पड़ेगा, उनकी रोजी का इन्तजाम करना ही पड़ेगा। खाने के अतिरिक्त जो चीजें हैं या बड़ी-बड़ी दूकानें ह उनसे तो लोग सामान लेंगे ही। साइकिल यहीं से लेनी पड़ेगी, बड़ी-बड़ी चीजें बड़ी-बड़ी दूकानों से ही खरीदनी होंगी, लेकिन खाने-पीने का जो सामान है उसके लिये लोग आस-पास के गांवों में जाकर मुहैया कर सकते हैं तो क्या दूसरी छोटी दूकानें जो गल्ले की हैं वे बन्द न हो जायंगी? अब लोग कहेंगे कि मैं उनका काज प्लीड कर रहा हूं। एक तरफ तो उन लोगों को सेल्स टैक्स वाले तंग और परेशान करेंगे और दूसरी तरफ उनका काम ठप्प हो जायगा। इसलिये जहां तक खाने की चीजें हैं सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है।

लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा कि ८० प्रतिशत लोग किसान हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं होगा इसलिये उनके वोट्स सुरक्षित हैं यानी कि हम २० प्रतिशत वोटों के लिये ही मर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वह लोग जो जेल गए वह तो उनका वोट कैचिंग डिवाइस था। वह ऐसी बात कहें इससे क्या होता है, वह जेल की बातें क्या जानें? वह

कभी जेल गए हों तो जानें। वह अगर गए होंगे तो भी माफी मांग कर आ गए होंगे। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक वोट-यात्रा कहना उचित है, अगर कोई राइट काज के लिए फाइट करता है, जेल भेजा जाता है तो उसको वोट कैचिंग डिवाइस बताया जाता है। मैं केवल इसका विरोध ही नहीं करता हूं मैं टैक्स के लिए आल्टरनेटिव सजेश्चन भी सरकार को दूंगा। हमारे भाइयों की तरफ से भी अब तक बहुत से आल्टरनेटिव सजेश्चन दिए जा चुके हैं और इससे पहले कि मैं आल्टरनेटिव सजेश्चन दूं मेरा यह फर्ज हो जाता है, क्योंकि बहुत से भाई आक्षेप करते हैं कि वह कोई रास्ता नहीं बतलाते कि विकास के कार्य कैसे किए जायं और किस तरह से डेवलपमेंट किया जाय। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट में पालिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जब विकास में राजनीति आ जाती है तो उस को विकास नहीं कहा जा सकता। हमें कुल नेशन और देश को डेवलप करना है, किसी कांस्टीट्युएन्सी को ही डेवलप करना नहीं है। मुझे यह कहने में दुख है कि बावजूद इसके कि किसी इलाके को जरूरत हो या न हो हम सब सदस्यगण इस बात की कोशिश करते हैं कि अपने इलाके में स्टेट का ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करावें ताकि जनता के वोट सीक्योर्ड रहें लेकिन जिन इलाकों में यह रुपया खर्च नहीं किया जाता है उन इलाकों की जनता से अगर हम यह जा कर कहते हैं कि तुम सेल्स टैक्स दो और विकास के काम के लिए सहायता दो तो मैं आप से पूंछता हूं कि वह लोग क्या खुशी से पैसा दे सकते हैं? वह हम से पूंछते हैं कि हमारे इलाके में विकास क्यों नहीं होना चाहिए और होता है? माननीय नियोजन मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं मैं उनसे पूंछूगा, फिर आप कहेंगे कि अपने यहां की बात करते हैं, हमारे यहां से ६ सदस्य यहां आए हैं, एक हरिजन हैं और ५ दूसरे लोग हैं। हमारे यहां अभी तक ८ एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स खुले हैं लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इन ८ एन० ई० एस० ब्लाक्स में से एक भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट या एन० ई० एस० ब्लाक मेरे क्षेत्र में नहीं खोली गई है। ऐसी हालत में क्या मैं अपने इलाके के लोगों से कह सकता हूं कि विकास का काम हो रहा है उसके लिए तुम पैसा दो? क्या यही प्लानिंग है, क्या यही डेवलपमेंट है? अगर हम अपने यहां के लोगों से कहें तो वह हमारी बात कैसे मान सकते हैं और मैं यही कहूंगा जैसा कि हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है कि हमें देश में एक वातावरण पैदा करना होगा.....

श्री ब्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आज के लिए सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६९,
विपक्ष में--१४।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहता था इस देश, इस प्रदेश के अन्दर ऐसा एटमासफियर पैदा करना होगा जिससे जो भी टैक्स इस प्रदेश की जनता पर लगावें उसे वह सहर्ष स्वीकार करे। वह एटमासफियर हम लोग कैसे पैदा कर सकते हैं उसका रास्ता हमारी इस सरकार के जो बड़े-बड़े कर्णधार हैं उन्हें ही हमको वह रास्ता दिखाना चाहिये। और अगर वह रास्ता हमें दिखायेंगे तो मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि प्रदेश के लोग हमारे साथ रहेंगे, प्रदेश के लोग टैक्स देने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे। प्रदेश में लोग यह समझेंगे कि हमारे प्रदेश के कर्णधार भी इस बात को महसूस करते हैं कि विकास होना चाहिये, उसके लिये उन्होंने थोड़ी बहुत कुर्बानी की है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अध्यक्ष महोदय, जब जनता यह देखती है कि हम बड़े-बड़े महलों में रहते हैं, जब जनता यह देखती है कि हम हर साल नई-नई कारें बदलते हैं, जिलों के अन्दर छोटे से छोटा आफिसर जो है उसके पास सरकारी मोटर कार है और वह इधर-उधर लेकर उसे फिरा करता है, तो जनता सोचती है कि ये तो मोटर कार्स पर फिरें, ये तो मुफ्त मकान में रहें, ये तो मौज करें, ये बंगलों में रहें, ये दुनियां का ऐश करें और हम से कहा जाता है कि हम टैक्स दें। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि हमें कोई न कोई काम ऐसा करना चाहिये, कोई न कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिये जिससे यह सब खराबियां और गड़बड़ियां दूर हों। मैं यह बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह जितनी सरकारी मोटरें हैं जितने डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग मोटरें दी गई हैं यह सारी मोटरें वापस ले ली जायं और जिन सरकारी कर्मचारियों को मोटरों की आवश्यकता हो उन्हें मोटरें खरीदने की इजाजत दे दी जाय और इसके लिये हम इस बात तक को मानने के लिये तैयार हैं कि अगर उन्हें बिना सूद रुपया देने की जरुरत पड़े तो वह भी दे दिया जाय बजाय इसके कि हम उनको मोटरें दे दें क्योंकि मोटरों का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, मोटरें किस तरह से इधर से उधर फिरा करती हैं यह किसी से छिपा नहीं है। सिनेमा घर के पास खड़े हो जाइये तो रोजमर्रा आपको ८, १० मोटरें ऐसी मिलेंगी जिन पर छपा होगा "उत्तर प्रदेश सरकार"। पता नहीं चलता कि हमारे सरकारी अफसर क्या रोज सिनेमा देखने जाते हैं और जनता भी सिनेमा देखने जाती है और जब सरकारी गाड़ियों को वहां देखती है तो वह यह सोचती है कि क्या यह भी कोई सरकारी काम है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मान सकता हूं कि हमारे मंत्रीगणों को मोटरें मिलनी चाहियें और जब चाहें और जिस काम में चाहें वह इन मोटरों को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यह कभी बरदाश्त नहीं करूंगा कि हमारे प्रदेश का कोई आफिसर किसी तरीके से सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करे। अगर सरकारी काम में जायं तो उन गाड़ियों का इस्तेमाल करें, उसके बाद नहीं होना चाहिये। इसके ऊपर देखरेख होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जहां तक इन गाड़ियों का प्रश्न है इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और हमारे प्रदेश में ऐसा एटमासफियर क्रियेट करेंगे कि जिससे जनता जो विरोध हमारे टैक्सेज का करती है वह नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कल यह कहा कि साहब देखिये कि आप कहते हैं कि आप की कैपेसिटी नहीं है देने के लिये। उन्होंने देहरादून, नैनीताल और झांसी इन तीन जिलों के नाम लिये जहां पर उन्होंने कहा स्माल सेविंग्स का हाइएस्ट कलेक्शन रहा। पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल और तीसरा झांसी आया। अध्यक्ष महोदय, जब वहां की जनता दे सकती है पैसा, जब वहां के गरीब लोग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो कौन सा कारण ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें तनख्वाहें मिलती हैं उन के लिये भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, वह भी इस प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कौन सा ऐसा कारण है कि वह हमारी नेशनल सेविंग्स यानी स्माल सेविंग्स में कुछ रुपया न जमा करें। मैं इसलिये एक सुझाव देना चाहता हूं प्लानिंग के लिये कि हर वह आफिसर जिसकी ढाई सौ रुपये से ऊपर तनख्वाह है वह पांच रुपये सैकड़ा अपनी तनख्वाह में से हर महीने में स्माल सेविंग्स में जमा करे ताकि देश के विकास के कार्य में वह रुपया खर्च किया जा सके। काफी रुपया इस तरह से हमारें यहां पर आ सकता है। १७ करोड़ रुपया हमारे पी० डब्लू० डी० के लिये रखा गया। मुझे इस बात का विश्वास है कि जिनको सैकड़ों की आवश्याकता है, जिनको अपने यहां बिजली घर बनावाने की आवश्यकता है, जिनको अपने यहां नहरों को बनवाने की आवश्यकता है अगर वहां के लोगों से पूछा जाय कि आपके यहां नहर बनाई जा रही है आप क्या मदद करने के लिये तैयार हैं तो मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि अगर उनको सचमुच नहर की आवश्यकता होगी तो वहां के लोग हमारे साथ पूर्णरूप से सहयोग करेंगे

और सहयोग किस तरह से करेंगे ? हम वहां पर जांय, उनको बतायें कि एक करोड़ रुपया की यह नहर बनने वाली है । लेकिन हमारे पास एक करोड़ रुपया नहीं है, हमारे पास सिर्फ ७५ लाख ही रुपया है, बताइये कि २५ लाख रुपया कहां से आये ! आप क्या मदद करने के लिये तैयार हैं ? अध्यक्ष महोदय, अगर वे उस चीज की जरूरत समझेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जमीन एक्वायर करने के लिये जो रुपया खर्च होता है, हर डिपार्टमेंट में चाहे वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट हो या एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, इन सब के बजट के अन्दर इतना रुपया रखा जाता है उसका कम से कम करीब ४, ५ परसेन्ट रुपया ऐसा होगा जो जमीन को एक्वायर करने के लिये रखा जाता है । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सड़क बनी । हमसे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि यह सड़क तभी बनेगी जब आप इस बात का वादा करें कि आप जितनी जमीन इस रास्ते से वहां कटती है वहां के लोग अगर लिख दें कि हम अपनी जमीन की कीमत नहीं लेंगे तो हम तुम्हारे यहां सड़क बनायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा डरा कि किस तरह से यह बात स्वीकार कर लूं, औरों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़ लूं । लेकिन पन्त जी ने मुझ से कहा कि तुम लिखकर मुझ को दे दो कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो जमीन कटेगी उसकी वह कीमत नहीं लेंगे । मैंने उसी वक्त लिखकर दे दिया और मैंने कहा कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि सड़क के बनाने में जो भी जमीन कटेगी उसकी वह कीमत नहीं लेंगे। आज वह सड़क बन गई है और उस इलाके के लोग उस जमीन के पैसे नहीं मांग रहे हैं इसलिए कि हमारे यहां के लोगों को सड़क की आवश्यकता थी और वे इतना छोटा से त्याग करने के लिये तैयार हो गये । इस तरह से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कहिये, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से कहिये कि जो लोग अपने यहां नहरें बनवाना चाहते हैं बिजली घर बनवाना चाहते हैं, आप उनसे कहिये कि तुम्हारे इलाके के अन्दर यह नहर बनेगी । इसमें जो भी कर्मचारी रखे जायेंगे वे तुम्हारे गांव के रखे जायेंगे । हम कम्पेन्सेशन तुम्हें जमीन का नहीं देंगे । मुझे विश्वास है कि वहां के लोग कम्पेन्सेशन न लेकर काम भी करेंगे और उनके यहां बिजली घर बनाने में जो जमीन ली जाती है उसके लिये कम्पेन्सेशन देना पड़ता है उनसे आप कहिये कि हम तुम्हारे इलाके में बिजली घर बनायेंगे और जो उस बिजली घर में मजदूर और दूसरे लोग काम करेंगे वे तुम्हारे इलाके से रखे जायेंगे तो मुझे विश्वास है कि वहां के लोग रुपया देने को तैयार हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---आप जरा संक्षेप में कर दीजिये क्योंकि मैंने ही यह कहा था कि आप दूना समय औरो की अपेक्षा ले लें लेकिन आपके नेता जी ने डेढ़ घंटा लिया तो सवेरे जो कहा था उसके खिलाफ बात हो रही है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं रास्ते बता रहा हूं कि किस तरह से रुपया इकट्ठा हो सकता है । आप जबर्दस्ती किसी जगह पर वोट लेने के लिये वहां एक लाख रुपया खर्च कर दें और वहां जरूरत नहीं है, वहां कोई मांगता नहीं है क्योंकि जो मांगेगा वह काम करेगा । जिसको नहर निकलवानी है वह रुपया देगा, श्रमदान देगा, जमीन देगा तभी देश का विकास हो सकता है । किसी के ऊपर विकास थोपा नहीं जा सकता है । ऐसा करने से पता लगेगा कि किस इलाके में काम हो सकता है । मैं यह कह सकता हूं कि अगर प्रदेश के अन्दर यह छूट दे दी जाय कि वे इलाके सामने आयें जहां इतना परसेन्ट देने को तैयार हैं जो २०, २५ परसेन्ट तैयार हों, उनके यहां पहले विकास के काम होंगे, उनके यहां बिजली घर और सड़कें बनाई जायंगी तो फिर आपको पता लगेगा कि हमारे इधर जितनी साथी बैठे हैं उनके यहां पहले विकास का काम होगा, उधर वाले जो यह समझते हैं कि सरकार तो उनको रुपया देही देगी उनके यहां काम नहीं होगा । तब देश का विकास होगा । इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, १० परसेन्ट की जो बात हमारे नेता जी ने कही चाहे उसे आप मानिये या न मानिये पी० डब्लू० डी० में जब एस्टीमेंट्स बनते हैं शुरुवात में जब ओवरसीयर एस्टीमेट्स बनाता है उसी वक्त वह अपना १० परसेंट ऐड कर लेता है और जब ठेकेदार के पास जाता है तो वह कहता है भाई यह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कोई एहसान तो नहीं है यह तो तुम जानते हो कि वह पहले ही जोड़ लिया गया। झगड़ा तो अब पड़ने लगा है जब १० के बजाय २० मांगने लगे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं इसका दोष इस सरकार को नहीं देता हूं। मैं समझता हूं उसके लिये यह गवर्नमेंट क्या हमारी भी गवर्नमेंट अगर आयगी तो यह १० परसेंट वाली बात नहीं खत्म हो सकती जब तक कि यह प्रेजेन्ट जनेरेशन नहीं पूरी हो जाती, तब तक यह कटने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय रात को सड़क के ऊपर की कंकड़ नापते हैं उसकी उंचाई, लम्बाई, चौड़ाई कितनी है। शाम को ओवरसीयर आता है देखा कि इंजीनियर नहीं आया है तो उसने कहा कि इंजीनियर आने वाला नहीं है। अब इसको फैलादो और जितना तुम चाहोगे मैं कर दूंगा। माननीय गिरधारी लाल जी ने एक दफा कहा कि भाई बताओ इसको कैसे दूर करें। अध्यक्ष महोदय, अब हम कोई टेस्ट तो नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते है कि यह पी० डब्लू० डी० में अगर कुछ कमी करें तो कम से कम ५ परसेंट की कमी तो हो ही सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, टैक्स के मामले में मैं यह समझता हूं कि सिनेमा में इन्टरटेनमेंट, मैं जानता हूं कि काफी टैक्स लगाया गया है, फिर भी वह ऐसी चीज है जिस पर थोड़ा टैक्स लगाया जा सकता है। सिनेमा देखने वालों को अगर एक आना और पड़ जाय तो कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हर टैक्स का विरोध तो होता ही है उसका भी होगा, लेकिन इस टैक्स पर प्रदेश की जनता ज्यादा विरोध नहीं करेगी। अब यह जो टैक्स लगा है आटा, दाल, चावल पर अगर एक रिक्शा चलाने वाला जो १२ आना कमायेगा उसको जब दो आना देना पड़ेगा तो उसको खलेगा। साल्ट के टैक्स के लिये गांधी जी लड़े थे लेकिन गवर्नमेंट ने पहले उस पर भी कर लगा दिया, बाद को उसने वापस ले लिया यह अच्छा किया। इसी तरह से फूड आइटम्स पर वह मिट्टी के तेल से कर वापस लेती तो प्रदेश के अन्दर जो हवा फैली हुई है वह दूर हो जाती। हम माननीय मंत्री जी को दूसरे रास्ते बतायेंगे। इकोनामी कमेटी में माननीय परिपूर्णानन्द जी की सहायता चाहिये। जब एक-एक डिपार्टमेंट में दो-दो, करोड़ की बचत हो सकती है तो १० करोड़ इकट्ठा हम कर देंगे। हम रास्ता बतायेंगे। माननीय परिपूर्णानन्द जी का साथ चाहिये। हम इकोनामी बता सकते हैं। और इस आटा, दाल, चावल के रुपये से डेवलपमेंट करने की बात अगर सरकार करेगी तो इससे सूबे के व्यवसाय पर काफी असर पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा न कह कर क्योंकि समय भी हो गया है, इस सरकार से कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट को न रोकिये, वह कीजिये लेकिन आप जब बिल सामने लाये हैं जिस तरह से आपने नमक कर को वापस किया है जिस तरह से और करों पर से कर वापस किया है उसी तरह से फूड आइटम्स पर से आपको कर हटा लेना चाहिये। आप देखिये कि आपके प्रदेश के ट्रेड की क्या हालत हो जायगी। जो आप मांगेंगे वह देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि अगर इन्हीं लोगों का विकास करना है और उन्हीं लोगों पर आप टैक्स लगाये जा रहे हैं, उन्हीं लोगों से आप कहते हैं कि तुम्हारे खाने पर टैक्स लगाया जायगा, आटा, चावल, पर टैक्स लगाया जायगा तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आप यह कहते हैं कि जो गांवों के अन्दर प्रोड्यूस करते हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया है उनसे जो खरीदते हैं उन पर टैक्स नहीं लगा है लेकिन इसका नतीजा ऐसा भी होगा कि बाजारें बन्द हो जायंगी, हमारे प्रदेश का व्यापार बन्द हो जायगा, हमारे प्रदेश के व्यापार पर बड़ा भारी असर पड़ेगा और मैं इस गवर्नमेन्ट को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारी देख रेख न रही जैसा कि माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि जिलों के अन्दर एक सेल्स कमेटी इस बात को देखे अच्छी तरह से देखे, अगर देख-रेख न रही तो सेल्स टैक्स के एक-एक कर्मचारी घूम-घूम कर इस सरकार को बदनाम करते रहेंगे क्योंकि आटा, चावल, दाल यह कितनी बिकी, कितनी नहीं इसके बारे में वह व्यापारियों को परेशान करते रहेंगे और उनसे घूस ले लेकर इस गवर्नमेंट को भी बदनाम करेंगे। और चीजों पर जैसे दियासलाई है। साईकिल है, टायर है, ट्यूब हैं, दुनियां भर की चीजें हो सकती हैं जिन पर कि आप आसानी

से इसको ले सकते हैं लेकिन आटा, चावल, दाल वगैरह पर आप टैक्स आसानी से नहीं ले सकते। इसलिए खाने पीने के सामान को आप हटा दीजिये। मैं समझता हूं कि इससे इस प्रदेश का वातावरण बहुत साफ हो जायगा और नहीं तो जो इसका नतीजा होगा उसको सरकार जानती है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ सरकार से अपील करूंगा कि वह इस प्रोपोजल को मान ले।

श्री व्रजभूषण मिश्र---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---४९,
विपक्ष में---९।)

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की इस जिद की बात कुछ समझ में नहीं आयी कि आखिर न कोई हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल को पास करने में देरी करें न कोई और किसी तरह की देरी हो रही है। सिर्फ विचारों की बात है लेकिन सरकारी पक्ष यह चाहता है कि किसी तरह से इस पर रोशनी भी न पड़े और इसके लिए ऐसा फैसला उसने लिया तो हम लोग इसके विरोध में आज सदन छोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष---शायद उत्तर में वह बता दें।

(इसके उपरान्त विरोधी पक्ष के सदस्य उठकर चले गए।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, अब तो कोई वक्त ऐसा नहीं रहा है इतनी बातों के जवाब देने का और इस बिल के लिए यह बड़ा जरूरी है कि वह वक्त के अन्दर हो जाय तो मैं कल भी जवाब देने पर कोई वक्त लेना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं यह गुजारिश करूंगा कि क्वेश्चन पुट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक-एक संशोधन लिए लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को जनता की राय प्राप्त करने के लिए १ जुलाई, १९५६ तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---तीसरा संशोधन यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन २५ मई, १९५६ तक सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यो० ऐक्ट
५, १९४८
। धारा २
। संशोधन ।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खंड (ञ) के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

०पी० ऐक्ट
५, १९४८
। धारा ३
। संशोधन ।

३—(१) मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक कर-निर्धारण-वर्ष के लिये, उक्त वर्ष के अपने विक्रय-धन (turn over) पर, जो ऐसी रीति से निश्चित किया जायगा जो निर्धारित की जाय, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी पर, धारा १८ में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, कर भुगतान करने का दायित्व न होगा यदि कर-निर्धारण-वर्ष में उसका विक्रय-धन १२,००० रु० अथवा ऐसी अधिक बड़ी धनराशि से, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो, जब तक कि उसने उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किये गये किसी माल को, जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, न बेचा हो और ऐसी दशा में इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय-धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुए भी, उसे ऐसे माल के विक्रय-धन पर उक्त धारा की उपधारा (२) में उल्लिखित दर के अनुसार कर अदा करना होगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी माल अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर कर की दर में इस प्रकार वृद्धि कर सकती है कि दर ६ पाई प्रति रुपये से अधिक न बढ़ने पाये, और इसी प्रकार वह उसे घटा सकती है और तत्पश्चात् कर सम्बद्ध विक्रय-धन पर, बढ़ायी हुई अथवा घटायी हुई दर से, जो भी लागू होती हो, देय होगा ।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पहले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित धनराशि किसी कर-निर्धारण-वर्ष के दौरान में कम कर दी जाय, तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा, अर्थात्—

(क) धनराशि में कमी किये जाने के पूर्व की अवधि के विक्रय-धन पर—उस हिसाब से, मानो धनराशि में कोई कमी नहीं की गई है, और

(ख) शेष धनराशि पर—उस हिसाब से मानों कम की हुई धनराशि सभी सारवान् दिनांकों (material dates) पर प्रवृत (in force) रही हो ।"

(२) मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

(३) वित्त विभाग की दिनांक २१ अगस्त, १९४८ की विज्ञप्ति संख्या एस ०टी०-९२६/१० के अधीन दिनांक २६ अगस्त, १९४८ के असाधारण गजट में प्रकाशित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर नियम, १९४८ का नियम ७ निकाल दिया जायगा और एतद्द्वारा निकाला जाता है ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ .....

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, मेरा इसमें संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष––इस कार्यक्रम में आपका कोई संशोधन नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मेरा लिखकर दिया हुआ संशोधन है, इसमें छपा नहीं है । आप पता लगा लें ।

श्री अध्यक्ष––वह मेरे पास अभी तक नहीं आया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, है, आप देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष––कृपा करके आप बैठें । प्रश्न यह है कि...

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं विरोध स्वरूप दोबारा वाक-आउट करता हूं ।

(हंसी––श्री नारायणदत्त तिवारी बाहर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

४––मूल अधिनियम की धारा ३–क की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

यू० पी ऐक्ट १५ १९४८ कं धारा ३-ब का संशोधन

"(२) यदि राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन कोई घोषणा करती है तो वह यह भी घोषणा कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर ऐसी दर से कर लगाया जायगा, जो निर्दिष्ट की जाय किन्तु वह १ आना प्रति रुपया से अधिक न होगा ।"

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक विज्ञप्ति अपने निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायगी, और यदि उस सत्र में, जिसमें कि वह प्रस्तुत की गई हो, उसको संशोधित अथवा परिष्कृत करने का कोई संकल्प पारित हो जाय तो वह, संकल्प पारित होने के दिनांक से, तदनुसार संशोधित अथवा परिष्कृत कर दी जायगी, किन्तु किसी पूर्वकृत कार्य, या उपगत किसी दायित्व अथवा किये गये कर-निर्धारण की वैधता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५––मूल अधिनियम की धारा ३–क के पश्चात् नई धारा ३–कक के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

निर्दिष्ट वस्तुओं पर कर ।

३–कक–धारा ३ या ३–क में किसी बात के रहते हुये भी, कोयला, लोहा तथा इस्पात, कच्चा जूट, रुई, तिलहन, कच्ची खालें और चमड़े (raw hides and skins) के विक्रय-धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़ कर, बिक्री-कर नहीं लगेगा तथा कर की दर ३ पाई प्रति रुपये से अधिक न होगी । जब तक व्यापारी अन्यथा सिद्ध न कर दे, तब तक प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता के हाथ की गई बिक्री समझी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ४ का संशोधन।

६---(१) मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार पत्र और मोटर स्प्रिट को, जिसकी परिभाषा यू० पी० सेल आफ मोटर स्प्रिट (टैक्सेशन) ऐक्ट, १९३९ में की गयी है, तथा अन्य किसी माल की बिक्री पर जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कर-मुक्त करे।"

(२) उक्त उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "एक हजार रुपया" के स्थान पर शब्द "चार हजार रुपया" रख दिये जायं।

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) पंक्ति १ में शब्द "नमक", व शब्द "समाचारपत्र" के बीच में शब्द "मोटा अनाज" (coarse grain) रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक पेश है उसमें मैं उन चीजों पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो ऐसे अनाज हैं जिनको पशु, पक्षी भी खाते हैं, और जिस को यहां की जो मजदूर जनता है, भूमिहीन जनता है, बहुत सी गरीब जनता है, और मध्यम वर्ग की जनता है, खाती है; उसको खयाल में रखा जाय। मेरा खयाल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने पेश है उसके अन्दर इन लोगों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो बीज हरे चारे के रूप में होती है, जिसको हरे शाक के रूप में इन्सान भी खाते हैं और जिसको सारे पशु भी खाते हैं और जिसको खाकर वे श्रम करते हैं उसको जरूर बिक्री कर से मुक्त रखा जाय। जो योजना आज हमारे सामने पेश है, उसको पूरा करने के लिए जब उनको भोजन न मिलेगा, तो कैसे वे श्रम करेंगे? हम एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह तो बिलकुल सही है और हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट भाषण में जिस बात की ओर ध्यान दिलाया था, और विरोधी दल के लोग भी और सारे सदन के माननीय सदस्यों ने इस बात को मान लिया था कि विकास के लिए हमको धन की जरूरत है, और वह धन मिलना चाहिए क्योंकि अगर हम विकास नहीं करते हैं तो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है, और हमारा कार्य रुक जाता है। यह तो बिलकुल सही है लेकिन ऐसी चीजों के ऊपर जैसे कि मोटा अनाज है, जिनको बहुत ही गरीब जनता खाती है, और उसी पर विकास का सारा कार्य निर्भर है। तो हमें इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जिस वक्त बिक्री कर का अध्यादेश जारी हुआ, उस वक्त उस अनाज का भाव क्या था और आज क्या है। यह बात सत्य है कि वित्त मन्त्री जी ने सारी जनता का आवाहन किया कि वह नंगी भूखी रह कर विकास का कार्य करें। जनता उसका स्वागत करती है, लेकिन देखने की बात तो और है, कि जो अनाज अध्यादेश जारी होने के पहले भाव थे आज उसका भाव इस वक्त क्या है। वह तो कन्ट्रोल की मंहगाई की भी बात करता है। कितना असर उससे पड़ा है, गरीब जनता के ऊपर, यह सिर्फ टैक्स की ही बात नहीं है बल्कि बात ऐसी है कि कितनी मंहगी हो गयी है और क्या जनता उसको बरदाश्त कर सकती है या नहीं। ऐसी दशा में यह बात सही है कि हमारे प्रदेश की जनता आज सरकार के आवाहन पर सारा श्रम अपना देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वह भूखी नंगी रहती है, और उसको खाने को नहीं मिलता तो वह श्रम कैसे करेगी? इसलिए मैं श्रीमन्, चाहता हूं कि सरकार इस पर भी गौर करे कि हमारे यहां जितने उपयोगी पशु, बैल, घोड़े, गदहे, भैंसे और इस तरीके के पशु हैं, आज

उनका भी जीवन मोटे अनाज तथा इसके हरे चारे पर निर्भर करता है। जो आजन्म केवल मानव समाज की सेवा ही करते हैं। यही अन्न, शाक गरीबों और उपयोगी पशुओं की नित्य प्रति भूख की जरूरत है जिससे जीवन इनका है। मोटे अनाज के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको वही खाना मिलता है वही खा कर . .

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण अब कल जारी रखेंगे। अब साढ़े ५ बज गये हैं। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ मई, १९५६।

मिटठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

सूची

कसबा क्षेत्र में जो मेढ़े दिये गये उन पर १९५४ से १९५६ तक हुए व्यय की सूची

	१९५४–५५			१९५५–५६		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
२० मेढ़ों का दाम ..	२३९	०	०	..	..	..
मेढ़हारों का वेतन ..	४८०	०	०	५१०	०	०
मेढ़ों के खाने पर खर्चा ..	४५०	१४	०	३६०	०	०
अन्य खर्चा ..	११	४	३	१२	६	०
मेढ़ों के निवास स्थान पर व्यय	१,८३६	६	०			
	३,०१७	८	३	८८२	६	०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

प्रश्न संख्या ३५ से सम्बन्धित सूची

जिलों के नाम	९ व ११ मार्च, १९५६ को ओला/वृष्टि से प्रभावित कुल गांवों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें रबी १३६३ की फसल की क्षति की मात्रा निम्नलिखित थी		
		रुपये में आठ आना और उससे अधिक	रुपये में ६ आना से आठ आने तक	रुपये में ६ आने से कम
हमीरपुर	१६५	११९	..	४६
बांदा	३१३	१२५	..	१८८
झांसी	१४९	६२	..	८७
जौनपुर	५९	१८	४	३७
आजमगढ़	३६	३६	..	..
योग	७२२	३६०	४	३५८

अविकल प्रति

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५५ एल० ए०—१९५६—७९६।